	Business	Time Allotted
6.	Consideration and return of the Appropriation Bill relating to the First Batch of Supplementary Demands for Grants (including Railways) for the year 2019-20, after it is passed by Lok Sabha.	Three Hours

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I got. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL DISCUSSION ON "THE ROLE OF RAJYA SABHA IN INDIAN POLITY AND THE WAY FORWARD"

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this being the 250th Session of the Rajya Sabha, we have a special discussion today on "The role of Rajya Sabha in Indian Polity and the way forward".

Hon. Members, the opportunities of being a part of unique and landmark events in one's lifetime come rarely. I have heard many expression a sense of deprivation for not being part of the freedom struggle and witnessing the subsequent dawn on the 15th of August, 1947. I was one among them, to be honest.

Today, all of us have the honour of being associated with and part of the historic 250th session of this august House. I compliment all of you for this rare and unique opportunity worth cherishing for a long time.

Rajya Sabha came into being after extensive deliberations by the Constituent Assembly over the need for a second chamber of Parliament. Some opposed it and others supported it and in the process of that debate, the role and mandate of this august House was well defined.

This House held its first sitting on May 13, 1952. During the last 67 years, Rajya Sabha has played out its role in the socio-economic transformation of the country. This was also the period when democracy in our country grew from strength to strength consolidating itself with every election, defying the prophets of doom. We have adopted and executed the parliamentary democracy as the cardinal principle of governance based on rule of law and equality.

This momentous occasion is an opportune time for collective reflection on the journey so far and sincere introspection over the missed opportunities. This is warranted

so that we don't repeat the mistakes, if any, of the past. We need to learn from the experience of the last 67 years and if we don't, there is an inherent risk of making ourselves irrelevant. That is precisely the reason for today's discussion on "The Role of Rajya Sabha in Indian Polity and the Way Forward".

To give a brief account of the journey of Rajya Sabha since 1952, during the last 249 sessions, this august House held 5,466 sittings and passed as many as 3,817 Bills. These include several pioneering and far-reaching legislations that rewrote the socio-economic landscape of our country. A publication titled 'Rajya Sabha: The Journey since 1952' brought out by the Rajya Sabha Secretariat was released yesterday among the leaders. It captures the finer and salient features of the contribution of this august House.

Our country has come a long way from the testing times of Independence to now being a voice to be heard in the complex global order. There were a number of challenges that stared at India at the stroke of freedom such as poverty, illiteracy, poor healthcare, low level of industrialization and economic growth, social orthodoxy, poor infrastructure, unemployment, inefficient agriculture, weak governance and financial institutions, inadequate institutional framework, etc. Such a state of affairs set the agenda for the legislatures of sovereign Republic of India, and in particular, for the Parliament of India. The apex legislature of our country went about the task of nation-building in a methodical and graded manner addressing different challenges from time to time, guiding the nation through the complex cobwebs. As a result, economic and human development indicators have substantially improved leading to better quality of life over the years. We are the world's largest democracy and a leading engine of global economic growth today.

Rajya Sabha, with its unique role and position in our parliamentary scheme of things, made its contribution to the making of India of today. To summarise the same, from passing the Hindu Marriage and Divorce Bill in 1952 to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill in 2019, from imposition of additional excise duty on *dhotis* to introduction of the transformative Goods and Services Tax in 2017, from passing the Industrial Disputes (Amendment) Bill in 1954 to the New Delhi International Arbitration Centre Bill in 2019, from clearing the Andhra State Bill in 1953 to the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill in 2019, from passage of the All India Institute of Medical Sciences Bill in 1955 to the National Medical Council Bill in 2019, from setting

[Mr. Chairman]

up of the University Grants Commission in 1954 to empowering the Children with the Right to Free and Compulsory Education in 2009 and from passing the Preventive Detention (Second Amendment) Bill in 1952 to the Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill in 2019, this august House has played a significant role in addressing the challenges faced besides meeting the requirements of the nation from time to time. But we still have miles to go and make up for the time lost and opportunities missed, and in particular, about the functioning of this august House.

Hon. Members, this is an occasion for recalling the good things done and pat on our backs. But all is not well. There is a lot to be desired with widespread public concerns over the way we have been conducting ourselves in the House. These concerns are very well known and I don't want to go into them in great detail. The question that each one of us need to ask of us is: Are we contributing to enhancing the standing of this august institution by our words and deeds both within the House and outside? Looking for answers helps in mending our ways.

This House of Elders is virtually co-equal with the House of the People except in matters of No-confidence Motions and Money Bills.

Our former President and a veteran Member of this august House, Shri Pranab Mukerjee, in his article in Hindustan Times today said that since its inception in 1952, the Rajya Sabha not only guided the law making process but also prevented hasty legislation, working on the federal principles of Indian polity. He further said and I quote: "It will be desirable on the part of the Members of Rajya Sabha to remember that they have to maintain a fine balance between becoming obstructionist or redundant. The Rajya Sabha cannot mischievously veto everything and anything that the Lok Sabha passes and become obstructionist, and at the same time, it should not rubber stamp anything and everything passed by the Lok Sabha, lest it becomes redundant."

I am sure the sagacious words of Shri Pranab Mukherjee will provide necessary guidance for conducting ourselves in this august House. The French constitutional expert, Abbe Sieyes, once quipped and I quote: "If a second chamber dissents from the first, it is mischievous; if it agrees, it is superfluous."

So, what emerges is that the hon. Members of this august institution should enrich the proceedings of the House with enlightened discussions and debates by

bringing into play their wisdom, knowledge and expertise and by presenting different perspectives on any issue under the consideration of the House. Pranab Da says and I quote: "As the Members are chosen by the respective parties, it is expected that more politically astute persons will come to the Rajya Sabha. The 12 members nominated by the President of India are a further representative of this expectation. It is indeed supposed to enrich the deliberative character of the Parliament."

Hon. Members, over the last two years since assumption of this august office, I have been regularly voicing my concerns over the functioning of our legislatures in general and of this House in particular. As you all discuss the need to improve the functioning of this august House, I suggest some issues for your consideration in future:

1. Adequacy of the number of the sittings in the context of the House meeting for about 60-70 days in a year now, keeping in view the nature and volume of legislations and time available for discussing issues of public importance;

2. Adequacy of the present Rules of Business of the House and changes required, if any;

3. Adequacy and effectiveness of various instruments presently available for the Members to present their views on legislative proposals and raising issues of public concern;

4. Adequacy and effectiveness of the present procedures currently being followed in the House;

5. Norms to be followed for enabling equitable and wider participation of Members in the debates;

6. Ensuring Members with right background and abilities to enrich debates are sent to this House:

7. Ensuring self-discipline on the part of the Members to ensure compliance with the Rules of the Business for orderly functioning of the House;

8. Requirement of infrastructure support to the Members to enable informed contribution to the debates in the House;

[Mr. Chairman]

9. Ensuring adequate presence of Members in the House all through the proceedings and in the meetings of the Department Related Standing Committees and other Committees of the House; and

10. Technology adoption for improving the functioning of the Members and for more lively conduct of the proceedings of the House.

I am sure that all of you would sincerely review the journey of this august institution over the last 67 years and come out with useful suggestions on reforms required and the way forward so that this exalted institution can rise to the heights that are expected of it. Your suggestions will be given a serious consideration.

Hon. Members, I mentioned it to the leaders of the political parties yesterday, I would like to repeat it again with agony. A week back, one Committee appointed by the Parliament, a Standing Committee, led by Shri Jairam Ramesh was able to complete its work and submit the first report. That is the positive side. One Committee when its meeting was called, 25 of the 29 Members were absent from the meeting which drew widespread criticism across the country. I did not mention any Member's name. Unfortunately, some newspapers of today carried a name also on their own. I did not mention. I have no intention. My desire is to see that all the leaders and political parties prevail upon their own Members to see that they attend these meetings of the Standing Committees because we are all aware that the Standing Committees when they do, they do more constructive, meaningful and purposeful work and come with suggestions out of the wisdom of all the Members of the Committee.

So, keeping that in mind, I would like to make an appeal to all—this is not concerned to one party or other—to see that Members, who are the Members of any Committee, to please do attend the Committees' meetings regularly and enrich the discussion. That is my appeal.

Then, on this momentous occasion, I compliment and thank all the 2,282 Members who have had the honour of being part of this journey, the Presiding Officers, Panel Chairpersons, Leaders of the House and Leaders of the Opposition, Ministers, leaders of various parties in the House, staff of the Secretariat, the media and the people for contributing to this journey.

The last Session of the House has proved to be the most productive in several years and let us continue with that spirit.

This is my observation on this occasion of the 250th Session of Parliament. Now, we go ahead with the views to be expressed by different people of this House, and we will commence it with the intervention of the hon. Prime Minister. Now, the hon. Prime Minister.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय सभापति जी और सम्माननीय गृह, आपके माध्यम से इस 250वें सत्र के निमित्त मैं यहाँ मौजूद सभी सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इन 250 सत्रों के दरम्यान यह जो यात्रा चली है, इसमें अब तक जिन-जिन ने योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। सभापति जी, आप जब बहुत ही articulate way में दो अलग-अलग घटनाओं को जोड़ कर अभी प्रस्तुत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन हैं, वे जरूर इस पर अब ग़ौर करेंगे, लिखेंगे कि 250 सत्र। यह अपने आप में समय व्यतीत हुआ है, ऐसा नही है, इसकी एक विचार यात्रा भी रही है। जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था, तो जाते-जाते उसी के बिल्कुल अलग-सा, नया बिल इस प्रकार से आया। समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गईं और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य, जिन्होंने अब तक काम किया है, वे बधाई के पात्र हैं। वरना किसी को लग सकता है कि 20 साल पहले मैंने तो यह stand लिया था, अब मैं अपना stand कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन आपने जिस प्रकार से articulate करके इस बात को प्रस्तुत किया, वह हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई-नई बातों को lead करने का सामर्थ्य रखता है, उसका उसमें प्रतिबिंब है। यह काम इस सदन से हुआ है, इसलिए सदन अपने आप में गौरव अनुभव करता है। मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का और इसमें शरीक होने का मुझे अवसर मिला है।

हम यह साफ कह सकते हैं कि कभी संविधान निर्माताओं के बीच में चर्चा चल रही थी कि सदन एक हो या दो हो, लेकिन अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी, वह कितनी उपयुक्त रही है और उसने कितना बढ़िया contribution दिया है। अगर निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है, तो उच्च सदन दूर तक देख सकता है। इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से अगर जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीजों का प्रतिबिंब व्यक्त होता है, तो यहाँ बैठे हुए महानुभावों से, क्योंकि यह ऊपर है, ऊपर वाला जरा दूर का देख सकता है, तो दूरदृष्टि का भी अनुभव मिलता है और इन दोनों का contribution हमारे इन दोनों सदनों से हमें देखने को मिलता है। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। इसने इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है और जरूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने

[श्री नरेन्द्र मोदी]

में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। उसी प्रकार से इस देश के गणमान्य दिग्गज महापुरुषों ने इस सदन का नेतृत्व किया है, इस सदन में सहभागिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। आजादी के बाद बहुत सी चीजें गढ़नी थीं। अब तो 50-60 साल के बाद बहुत सी चीजों ने shape ले ली है, लेकिन शुरुआती काल में हमें fear of unknown से गुजरना पड़ता था। उस समय जिस maturity के साथ सबने नेतृत्व किया है, योगदान दिया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

आदरणीय सभापति जी, इस सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास हैं। एक तो इसका स्थायित्व - permanent कहें या eternal कहें, और दूसरा है - विविधता, यानी diversity स्थायित्व इसलिए है, eternal इसलिए है कि लोक सभा तो भंग होती है, लेकिन इसका जन्म हुआ और अब तक न कभी यह भंग हुई है, न भंग होनी है, यानी यह eternal है। लोग आएँगे, जाएँगे, लेकिन यह व्यवस्था eternal रहती है। यह इसकी अपनी एक विशेषता है। दूसरा है विविधता, क्योंकि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है। एक प्रकार से भारत के federal structure की आत्मा यहाँ पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की 'अनेकता में एकता' का जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और समय-समय पर वह reflect भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नही होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नही होती है। उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। इसलिए यह एक ऐसी जगह है, जहाँ इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभावों, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों का लाभ देश के राजनीतिक जीवन को मिलता है। देश के नीति निर्धारण के अन्दर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है और समय-समय पर मिला है। चाहे वैज्ञानिक हों, खेल जगत के लोग हों, कला जगत के लोग हों या कलम के धनी हों, ऐसे अनेक महानुभावों के अनुभवों का लाभ हमारे देश को इस सदन के माध्यम से ही मिला है, जिनके लिए चुनावी अखाड़े को पार करके आना बहुत मुश्किल होता। इस व्यवस्था के कारण ही इन ढाई सौ सत्रों में, हमें हमारी बौद्धिक सम्पदा की रिचनेस प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं कि इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोक सभा में पहुंचने ही नही दिया गया था। यह वही राज्य सभा थी, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला। हम इस बात का गर्व करते हैं कि यह वही सदन है, जहां से देश को बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का लाभ मिला।

महोदय, यह भी देखा गया है कि एक लम्बा कालखंड ऐसा था, जहां विपक्ष जैसा कुछ खास नही था और विरोध भाव बहुत कम था। एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा रहा है। उस समय शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे थे, उनको इसका बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, जो आज नही है। आज डगर-डगर पर संघर्ष रहता है, डगर-डगर पर विरोध भाव रहता है, लेकिन उस समय विरोधी

पक्ष न के बराबर था, लेकिन तब भी इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभवी और विद्वान लोग बैठे थे, जिन्होंने शासन व्यवस्था में कभी निरंकुशता नही आने दी। शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में प्रेरित करने के कठोर काम इसी सदन में हुए हैं। इस सदन के माध्यम से यह कितनी बड़ी सेवा हुई, इसका हम गर्व कर सकते हैं। यह हम सबके लिए स्मरणीय है।

आदरणीय सभापति जी, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस सदन के संबंध में जो बात कही, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। डा. राधाकृष्णन जी ने इसी चेयर पर बैठ कर जो कहा था, वह आज भी उतना ही उपयुक्त बैठता है। आप आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की बात का उल्लेख करते हैं या स्वयं अपना दर्द व्यक्त करते हैं, ये सारी बातें इसमें हैं। उस समय डा. राधाकृष्णन जी ने कहा था, "हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। संविधान का हिस्सा बनी इस द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा हमारे कामों से होगी। हम पहली बार अपनी संसदीय प्रणाली में दो सदनों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच, सामर्थ्य और समझ से देश में इस व्यवस्था का औचित्य साबित करें।"

ढाई सौ सत्रों की यात्रा के बाद और अनुभव का इतना संपुट होने के बाद, वर्तमान सदस्यों के और आने वाली पीढ़ियों के दायित्व और भी बढ़ जाते हैं कि डा. राधाकृष्णन जी ने हमसे जो अपेक्षा की थी, कहीं हम उससे नीचे तो नही जा रहे हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं अथवा बदलते हुए युग में हम उन अपेक्षाओं में और अच्छा value addition कर रहे हैं, आज ये सब सोचने का समय है। मुझे विश्वास है कि इस सदन की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी डा. राधाकृष्णन जी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

जैसा अभी आदरणीय सभापति जी ने कहा, अगर हम पिछले ढाई सौ सत्रों की विवेचना करें, तो यहां से कई महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं, जो देश का कानून बने, देश के जीवन को चलाने का आधार बने। अगर मैं पिछले पांच सालों का हिसाब-किताब भी देखूं, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मुझे भी मिला है। मुझे हर किसी का विद्वतापूर्ण विचार सुनने का सौभाग्य मिला है और कई बातों को नये सिरे से देखने का अवसर इसी सदन से मिला है। इसके लिए मैं खुद लाभान्वित हुआ हूँ और मैं सबका आभारी भी हूँ। अगर हम चीजों को सीखें, समझें, तो बहुत कुछ मिलता है और वह मैंने यहाँ अनुभव किया है। मेरे लिए तो आप सबके बीच कभी-कभी आकर सुनने का जो मौका मिलता है, वह अपने आप में एक सौभाग्य है।

अगर हम पिछले 5 सालों की ओर देखें, तो वह यही सदन है कि तीन तलाक का कानून पास होगा कि नही होगा, हरेक को लगता था कि यही पर अटक जायेगा, लेकिन यह इसी सदन की maturity है कि इसने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण women empowerment का काम किया था। हमारे देश में आरक्षण को भी लेकर हर पल संघर्ष के बीज बोये गये हैं। उसमें से तनाव पैदा

[श्री नरेन्द्र मोदी]

करने के भरसक प्रयास भी किये गये हैं, लेकिन यह गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को 10 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय किया, लेकिन देश में कही तनाव नही हुआ, विरोध-भाव पैदा नही हुआ, सहमति का भाव बना। यह भी इसी सदन के कारण सम्भव हुआ है।

इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जीएसटी पर लम्बे अरसे से जिन लोगों की भी शासन में जो जिम्मेवारी है, हरेक ने मेहनत की। इसमें कमियाँ हैं या नही हैं, सुधरनी चाहिए या नही सुधरनी चाहिए, इन सारी बातों पर डिबेट चलती रहेगी, लेकिन one nation one tax system की ओर इसी सदन ने सर्वसम्मति बना कर देश को दिशा देने का काम किया है और उसी के कारण हम एक नये विश्वास के साथ विश्व में अपनी बात रख पा रहे हैं।

देश की एकता और अखंडता-- इसी सदन में 1964 में जो वादे किये गये थे कि एक साल के भीतर-भीतर इस काम को कर दिया जायेगा, जो नही हो पाया था, वह धारा 370 और 35ए का काम था। इसी सदन ने देश को दिशा देने का काम पहले किया, बाद में लोक सभा ने किया है। इसलिए इस सदन ने देश की एकता और अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अन्दर इतनी जो भूमिका अदा की है, वह भी अपने आपमें इसकी एक विशेषता है। यह सदन इस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अन्दर धारा 370 आयी, उसको introduce करने वाले मिस्टर एन. गोपालास्वामी इस सदन के पहले नेता थे, वे first leader थे, उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ किया। वह घटना अब एक इतिहास बन चुकी है, लेकिन वह यही पर हुआ है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को जो दायित्व दिया है कि हमारी प्राथमिकता है- कल्याणकारी राज्य, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेवारी है-राज्यों का कल्याण। यानी भारत में as such हम कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करें, लेकिन at the same time हम लोगों का दायित्व राज्यों का भी कल्याण है और ये दोनों मिल कर, राज्य और केन्द्र मिल कर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं और उस काम को करने में इस सदन ने, क्योंकि यह राज्यों का रिप्रिजेंटेशन पूरी ताकत के साथ करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभायी है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने का भी हमने काम किया है। हमारा संघीय ढाँचा हमारे देश के विकास के लिए सबसे अहम शर्त है तथा केन्द्र और राज्य सरकारें मिल कर काम करें, तभी प्रगति सम्भव होती है। राज्य सभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में केन्द्र और राज्य सरकारें प्रतिद्वंद्वी नही हैं, लेकिन हम प्रतिभागी बन कर, सहभागी बन कर देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। यहाँ जिन विचारों का आदान-प्रदान होता है, उसका जो अर्क है, उसको यहाँ बैठे प्रतिनिधि अपने राज्यों में ले जाते हैं, अपने राज्य की सरकारों को बताते हैं। राज्य की सरकारों को उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने का काम जाने-अनजाने में और सतर्क रूप में भी करने की आवश्यकता होती है। देश का विकास और राज्यों का विकास - ये दो अलग चीजें नही हैं, राज्यों के विकास के

बिना देश का विकास संभव नही है और देश के विकास का नक्शा राज्यों के विकास के विपरीत होगा, तो भी राज्य विकास नही कर पाएंगे। इन बातों को यह सदन सबसे ज्यादा प्रतिबिम्बित करता है, जीवंतता के साथ प्रतिबिम्बित करता है। बहुत ही नीतियां केन्द्र सरकार बनाती हैं, उन नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं, राज्यों की स्थिति, राज्यों का अनुभव, राज्यों की रोजमर्रा की दिक्कतें, उन बातों को सरकार के नीति निर्धारण में बहुत ही सटीक तरीके से कोई ला सकता है, तो यह सदन ला सकता है, इस सदन के सदस्य ला सकते हैं और उसका लाभ फेडरल स्ट्रक्चर को भी मिलता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सब काम एक साथ होने वाले नही हैं, कुछ काम इन पांच सालों में होंगे, तो कुछ काम अगले पांच सालों में होंगे, लेकिन दिशा तय होती है और वह काम यहां से हो रहा है।

आदरणीय सभापति जी, 2003 में जब इस सदन का 200वां सत्र था, तब भी एक समारोह हुआ था और तब भी सरकार एनडीए की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। उस 200वें सत्र के समय आदरणीय अटल जी का जो भाषण था, वह बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनकी बात करने का अपना एक लहजा था। उन्होंने कहा था कि हमारे संसदीय लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए सेकंड चैम्बर मौजूद है और उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि इस सेकंड हाउस को कोई सेकंडरी हाउस बनाने की गलती न करे। अटल जी ने यह चेतावनी दी थी कि इस सेकंड हाउस को कभी भी सेकंडरी हाउस बनाने की गलती न करें। जब मैं अटल जी की उन बातों को पढ़ रहा था, तो मुझे भी लगा कि आज के समय के अनुसार इसको कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करना है, तो मैं कहूंगा कि राज्य सभा सेकंड हाउस है, सेकंडरी हाउस कभी भी नही है और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए।

जब हमारी संसदीय प्रणाली के 50 साल हुए, तब अटल जी का एक भाषण हुआ था और उस भाषण में बड़े कवि भाव से उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था, 'एक नदी का प्रवाह तभी तक अच्छा रहता है, जब तक कि उसके किनारे मजबूत होते हैं'। और उन्होंने कहा था कि भारत का जो संसदीय प्रवाह है, वह हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक किनारा लोक सभा है, दूसरा किनारा राज्य सभा है, ये दोनों मजबूत रहेंगे, तभी जाकर लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रवाह बहुत ही सटीक तरीके से आगे बढ़ेगा। यह बात आदरणीय अटल जी ने उस समय कही थी।

एक बात निश्चित है कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्?चर है, विविधताओं से भरा हुआ है, तब यह भी अनिवार्य शर्त है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ओझल नही होना है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हमें हमेशा ही केन्द्रवर्ती रखना ही होगा, लेकिन हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जो क्षेत्रीय हित हैं, इनका संतुलन भी बहुत सटीक तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे और यह काम सबसे अच्छे ढंग से कही हो सकता है, तो वह इस सदन में हो सकता है, यहां के माननीय सदस्यों के द्वारा हो सकता है और मुझे विश्वास है कि वह काम करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। एक प्रकार से राज्य सभा

[श्री नरेन्द्र मोदी]

के मूल सिद्धांतों के लिए check and balance का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन checking और clogging, इनके बीच अंतर बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। Balance and blocking, इसके बीच भी हमें balance बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। हमारे अनेक महानुभाव यह बात बार-बार कहते हैं कि सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, संवाद के लिए होना चाहिए, विचार-विमर्श के लिए होना चाहिए। तीखे-से-तीखे स्वर में विवाद हो, इससे कोई नुकसान होने वाला नही है, लेकिन आवश्यक है कि हम रुकावटों के बजाय संवाद का रास्ता चुनें।

मैं आज जिनका उल्लेख कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं आज दो दलों का उल्लेख करना चाहूँगा-एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। किसी और का नाम छूट जाए, तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो दलों का उल्लेख कर रहा हूँ। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए कि इन्होंने खुद से यह discipline तय किया है कि हम वैल में नही जाएंगे और मैं देख रहा हूँ कि इनके एक भी सदस्य ने एक बार भी नियम नही तोड़ा है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, including my party, हम सभी को सीखना होगा कि इस नियम का पालन करने के बावजूद न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा में कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा में रुकावट आई है। मतलब वैल में न जाकर भी लोगों के दिल हम जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ऐसी उच्च परंपराएं निर्माण की हैं, इससे उनका कोई राजनीतिक नुकसान नही हुआ है। मैं including treasury benches सभी से यह कहना चाहता हूँ कि क्यों न हम उनसे कुछ सीखें? वे हमारे सामने मौजूद हैं। जब हम भी वहाँ बैठे थे, तब हमने भी यह काम किया था, इसलिए मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूँ कि एनसीपी, बीजेडी दोनों ने बहुत उत्तम तरीके से इस discipline को follow किया है। कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज जब हम 250वां सत्र आरंभ कर रहे हैं, तो ऐसी उत्तम घटनाओं का जिक्र होना चाहिए और लोगों के ध्यान में यह लाना चाहिए।

सभापति जी, मुझे विश्वास है कि सदन की गरिमा की दिशा में जो भी आवश्यक है, उसे करने में सभी सदस्य अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। आपकी वेदना, व्यथा प्रकट होती रहती है। हम सब कोशिश करेंगे कि 250वें सत्र पर हम सब संकल्प लेंगे, विशेषकर हम लोग भी लेंगे, ताकि आपको कम से कम कष्ट हो, आपकी भावनाओं का आदर हो और आप जैसा चाहते हैं, वैसा इस सदन को चलाने में हम आपके एक साथी बनकर सारे discipline को follow करने का प्रयास करें। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है, उन सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सभापति: मुझे तभी कष्ट होता है, जब देश का समय नष्ट होता है। इतनी ही बात है, otherwise कोई बात नही।

DR. MANMOHAN SINGH (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, it has been an honour to have served as a Member of this august House since 1991. I have had the privilege to serve here as the Leader of the Opposition from 1998 to 2004 and then, subsequently, as the Leader of the House, from 2004 to 2014.

Sir, the Rajya Sabha is the Council of States. I have had the privilege to represent the State of Assam as its Rajya Sabha Member for five terms from 1991 to 2019. Now, I have the honour of representing the State of Rajasthan.

India has had two Chambers from pre-Independence days. Still, it was after intense debate that the Constituent Assembly, especially the Union Constitution Committee, arrived at a consensus on the bicameral system. Today, as we celebrate the 250th Session of the Rajya Sabha, it is appropriate for us to reflect on whether we have lived up to the vision of the framers of our Constitution. The task, before us, was spelled out by our first Chairman, Dr. Radhakrishnan, during the very first session of this august House. He had emphasized that Parliament is not only a legislative, but a deliberative body. So far as its deliberative functions are concerned, it would be open to us to make very valuable contribution. We should try to do everything, in our power, to justify to the public of this country that a Second Chamber is indeed essential to prevent hasty legislation.

During the drafting of the Constitution, Shri Gopalaswamy Ayangar advanced three reasons why India needed a Second Chamber. He expected that the Rajya Sabha would; (a) Hold dignified debates; (b) delay legislation which might be the outcome of passions of the moment; and (c) provide opportunity to the seasoned people who might not be in the thickest of political fray but who might be willing to participate in the debates with the amount of learning and importance which we do not ordinarily associate with the House of the People. For the manner in which the role of the Rajya Sabha has evolved, we must thank our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. He asserted that neither House had any particular superiority over the other. He regarded the Rajya Sabha as an equal partner with Lok Sabha in the affairs of the State. But for his efforts, the Rajya Sabha would have been reduced to a mere second or revising Chamber and relegated to a secondary position in our parliamentary system. Pt. Nehru had said it, and, I quote, "The successful working of our Constitution, as of any democratic structure, demands the closest cooperation between the two Houses. They are in fact parts of the same structure and any lack of that spirit of co-operation and

[Dr. Manmohan Singh]

accommodation would lead to difficulties and come in the way of the proper functioning of our Constitution, it is, therefore, particularly to be regretted that any sense of conflict should arise between the two Houses". As explained by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly, the Rajya Sabha represents a crucial component of the constitutional system of checks and balances. We normally think of checks and balances as operating in different branches of the Government. However, the Rajya Sabha has a central role to provide checks and balances to a majority Government in the Lok Sabha, along with its role to represent the interests of the States in our federal Union. When there is a criticism of Rajya Sabha, it is fundamentally a misunderstanding of its historic roles bestowed on this august Chamber. It is our duty to ensure that no law is passed in haste and in an atmosphere of heightened emotion. That said, are there ways in which we can improve our functioning so that we come closer to the idealistic vision of our nation's founders? When it comes to deliberation, Sir, we start with an advantage. The Rajya Sabha gets more time to deliberate in comparison to the Lok Sabha since we are only half the size, and, therefore, Members get more time to share their insights and criticism. But we can help our Members perform even better through some procedural improvements. The House must get access to Bills much earlier than is the case now. Members should get additional resources such as adequate research staff to allow them to study issues in more depth and Nominated Members and those with special expertise in a particular topic should be allotted more time for their speeches. I suggest that every year the Rajya Sabha should find time to debate on the state of Centre-State relations as this is the Council of States. Also, every year, there should be a debate in this Council on the state of nation's health and the state of nation's education. One recent innovation that has led to smoother functioning was introduced by our previous Chairman, Shri Hamid Ansari. He saw that this House was losing valuable time when Members wanted to adjourn the Question Hour to raise issues of urgent national importance. He, therefore, switched the timings of the Zero Hour and the Question Hour. The Question Hour was moved to 12.00 Noon while Zero Hour was slotted at 11.00 A.M. Now, when Members desire to raise urgent issue, that issue is often accommodated as part of the Zero Hour and the Question Hour functions much more smoothly. Thus, MPs are now able to hold the Government accountable in a full manner right now. But, for our Chamber to fully fulfil its deliberative function, it is important that we scrutinise Bills more thoroughly in Committees, where not only the Members

can apply their minds but even experts" and stakeholders opinion can be solicited, in the Sixteenth Lok Sabha, only 25 per cent of the Bills introduced were referred to Committees, much lower than the 71 per cent, and 60 per cent in the Fifteenth and the Fourteenth Lok Sabhas respectively. I would assert that regardless of what the other House does, it is crucial for our House to form Select Committees to ensure that the Bills receive the detailed scrutiny that they do deserve. What I have seen is that the Rajya Sabha Select Committees have done a commendable job of improving legislation, and I would urge that we ensure that we follow this practice for all Bills that come before this august House. A crucial differentiating factor between the two Houses is that Article 110 of the Constitution allows the Lok Sabha precedence in matters of Money Bills. In the recent past, we have seen instances of misuse of the Money Bill provision by the Executive leading to bypassing the Rajya Sabha on crucial legislations of national importance without any deliberation. Those in Treasury Benches must ensure that such instances are avoided. It dilutes the stature and importance of our institution including the Rajya Sabha. The Rajya Sabha is a permanent House. We have been designed in a manner to ensure continuity as only one-third of our Members retire every two year.

We are thus able to build on our collective wisdom without having to start afresh after every General Election. This gives us the mandate to strengthen ourselves continuously to enhance the quality of our input on legislation and on resolving the challenges facing our country.

I would further submit, Sir, that on some matters this House should be given greater respect by the Executive than is the case now. For example, important issues like redrawing the boundaries of a State, or, for that matter, abolishing certain States, converting them Into Union Territories is such a far-reaching proposal, far reaching legislation. This House, being the Council of States, should be given more powers to deal with issues like that. The Government should consult with the Council of States much more effectively before such drastic measures can be considered by the House as a whole.

With these words, I once again, Sir, thank you for arranging this discussion on 250th Session. We assure you of our full cooperation in making this House a more effective instrument of implementing the national will. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Dr. Saheb. Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Thank you, Sir,

On the occasion of 250th Session of the Council of States, I, on behalf of Ali India Trinamool Congress, exchange warmest greetings to the hon. Chairman, to the hon. Leader of the House, the hon. Leader of the Opposition, ail other distinguished and honourable Members, members of the Secretariat/Staff of Rajya Sabha and all other concerned.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Sir, I wish that this discussion could have been for a longer time than the time allotted today because it is a very crucial subject, a very crucial issue because the issue is 'Role of Rajya Sabha in Indian Polity and the Need of Reforms.'

Sir, if I look at the history for a moment, I will find that Government of India in 1919 passed Montagu—Chelmsford Reforms, introducing bicameral form of legislature. Thereafter, the Government of India Act of 1935 laid the foundation of India's federal structure. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति: प्लीज़ **...(व्यवधान)...**

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: ... establishing a bicameral Federal Legislature consisting of the Council of States and the Federal Assembly. After Independence, the Constitution of India. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति: कृपया शांत रहें। सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो रही है... प्लीज़।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, कृपया इनको बोलिए, जो लोग शांत नहीं रहना चाहते हैं **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already requested them, and I hope that they will take care of it.

श्री सुखेन्दु शेखर राय: जो लोग शांत नहीं रहना चाहते हैं, वे यहां से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दूसरों को सुनने में दिक्कत हो रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already requested all of them.

3.00 P.M.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY : So, after Independence, we have found that in Article 79 of the Constitution of India, it was stipulated and I quote, "There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People." And, Article 80 has provided for the formation of Rajya Sabha, how it will be formed, etc.

Now, Sir, on the role of Rajya Sabha, what Dr. B.R. Ambedkar said, the Chairman of the Draft Committee of the Constitution, I will quote only two-three lines. "The Governments at the Centre and States are co-equal in the sense that they derive their legitimacy and authority from a common source, that is, the Constitution itself. The Upper House in Parliament, fashioned as a Council of States, can be understood as an institutional arrangement through which constituent units become part of decision-making process at the central level itself." How the Council of States is important in our constitutional framework has been elaborately explained by Dr. Ambedkar and other hon. Members of the Constituent Assembly. There is, however, difference in powers between the two Houses. We know, as already mentioned by the hon. Chairman, that in the matter of No Confidence Motion and Money Bills, the Rajya Sabha does not enjoy the same powers as the Lok Sabha. Now, Sir, of late, there is an increasing tendency for bringing Bills as Money Bills. One of our distinguished Members, Shri Jairam Ramesh, had to run to the Apex Court to challenge decisions treating certain Bills as Money Bills. A situation has already arisen where we, particularly Members of Rajya Sabha, are not happy that on all occasions some Bills are treated as Money Bills.

Sir, I strongly feel that Rajya Sabha has played a pivotal role in upholding our constitutional goals and to fulfill the aspirations of the people living in different States of the country. Even though some pundits prescribe abolition of Rajya Sabha and in the Lok Sabha, on a number of occasions, Private Members' Bills were introduced and discussed for abolition of Rajya Sabha, it is heartening to note that the hon. Prime Minister, the hon. Chairman and the former Prime Minister, all of them, are advocating that the importance and role of Rajya Sabha should be protected by all means. This is a welcome development and I welcome the statements made by all of them. Now, Sir, some people say that there are instances of obstructionism in Rajya Sabha. There is no doubt about it. But I strongly feel that obstructionism is an essential part of

[Shri Sukhendu Sekhar Ray]

democracy because when something is done against the will of the Government, when something is done bypassing the main principles of the Constitution, then obstructionism is very much needed whether it is in that House, in this House, or outside the Houses, on the streets, by the people of India. This is an essential part of democracy which nobody can deny. It is happening all over the world. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया बोलने दें।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Now, Sir, I come to the reforms part as the time is very much limited. Many of us possibly have forgotten about the second Commission on Centre State Relations constituted by the Government of India, which was called Punchhi Commission. After Sarkaria Commission, Punchhi Commission was constituted and the Punchhi Commission on Centre State Relations submitted its report in 2010. We are now in 2019. The recommendations have not yet been finalized by successive governments at the Centre including the present Government. Now, what were those recommendations in regard to Rajya Sabha? I am concentrating only on Rajya Sabha. The first statement that the Punchhi Commission made in regard to Rajya Sabha is, "The essence of federalism lies in maintaining a proper balance of power in governance and in this respect, the Council of States, that is, Rajya Sabha, occupies a significant role. There is no doubt that Rajya Sabha is a representative of States of the Union and is supposed to protect States' rights in central policy making." The Punchhi Commission further says, "The Commission is of the considered view that factors inhibiting the composition and functioning of the second Chamber as a representative forum of States should be removed or modified even if it requires amendment of the constitutional provisions. This is felt more important now when centralization tendencies are getting stronger and fragmentation of the polity is becoming intense." Nowadays, we are finding that centralisation of power, based on majoritarianism, is acute and, therefore, this recommendation of the Punchhi Commission must be adhered to. With regard to the second recommendation regarding Rajya Sabha reforms, the Punchhi Commission says, "Whenever Central policies are formulated in relation to one or more States...", as the hon. former Prime Minister stated, "...it is only proper that Committees of Rajya Sabha involving representatives of concerned States are allowed to discuss and come up with alternate courses of action acceptable to the States and the Union. In fact,

Rajya Sabha offers immense potential to negotiate acceptable solutions to the friction points which emerge between Centre and States in fiscal, legislative and administrative relations". Finally, the Punchhi Commission recommending about Rajya Sabha says, "A balance of power between States *inter se* is desirable and this is possible by equality of representation in the Rajya Sabha. If the Council of States has failed to function as representative of States as originally envisaged, it is because of the asymmetry of coalition politics and the way the party system developed. The functioning of Rajya Sabha can be reformed to achieve the original purpose of federal equilibrium. The Commission, therefore, strongly recommends amendment of the relevant provisions to give equality of seats to States in the Rajya Sabha, irrespective of their population size." That is a very crucial recommendation whether one accepts it or not. The Commission is also of the considered opinion that the reasoning of the Supreme Court in Kuldip Nayar case whereby the domicile requirement was done away with, that should be restored. Section 3 of the Representation of the People Act should be revived in its original form. That is the recommendation of the Punchhi Commission. Before coming to the Rules of Rajya Sabha, I want to submit that right now even the existing legislative powers of Rajya Sabha are under attack because many Bills are termed as 'Money Bills', as I have already stated above. Now coming to the Rules of Rajya Sabha, I will give you one example. We cannot discuss the role of the Governor unless we move a substantive motion. I moved a substantive motion against one former Governor. It was listed in two consecutive Sessions but was never taken up. This is the fate of substantive motions.'. Therefore, some provision should be made so that we can discuss institutions like the Office of Governor because it is very essential. Governors are appointed, and nowadays people call them agents of the Central Government, I do not subscribe to that view. But, unfortunately, this is the common view. In some States, the roles that are being performed by the Governors are detrimental to the constitutional scheme and the interests of the people at large. हमारे राज्य में जो हो रहा है ...**(व्यवधान)**... राज्यपाल जी कभी भी कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है, तो राजनीति कीजिए, आप राजनीतिपाल मत बनिए। राज्यपाल से आप राजनीतिपाल मत बनिए। अगर आपको राजनीति करनी है, तो आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजभवन को छोड़कर कीजिए। हर रोज आप उल्टा-सीधा बोले...

श्री उपसभापति: आप राजभवन से... प्लीज आप जानते हैं कि उसके बारे में बात करने के लिए, you have to ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am referring to the Rules. अगर चर्चा के लिए substantive motion नही आता है, तो हम कैसे चर्चा करेंगे। हमें तो कोई अवसर दिया जाना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है कि constitutional guidelines के मुताबिक राज्यपाल को भी नियंत्रित करना है। **...(समय की घंटी)...**

श्री उपसभापति: मेरा माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह है कि सदस्य अपनी बात रखते हैं और यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, अगर आपको बातचीत करनी हो, तो कृपया बाहर जाकर करें। इससे उनको व्यवधान होता है। श्री ए. नवनीतकृष्णन जी।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, this is the greatest occasion. The opportunity has been given to AIADMK. I would very humbly submit certain things. Subject to corrections, as all the Members have spoken on a particular line, I want to present a different line in the light of the decision rendered by the England Court. The England Court has held that prorogation of Parliament is justiciable. It is amenable under its jurisdiction and a valid judgment can be rendered. In the light of that judgment and also fully for the sake of completion the hon. Members know better than me I am pointing out the Articles of the Constitution. I am not telling anything new. I would like to draw the kind attention of this House to Article 12, which defines what State is. In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. So, in the definition of State, the Parliament of India is specifically mentioned. We are conducting the proceedings. The last Session was highly productive, quantitatively and qualitatively. But, regarding the stalling or wash-out or obstructing the proceedings, my humble submission would be that obstruction cannot be stretched, cannot be taken over to the extent of the entire day or the entire session. It can be confined to a particular time period in an effective manner. My humble submission to this august House would be, — subject to correction, I am very carefully telling that I never assert what I say is correct — we have to stress without distress. We must draw our point but not to the extent of stalling the entire proceedings to the whole day or to the whole Session. I think, it is unconstitutional and illegal, it is not permissible under our Parliamentary sovereignty system, in our democracy, Parliament is sovereign. The Parliament must function all the 24 hours. From the reading of this U.K. judgment, what Is expected from the Parliament is that as the Parliament is called sovereign, it must function all the 24 hours and it must make the

Government accountable for its acts or failures. That is the scheme. That is the rule of law. That is the democracy which we have contemplated, which we want to have. From the cursory reading of the U.K. Judgment, holding of Committee meetings and taking of evidences are not done during the prorogation. But, in our system of Parliamentary practice, we are taking evidence; we are holding Committee meetings though the Parliament is not in session. We are following a very good practice, I am saying, Sir, autonomy of the State is always effected by the Centre; whether the party in power is 'A' or 'B', is immaterial. For example, NEET, NEET, NEET! We, the people of Tamil Nadu are suffering. Now, many irregularities, illegalities are coming out in conduct of the NEET examination. We have very good infrastructure. We have very good talent in medicine field. But, the Central Government is enforcing NEET on Tamil Nadu, though in Tamil Nadu Legislature, without any opposition, two Bills have been passed. But, these Bills are not able to reach the Office of the hon. President or His Excellency, the President. I am not saying that this Government or that Government has done this, or, this party or that party has done this. That is immaterial, but the States, especially Tamil Nadu, are always aggrieved. Whether the party in power is 'A' or 'B', it is immaterial. For example, we are suffering in the case of NEET. So, my humble submission would be that the Parliament must be in session always. We must make the Government accountable all the 24 hours in a day. The functioning of the Parliament cannot be stopped even for a minute without any justiciable reason. This is my understanding after reading of all these books and other materials. Now, if we talk about the Parliament, our Constitution says that the State cannot act arbitrarily. It is the law. Arbitrary act is prohibited. The State cannot act arbitrarily. Now, obstructing the proceedings of the Parliament for the whole day, or a week or the whole Session is impermissible. This is my humble submission. If.there are no other ways and means to get our grievances redressed, we must find out some new ways, we must innovate, but we must not stall the proceedings of the House. Definitely, a day will come when a writ will be filed in the Supreme Court of India, if not in the Supreme Court of India, at least, in the High Court of Delhi, against the Parliament of India. There is nothing wrong in it because if proceedings are stalled, then these are not proceedings at all. There must be some business transacted, only then it can be termed as 'proceedings of the Parliament' or 'proceedings in the Parliament'. Sir, we must find out ways and means to get our grievances redressed. Now, we are suffering on the issue of NEET. Our young students are committing suicides. There must be some solution. Regarding the

[Shri A. Navaneethakrishnan]

proceedings of Parliament, I may be permitted to read one paragraph from the U.K. judgment for the kind consideration of hon. Members. Paragraph 68 of this judgment states, "The prorogation itself takes place in the House of Lords and in the presence of Members of both Houses. But it cannot sensibly be described as a 'proceeding in Parliament'. It is not a decision of either House of Parliament. Quite the contrary: it is something which is imposed upon them from outside. It is not something upon which the Members of Parliament can speak or vote. The Commissioners are not acting in their capacity as Members of the House of Lords but in their capacity as Royal Commissioners carrying out the Queen's bidding. They have no freedom of speech. This is not the core or essential business of Parliament, Quite the contrary: it brings that core or essential business of Parliament to an end." So, obstructing the House is bringing the core or essential business of Parliament to an end. So, it is worse than prorogation. This is my humble submission.

Regarding the protection given to the Members, I wouid iike to draw your kind attention to Article 105(2) of the Constitution. It states, "No Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication, by or under the authority of either House of Parliament, of any report, paper, votes or proceedings." So, the protection is given only for anything said, or any vote given in the House. Sir, now, if we are obstructing the House then it is illegal and unconstitutional. We can express our concerns only in a limited manner and in an effective way without obstructing the House. This is my humble submission. Also, I may be permitted to read Article 122 of the Constitution, "Courts not to inquire into proceedings of the Legislature:

1. The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

2. No officer or Member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution ...(Time-bell rings)... for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in Parliament shall be subjected to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: So, even an individual Member of Parliament may be called upon to answer by our citizens. This is my view.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Now, again, at the risk of repetition, I am telling the House about NEET. The Central Government has no constitutional power, statutory power or even the prerogative or common law power to retain these Bills. ...*(Time bell rings)*... These Bills will automatically go to the President and the President must assent to it automatically.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I will now call the other speaker.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: If the Centre wants, it can bring a Bill, and the Bill becomes the property of this House. So, with regard to NEET, Tamil Nadu is the most aggrieved State and the students are suffering there. Please render justice.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी थैंक यू।

श्रीमान्, ब्रिटिश पार्लियामेंट संसदीय शासन प्रणाली और संसद की जननी है। जो political science के students रहे हैं और जानकार हैं, वे सब जानते हैं कि जो House of Lords आज है, वही मूल संसद थी और वही पहला सदन था। बाद में चलकर, जब राजाओं को पैसे की, जनता पर tax लगाने की जरूरत पड़ी तब यह नारा लगा कि no taxation without representation. तब कॉमनर्स आए। एक ही सदन था, लेकिन फिर कॉमनर्स अलग बैठने लगे और द्विसदनात्मक संसद हो गई। लॉर्ड्स थे, तो निष्क्रिय रहे, इसलिए धीरे-धीरे कॉमनर्स ने कहा कि वित्त पर अधिकार हमारा है, मनी बिल्स पर अधिकार हमारा है। शुरू-शुरू में इसका थोड़ा-बहुत विरोध किया गया, लेकिन फिर विरोध नहीं किया तो वे अधिकार हॉउस ऑफ कॉमन्स के हाथ में चले गए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सभा के लोग अगर निष्क्रिय होंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तो प्रधान मंत्री जी ने जो secondary सदन की बात कही थी कि जिस तरह से लोग कभी-कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को secondary chamber कहते हैं, वैसे ही इस राज्य सभा को भी लोग secondary chamber कहने लगेंगे। उस सदन में क्या हो रहा है, हम केवल उसमें हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं हैं।

कौंसिल ऑफ स्टेट्स का लेजिस्लेशन के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह राज्यों, जहाँ से प्रतिनिधि आते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना और देखना भी है। राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए अगर उन्हें हाउस को रोकना पड़ेगा, तो रोकेंगे। जनता की डिमांड यह होती है, जनता यह expect करती है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर राज्यों के खिलाफ कुछ हो रहा है और हम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह जो सदन है, यह बिल्डिंग राज्य

[प्रो. राम गोपाल यादव]

सभा नही है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वे राज्य सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही उनके प्रतिबिम्ब हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करेंगे, तो राज्य सभा का सम्मान बढ़ेगा, नही करेंगे तो नही बढ़ेगा। आप देखिए कि प्रधान मंत्री जी के बोलते ही आधी बीजेपी चली गई। उसके थोड़ी देर बाद सब चले गए। इसलिए धीरे-धीरे लॉर्ड्स की यह स्थिति होती जा रही है, क्योंकि चुनाव लड़ कर तो आना नही पड़ता है, एक पैसा खर्च करना नही पड़ता है, किसी से वोट माँगना नही पड़ता है। पार्टी जिनको nominate कर देती है, वे राज्य सभा में आ जाते हैं। इसलिए वे बैठें या न बैठें, सब लॉर्ड्स हैं। अगर यही आचरण रहेगा, तो फिर कोई care करेगा भी नही। जनता क्यों इज्जत देगी? सरकार बनाने-बिगाड़ने का अधिकार लोक सभा के मेम्बर्स को है, तो जनता में उनका ज्यादा सम्मान होगा, आपका नही होगा, अगर आप यहाँ अपने अधिकारों का प्रयोग नही करेंगे। इसलिए बहुत आदर्शवादी बात कहना कि वेल में नही जाना चाहिए, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिएगा कि अगर इस हाउस में वेल में सबसे ज्यादा कोई गया है, तो दोनों बड़ी पार्टियाँ ही गई हैं। ये ही सबको उपदेश देते हैं और ये ही जब विपक्ष में आ जाते हैं, तो पूरा-पूरा सदन नही चलने देते हैं, सत्र नही चलने देते हैं। मैं तो आज से नही, 1992 से लगातार मेम्बर हूँ, केवल एक बार बीच में लोक सभा में चला गया था। मुझे दोनों सदनों का अनुभव है। मैं जानता हूँ कि किस तरह से हमेशा लोग इस तरह की बात करते हैं।

श्रीमन्, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। यह एक ऐसा टॉपिक है, जिस पर अगर मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए, तो मेरे पास कम से कम ढाई घंटे बोलने का समय होना चाहिए, जिससे मैं लोगों को पढ़ा सकूँ। मैंने तो एमए के क्लासेज़ को दसियों वर्ष ये सब चीजें पढ़ाई हैं, सारी दुनिया के Consultations, किस तरह से British Constitution evolve हुआ और किस तरह से ये सारी संस्थाएँ बनी। हम 'Speaker' क्यों कहते हैं? 'Speaker' का मतलब अध्यक्ष तो होता नही है, 'Speaker' का मतलब Chairman नही होता है, but he is the Speaker. ऐसा इसलिए लिए है, क्योंकि एक वक्त था, जब Speaker की जान खतरे में होती थी, तो संसद वालों ने, Commoners ने कहा कि तुम हमारी बात राजा से कहने अकेले जाओ। राजा निरंकुश था। वह प्रसन्न हो गया, तो कोई बात नही, लेकिन नाराज हो गया, तो गला काट दिया, जेल भिजवा दिया। He used to speak to the King on behalf of Parliament, and, that is why, he was called Speaker. अब वे सारी परंपराएँ यहाँ हैं। जिसका नाम लिया जाता था, वह Speaker बनना नही चाहता था, तो एक इधर से हाथ पकड़ लेता था, एक उधर से पकड़ लेता था और वहाँ ले जाकर बैठा देता था। अब वह सम्मान जैसी बात हो गई। वे सारी चीजें, वे परंपराएँ, जो British Constitution का evolution है, वे सब हमारे यहाँ क्या, दुनिया भर में, जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है, whether it is Canada or Australia, वहाँ हैं। इस तरीके के देश ज्यादा नही हैं, लेकिन मुख्य रूप से British Parliament system इन देशों में लागू है। इस वजह से हम उन चीजों में नही जाना चाहते हैं और न पूरी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि

चूँकि यह राज्यों की सभा है, Council of States, हिन्दुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं, जिनका बहुत कम representation है। वे लोक सभा में भी एकाध हैं और यहाँ भी एक हैं, दो हैं। लोक सभा जनसंख्या के आधार पर है, कोई बात नही, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि राज्य सभा में छोटे से छोटे राज्य के भी कम से कम 6 मेम्बर्स आने चाहिए, ताकि हर दूसरे साल दो मेम्बर्स retire होते रहें, लेकिन यहाँ 6 मेम्बर्स रहें। हम देखते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट का कोई आदमी खड़ा हो जाता है, वह हाउस में अकेला होता है, कोई सुनता नही है। अगर वे चार-पाँच हों, तब अपनी बात कह सकते हैं। वे अपने राज्य की बात भी नही कह पाते हैं, शोरगुल में उनको neglect कर दिया जाता है। दूसरे सदन, लोक सभा में तो हालत और खराब होती है। वहाँ उनका एक ही मेम्बर है, वह 545 मेम्बर्स का सदन है, वह पीछे खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है, कोई उसका नोटिस ही नही ले रहा है। महोदय, मैं बस एक-आध मिनट और लूंगा। मैं कोई ज्यादा सुझाव नही देना चाहता हूं। लोग यह कह सकते हैं कि लोक सभा में मिज़ोरम से, नागालैंड से केवल एक मैम्बर है, तो राज्य सभा में छः मैम्बर्स कैसे हो जाने चाहिए? यह कोई तर्क नही है। हम अगर इसे दूसरे तरीके से देखें, तो अमरीका के House of Representatives में कैलिफोर्निया राज्य से 40 मैम्बर्स आते हैं, तो senate में केवल दो मैम्बर्स आते हैं। दूसरी ओर, जिस राज्य से House of Representatives में केवल एक मैम्बर आता है, वहां से भी Senate में दो मैम्बर्स आते हैं। इस तरह Senate में सभी राज्यों से एक-समान दो-दो प्रतिनिधि जाते हैं। अमरीका में पचास राज्य हैं, तो Senate में 100 मैम्बर्स हैं। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, इसलिए मेरा एक सुझाव तो यह है कि राज्य सभा में छोटे से छोटे राज्य की मिनिमम सदस्य संख्या भी कम से कम छः होनी चाहिए। कई राज्यों में मैम्बर्स की संख्या ऑड नम्बर्स में है, जो तीन से कट नही सकती है, वहां की सदस्य संख्या को कुछ बढ़ा दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश से राज्य सभा में 31 सदस्य आते हैं। अगर 31 की बजाय उनकी सदस्य संख्या 33 सदस्य हो, तो हर दो साल में 11 मैम्बर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी 31 मैम्बर्स होने के कारण दो बार 10-10 मैम्बर्स रिटायर होते हैं और एक बार 11 मैम्बर्स रिटायर होते हैं।

दूसरा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जिन पर यह कह दिया जाता है कि यह राज्य सूची का विषय है। महिलाओं का मामला, दलित उत्पीड़न का मामला अथवा बच्चों का मामला हो, तो उनको एलाऊ कर देते हैं, लेकिन दूसरी ओर दूसरे वर्गों के लोगों के साथ भी बहुत सारी गम्भीर घटनाएं घटती रहती हैं। अपर कास्ट के साथ भी घटनाएं घटती हैं या mass killings हो जाती हैं, तब यह कह दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है, आप इसे यहां नही उठा सकते। मेरा आग्रह यह है कि अगर किसी राज्य में कही कोई गड़बड़ी होती है, तो उस सब्जेक्ट को यहां उठाने की इजाज़त होनी चाहिए।

तीसरा, ज्यूडीशियरी पर चर्चा करने का अधिकार भी हम लोगों को होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। जो तमाम चीज़ें वहां हो रही हैं, अगर वे यहां आ जाएं, तो लोग सुनें तो सही कि हमारे जज क्या कर रहे हैं?

श्री उपसभापतिः धन्यवाद प्रो. साहब, दो सुझाव देने थे, आपने एक सुझाव और दे दिया। आपका समय समाप्त हो चुका है।

प्रो. राम गोपाल यादवः आपका आदेश है, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपसभापतिः आपने दो की जगह तीन सुझाव दे दिए हैं। आगे श्री प्रसन्न आचार्य जी।

प्रो. राम गोपाल यादवः ठीक है, साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः जो टाइम स्ट्रक्चर बना है, that I will follow. Please let him speak.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I know we have time constraints. I have two other Members from my party who want to participate in the discussion. I want to give some time to them also. I will try to be very specific.

Sir, first of all, I would like to thank hon. Prime Minister because he mentioned the name of my party — Biiu Janata Dal. It is true that we have been trying our level best to cooperate with the Chair and not obstruct the proceedings of the House. We will continue to do that but without compromising on the interest and causes of the people of our State. I am very categorical about these things.

Also, I would like to pay tribute to the framers of our Constitution who after long deliberations, with their wisdom and vision, decided to go for the bicameral parliamentary system. This is the 67th year of the constitution of this House of Parliament. I think after 67 years of its existence, we have to introspect and assess whether we have done justice to the expectation and intention with which this House was constituted by the framers of our Constitution.

Sir, I am proud to say that Dr. Manmohan Singh is a Member of this House. The Rajya Sabha gave three other Prime Ministers to this country. If I am correct, Indira *ji* when she became Prime Minister for the first time was Member of the Rajya Sabha. Shri Deve Gowda *ji* when he became Prime Minister, if I am correct, was a Member of the Rajya Sabha. Shri I. K. Gujral *ji* was a Member of this House. And then Dr. Manmohan Singh *ji* became Prime Minister from this House. This is the contribution of this House to the country. He was Prime Minister for two consecutive terms for ten years. All the Members should boast about these things. This is the contribution of this House to the Indian nation.

Many people say that this is the Upper House and that is the Lower House. I don't agree with this. No House is upper and no House is lower. Both the Houses complement each other. Nobody is nobody's mentor. It is the Constitution which is the mentor and we are all guided by the Constitution whether it is this House, the Rajya Sabha, or that House, the Lok Sabha. Sir, as there is no time, I want to be very specific, I do agree with what Professor sahib was saying a while ago, and what Sukhendu babu was also saying, about representation of the States. It should not be on the basis of population. I wholly agree on this point. Professor sahib very correctly mentioned the examples of Manipur and Nagaland. There are 2-3 other States also. Even smaller States like Kerala and my State, Odisha, do not have enough representation in the House because it is provided on the basis of population.

Sir, my second suggestion is about electoral college. The electoral college needs to be reformed. It should be in line with the electoral college for composition of State Legislative Councils, as mentioned in Article 171. What is happening in the States? What is the electoral college for the State Legislative Councils? This expanded electoral college will strengthen the federal relevance of Rajya Sabha. It will have a multi-level character from a bi-level character. Now, it is only the Members of the Legislative Assemblies who constitute the electoral college. Sir, we can associate even the Panchayat level representatives. As we see, there are graduates' constituencies for Legislative Council and all that. So, I think, Sir, there should be a change in it.

Sir, my next suggestion is this. It is a very good provision that 12 Nominated Members are there in the House and they hail from different sections of the society. They are intellectual people; they are artists; they are spokespersons; they are sportspersons. But, my suggestion is, there should be no interference by the Central Government or any Government in nomination. Let the hon. President of India be given an exclusive independence to nominate as per his own choice all the 12 Nominated Members to this House. There should be no politics in this. A provision should be made for that.

Sir, I take this opportunity to request the Government to consider the Resolution of Odisha Legislative Assembly about formation of the Second Chamber in Odisha also — the Odisha State Legislative Council. It is pending consideration with the Central Government. I would urge the Central Government to bring it to this House in the form of a Resolution. Let the House pass it so that the Resolution of the Odisha Legislative Assembly to go for the Second Chamber in Odisha is materialized as soon as possible. Sir, with this, I conclude. Thank you once again.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, आज यह एक बहुत ही गौरव की बात है कि राज्य सभा का 250वाँ सत्र प्रारम्भ हुआ है और सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं।

इस हाउस के रोल की जो बात है, तो इस हाउस का सबसे बड़ा रोल लेजिस्लेशन का है, कानून बनाने का है। उसमें कुछ अधिकार हैं, जो लोक सभा और राज्य सभा दोनों को करीब-करीब बराबर ही हैं। जो ऑडिनरी बिल्स होते हैं, उनमें दोनों को बराबर अधिकार हैं। जो मनी बिल्स हैं, सिर्फ उन पर लोक सभा का विशेषाधिकार होता है, No Confidence Motion पर उसका विशेषाधिकार है, लेकिन राज्य सभा को भी दो मामलों में विशेषाधिकार है। वह आर्टिकल 249 है। स्टेट लिस्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जिस पर आप कोई टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं, तो उसका अधिकार राज्य सभा को ही है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा आर्टिकल 312 है। हिन्दुस्तान में ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज़ के क्रिएशन का भी पूरा का पूरा एक ऑथराइजेशन का जो पॉवर है, वह राज्य सभा को ही है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि ये जो दोनों हाउसेज़ हैं, दोनों के पास अपने-अपने अधिकार भी हैं और रोल इस प्रकार से आंका जाना चाहिए कि हम अपने देश में, अपने समाज में हम लोकतांत्रिक तरीके से जो सुधार लाना चाहते हैं, देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहते हैं, उसमें इस हाउस ने कितना योगदान दिया। जैसे सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये कि जितने भी लेजिस्लेशंस आये, उन पर यहाँ पूरी गम्भीरता के साथ विचार किया जाता है और सेकंड हाउस का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ अगर कोई हड़बड़ी में करे, तो दूसरा हाउस उसको देखे। Two minds are always better than one mind. कोई न कोई आपको एक सलाह दे देगा। उस बीच में समय भी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल लोक सभा में पास भी हो जाता है, उसमें कुछ कमी रहती है, तो उसको विद्ड्रॉ भी करती है। इस प्रकार से दूसरे हाउस का जो concept है, वह बहुत अच्छा है और राज्य सभा ने सफलतापूर्वक अपनी responsibilities का निर्वहन किया है।

महोदय, मैं इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिसकी चर्चा हमने इस सदन में बार-बार की है। इस हाउस में इस पर कई बार चर्चा भी हुई, कई बार लॉ कमिशन ने भी रिपोर्ट दी है और सामान्य रूप से यह माना भी जा रहा है कि हमारी पूरी की पूरी जो न्यायपालिका है, उसमें ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होनी चाहिए। हमने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की चर्चा बार-बार की है। इस मौके पर मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि इस हाउस को जो अधिकार प्राप्त है और यह समय की भी मांग है कि जब सब जगह सभी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण हो गया है, सबमें लोगों को लगता है कि हम अपनी मैरिट पर जा सकते हैं, तो यह सही समय है, जब ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की भी स्थापना की जाए। यह हमारा रोल है। इससे समाज के जितने तबके हैं, उनको जो कई बार ऐसा लगता है कि मेरा जो representation होना चाहिए, वह नही हो पा रहा है, वह भी हो जाएगा।

महोदय, एक बार इस हाउस में representation पर चर्चा हो रही थी। यह सही बात है कि यह House of States है, लेकिन यहां पर बहुत सारी Union Territories का भी representation है। इसके साथ ही कुछ Union Territories ऐसी भी हैं, जिनका representation यहां पर नही है। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन Union Territories का representation यहां पर नही है, वे भी हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं। इसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनका भी एक representation हो ताकि उनको लगे कि वहां पर हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है।

यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई, वह यह है कि हम लोगों का यहां पर कार्य करने का जो समय है, कार्य करने में हम लोगों को जो दिककतें सामने आती हैं, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। खास करके आज के समय में जैसा सब लोग समझते हैं कि कोई बिल है, वह तुरंत आता है, उसको हम जितना पढ़ पाते हैं और जितना हमारा अनुभव है, उसके आधार पर हम कर लेते हैं। अगर इसी चीज को पहले से बताया जाए, इससे संबंधित सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएं, तो उस पर यहां पर जो भी संवाद होंगे, जो भी वक्तव्य होंगे, उनमें एक तरह से काफी सुधार होंगे और इससे हमारा काम करने का तरीका भी सुधरेगा।

महोदय, सभापति महोदय ने शुरू में ही एक बात कही थी कि जो कमेटी है, उसमें लोग कम आते हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें कई परेशानियां भी होती हैं, यहां पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिनके पास यहां के काम के साथ-साथ पार्टियों की भी जिम्मेवारी होती है, इसलिए यह संभव नही हो पाता है कि सभी मीटिंग्ज़ को attend किया जाए। इसके साथ ही यह भी सही है कि लोगों को बहुत-बहुत दूर से भी आना पड़ता है और अगर सप्ताह में दो दिन मीटिंग होगी, तो उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। **...(समय की घंटी)...** लेकिन निश्चित रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी कमेटी की बैठक हो, तो वह दो-तीन दिन लगातार कर ली जाए, ताकि लोगों को समय भी मिल सके और कमेटी का भी काम हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, today is a happy occasion that you are giving us a chance to speak and share our views on this 250th Session of the Rajya Sabha. Sir, I need not go into the details. The very fact that we are meeting today at the 250th Session is a speaking tribute to the great service and great achievements made by this House during all these 67 years, and these were detailed by the Chairman himself, in the speech he had given. The questions today are about three or four things. One is the issue that is before us. Another is responding to other friends who have raised few issues as to how this House should function. But this House is functioning very well. It has won a lot of accolades, which is known to us, which have been detailed to us, as he has just now said. Sir, ours is essentially a multicultural nation with great

[Dr. K. Keshava Rao]

diversities. Let us understand that very well. We are entirely different. We were not the same as United States. Nonetheless, we had our own 500 to 600 States which had agreed to merge, and we became a nation as one. All the States have their own aspirations, their own languages, culture, traditions and what not. So what is required is a federation where we all sit together and deliberate or govern. This country, therefore, needs a federal structure and our Constituent Assembly had thought that a federal structure like this requires bicameral' system - two Houses. As Members rightly said that there is nothing like second or first, House - secondary or primary. People who are speaking must know that the Constitution itself has said that both the Houses, that is, Lok Sabha, Rajya Sabha, and the President constitute the Parliament. So, forget about the question of talking still about first or second. They have equal rights. Professor Saheb has told us as to how the House of Lords was sidelined and Commoners came in UK because of the taxation issue in their country at that time. Even here, we are evolving a Constitution and evolving this House. Here, to say that we do not have any say in the finances Is also wrong. If the Finance Minister gets up and asks any Member to sit down only because it is a Finance Bill under Article 110 of the Constitution, it is wrong. It is because we have a say in the Finance Committees. We have a say when all the Ministries come in for Demands for Grants. We have a say when the Budget comes here for discussion and also on the Appropriation Bill. Without our consent, the appropriation money is not granted. To forget that and think that both are not equal—even if you think other-wise is wrong. Let me quote Shri S. Radhakrishnan, which Members have quoted many a time. I need not repeat it. Shri Radhakrishan said that Rajya Sabha is not a legislative body alone but is a deliberative body. What is a deliberative body? A country of our size and vast culture requires some kind of a deliberation and understanding of each other. That can only happen if you have a dual polity. That means two centres of power acting together. That is how the Council of States and the House of People work. When you have these two Houses acting together, having co-ordination, only then, the governance is fine. It becomes right. This is how the things must go. Now, the question came about checks and balances. Our Prime Minister perhaps thought that checks should not mean blocking. Checks can at best be checkmating. Now, the checkmating has also never been done. But, what is done is delaying the process. I quote my friend from Trinmool, he very rightly said, that delaying is not only a strategy but that is also a polity. When you come from a

tyranny of majoritarianism or a tyranny of one House, or, of one thinking, as Shri Ram Chandra Prasad Singh just now said, that two minds are always better than one mind. If it comes from there, either, I try to correct him by my second thought or if he is not able to hear, I will delay it till he is able to understand it. This is exactly what the role of a Chamber like this is. It is a revising Chamber. We only revise the things and try to bring verson back. The other great advantage of this House is that we accommodate the best of the minds as in the case of Ambedkar ...*(Time bell rings)*... It does not mean that 12 people who are coming through the nominations are the best and others are not the best. This is a wrong notion that we have. Today, when I am looking around, I do not find a single person from the Nominated Members here. So, that is the importance we have given to the Nominated Members. The question today is that all of us are there and we give our best to the deliberations and we will arrive at some kind of a decision. Sir, this is what I have to say.

Then, the next important thing is what *Ray Saheb* has very rightly focussed on Punchhi Committee. I am not asking you to go back to all the Punchhi's seven recommendations which are still there on your table. But, at least think about the representation of the States, I mean the allotment of seats. Since it is the Council of States, think of every State, say, of North East that you have referred to, that a Member from Meghalaya thinks that he cannot speak at all. The Member from Mizoram has no time for him and even we don't have any time as you are ringing the Bell. ...*(Time bell rings)*... So, the question is as to how we can make it an effective Council of States. The Council of States can only become effective when their voices are heard. If their voices are not heard, then, how can it become one nation at all? If you think that it is one nation, one country, then, their voices must be heard and these be part of the deliberations. If you go back to the newspaper reports, as they were reported in the newspapers, I don't think a single party opposed it as far as allotment of seats is concerned. If that is given, the Council of States will be enlivened, will get that vitality. I have many things to say. But I think we need more responses to this. Number one, don't think that we are second to any. Nonetheless, it is a deliberative thing. And don't try to say that the last Session was the best Session because we passed so many legislations. Merely passing 24 legislations does not make our Session successful unless you have given us the time to deliberate on the issues which were critical.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Biswajit Daimary. You have three minutes.

श्री विश्वजीत दैमारी (असम) : सर, थोड़ा और समय कंसिडर करना होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

सर, इस हाउस में मुझे 2 साल हो गए, लेकिन लास्ट पाँच साल में यहाँ पर जो हालत हुई, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमें अब दो हाउस की जरूरत नही है, मतलब राज्य सभा की जरूरत नही है, क्योंकि लोक सभा में जो होता था, राज्य सभा में भी वही होता था। वहाँ जिन मुद्दों को लेकर हो-हल्ला मचता था और हाउस adjurn होता था, उन्ही कारणों से यहाँ पर भी हंगामा होता था, जो कि यहाँ ज्यादा हो गया। लेकिन, बात वही है। किसी भी बिल के ऊपर अच्छी तरह से डिस्कशन नही हो पाया, जो कि नही होना चाहिए था। इस हाउस को जिस कारण के लिए बनाया गया है, हमें उसी पर बात करनी चाहिए। देश के लिए बहुत-से बिल लोक सभा में तो पास किए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक यहाँ पास नही किया गया है, उन पर अच्छी तरह से डिस्कशन नही हो पाया है। अगर उनको राज्य सभा पास करती जाएगी, तो देश के लिए हमने जो नियम-कानून बनाने की कोशिश की है, उसको वास्तव में हम पूरा कर पाएँगे।

इसमें सुधार के लिए मेरा कहना भी वही है, जो बाकी लोगों ने कहा। हमारे जो बहुत-से पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ की जो समस्याएँ हैं, उन पर कम से कम हम लोगों को यहाँ आकर बात करने का एक मौका मिलना चाहिए, जो कि यहाँ नही हो पा रहा है। सर, मैं नॉर्थ-ईस्ट से हूँ और वहाँ बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन इन समस्याओं को राज्य सभा के इस सदन में विस्तृत रूप से बताने के लिए हमारे पास कोई मौका नही है। बड़ी पार्टी में वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका नही मिलता है, क्योंकि पार्टी में बड़े-बड़े नेता हैं, तो नॉर्थ-ईस्ट के लोग पीछे रह जाते हैं और इसलिए उनको टाइम नही मिलता है। वह पार्टी अपने टाइम में से उनको सिर्फ दो-तीन मिनट देती है। बाकी, छोटी पार्टियों की यह हालत है कि मुझे अभी केवल तीन मिनट का टाइम मिला है। केवल तीन मिनट में हम नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि स्पेशली इस तरह की जो समस्या है, इसको कैसे सुधारा जाए, यह देखना भी जरूरी है। देश का अंग होने के नाते, isolated areas और पिछड़े हुए एरियाज़ के हिसाब से वहाँ की जो समस्या है, उसको यहाँ के ज्ञानी लोग सुनकर ही उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे कानून में व्यवस्था कर सकते हैं, इसलिए उस बारे में बात करने का हमें एक मौका मिलना चाहिए।

सर, नॉर्थ-ईस्ट में insurgency की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि 50 सालों से चली आ रही है। लेकिन, आज भी यहाँ उस बारे में स्पेशल डिस्कशन रेज करने के लिए हम लोग पत्र नही दे पा रहे हैं, क्योंकि इसको रेज करने के लिए दिए जाने वाले पत्र पर कुछ एमपीज़ को एक ही साथ साइन करना पड़ता है। उस पर केवल एक एमपी के साइन करने पर उस बारे में डिस्कशन करने का मौका नही मिलता है। अगर उस पर हमें डिस्कशन करने का मौका नही मिलेगा, तो जितने भी बड़े नेता या कोई मंत्री ही क्यों न हों, उनको अगर नॉर्थ-ईस्ट की इन समस्याओं

का पता नही चलेगा, तो फिर वे इसका समाधान करने के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे? ...**(समय की घंटी)**... आप यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस विषय में हम कैसे सुधार ला सकते हैं और हमारे जैसे एक अकेले सदस्य को भी मिनिमम 0 मिनट बोलने देने का एक सिस्टम कैसे लाया जा सकता है, ताकि हम अपनी समस्याओं को बता सकें, इस पर भी हमें सोचना चाहिए।

इसके अलावा, प्रो. राम गोपाल जी ने कहा कि और प्रतिनिधित्व चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ कि असम में हमारे संविधान द्वारा under Sixth Schedule कुछ Councils बनाई गई हैं और उनको राज्य की तरह Seventh Schedule के द्वारा क्षमता दी गई है, लेकिन वहाँ से राज्य सभा में कोई प्रतिनिधित्व नही है। इसलिए, Bodoland, Karbi Anglong और Dima Hasao आदि जगहों से भी राज्य सभा में सदस्य लाने के लिए एक व्यवस्था की जाए, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ। हमारी ऐसी बहुत-सी सीरियस समस्याएँ हैं, जिनको यहाँ पर उठाने के लिए अगर एक मेम्बर भी आपसे रिक्वेस्ट करे, तो उसके ऊपर भी Special discussion हो, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Birendra Prasad Baishya. You have only three minutes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. It is a matter of great privilege and honour for me to associate myself in this historic Rajya Sabha Session. Rajya Sabha always plays a very important role in our parliamentary democracy. People like Ambedkar, Bhupesh Gupta and Piloo Mody were Members of this august House, and their contribution to the nation is recognized by everybody. Our great leader, Shri Arun Jaitleyji was a Member of this august House, and his contribution to the Indian Parliamentary Democracy is very high. Sir, Rajya Sabha is representing the States. Being a representative of the States, it always enjoys some special powers. Under Article 249, being a representative of the States, Rajya Sabha can interfere in the State matters also. Earlier, on many occasions, Rajya Sabha, with two-third majority, had passed such Resolutions, and, in fact, intervened on many issues concerning the States. In 1952 and in 1956, Rajya Sabha passed such Resolutions with respect to the matter mentioned in the State List, Entries 26 and 27, Entries 1 to 4, 64 and 65. Again, under' Article 312, Parliament is empowered to create by law one, or more than one All India Services for Indian States, if Rajya Sabha passes a Resolution. With this power, Rajya Sabha in 1961 and 1965, created Indian Engineering Service, Indian Forest Service, Indian Medical Service and Indian Agriculture Service. Rajya Sabha enjoys a very, very special power.

4.00 P.M.

[Shri Birendra Prasad Baishya]

Lok Sabha has a power on Financial Bill. Rajya Sabha has this power of passing a Resolution. That is, when an emergency is imposed in the country, when Lok Sabha is dissolved within the specific time period, Rajya Sabha has to pass a Resolution. I would like to submit one more thing. I totally agree with my colleague Shri Biswajit Daimary. He very rightly said that we are here a small party. Every Member who represents States in Rajya Sabha, he represents a specific State. He may be allowed to speak, but, we should not forget the fact that he is representing one State. From Meghalaya, there is only one Rajya Sabha Member; from Nagaland, there is only one Rajya Sabha Member; from Mizoram, there is only one Rajya Sabha Member; but, Sir, we should not forget that although he is a lone Member, he is representing a State, he is representing crores of people. So, when you are allotting some time, you have to look into this fact. Don't look at him as a lone Member. He is representing a specific State. So, he should also get an opportunity to speak in the House. Sir, the North Eastern States have some specific problems. Nagaland has some specific problems; Mizoram has some specific problems; Assam too has some specific problems. But, Sir, when Members belonging to other parties raise many issues in their interests as they have enough numbers, we can't do it because, as per the existing rules, at least ten Members have to sign for a debate. I request you to change this approach and this rule to see to it that all Members— whether their number is one, two or any— belonging to any State, are given equal opportunity to express their opinion in this House. Thank you, Sir.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय उपसभापति महोदय, आज सदन में राज्य सभा के 250वें सत्र पर यह विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माननीय सभापति जी को बधाई देना चाहूंगा कि राज्य सभा के 250वां सत्र शुरू होने पर हमारे सदन में आगे किन परंपराओं को बढ़ाया जाए, सदन की कार्य-पद्धति में क्या सुधार लाया जा सकता है, हमारे सदन की जो परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या संकल्प लें, इसके लिए एक अच्छी चर्चा का आयोजन किया गया है। इस सदन में, मैं जब नए सदस्य के रूप में आया था, तो हमारे दल के नेता माननीय अरुण जेटली जी द्वारा सदन की कार्यवाही में किस प्रकार से भाग लेना चाहिए, उनकी हमेशा हमें गाइडेन्स मिलती थी। नए सदस्य होने के नाते इस सदन में जब एफ.डी.आई. पर चर्चा हुई थी, तो आनन्द शर्मा जी इस तरफ से थे, अरुण जेटली जी उस तरफ से थे। मैंने सदन में एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा होती हुई देखी थी। दोनों

तरफ से चर्चा में बहुत गर्मी थी, विषय था, लेकिन उस चर्चा के बाद मुझे ध्यान में आया कि राजनीति में आपस में विचारों को इस प्रकार से रखा जा सकता है कि देश के सामने वह विषय बड़ी समग्रता के साथ आता है। मुझे विशेष रूप से ध्यान है कि जब लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो अरुण जी का जो भाषण था, उसमें उन्होंने विषय को रखते समय किस तरीके से पूरे विवेक, तथ्य और उसको पूरा जीवंत बनाकर विषय रखे थे। तो राज्य सभा की कई डिबेट्स हमारे मन में उस प्रकार से बसी हुई हैं। पिछले कार्यकाल में भी जो महत्वूपर्ण और अहम विधेयक थे, चाहे जी.एस.टी. का विधेयक हो, इंसॉल्वेन्सी का विधेयक हो, चाहे बैंकिंग सुधार का विषय हो और चाहे ओ.बी.सी. के लिए संवैधानिक दर्ज का विषय हो, उन सारे विषयों पर इस सदन में बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से चर्चाएं हुई हैं। राज्य सभा का जो कार्य है, वह मुख्य रूप से तीन विषयों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य सभा को विधायी कार्य करने की क्षमता है, legislative competence है, राज्य सभा को deliberate करने के लिए competence है और राज्य सभा इस देश के federal structure का एक सही तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। जहां तक legislation करने के विषय हैं, दुनिया भर में लगभग 113 देशों में संसदीय प्रणाली है। उन 113 देशों में से 79 देशों ने दो सदनों की प्रणाली को स्वीकार किया है। जो बहुत छोटे लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें यह एक तरीके से उनकी जनसंख्या के कारण इतना आवश्यक नही है, वरना जनसंख्या और आकार की दृष्टि से जितने भी बड़े देशों में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, उसमें से अधिकांश में दो सदनों की प्रणाली को स्वीकार किया गया है। वैसे तो उच्च सदन में यह माना जाता है कि लोक सभा से जो बिल आते हैं, लोक सभा से बिल आने के बाद अगर उनमें कुछ सुधार की या कोई विचार की गुंजाइश रहती है, तो उस विचार की गुंजाइश को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सभा का सदन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी डा. मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि सदन में ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कमेटी का प्रभाव होना चाहिए।

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) *पीठासीन हुए]*

मैं यहां कहना चाहता हूं कि वे हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस आशय से उन्होंने यह बात कही थी, शायद उनके पास गलत तथ्य होंगे। सदन में अगर पिछले दस वर्षों के कार्यकाल का विश्लेषण किया जाए, तो 2009 से 2014 के बीच इस सदन में केवल पांच विधेयकों को Select Committee को भेजा गया था, जब कि इस सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2019 के बीच 17 विधेयकों को Select Committee के अंतर्गत भेजा गया था। यह इस बात को दर्शाता है कि हम मानते हैं कि राज्य सभा की जो Select Committee हैं, वे Select Committees एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह बात मैं ऐसे ही नही कह रहा हूं। सर, 2009 में केवल एक बिल को Select Committee को भेजा गया, 2010 में केवल दो बिलों को भेजा गया, 2011 में कोई बिल Select Committee को नही भेजा गया, 2012 में भी केवल एक बिल को भेजा गया, 2013 और 2014, इन दो वर्षों में उन्होंने किसी बिल को Select Committee को नही भेजा।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): एक मिनट। क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है, 250वां सत्र है, हम नही चाहते थे कि इसमें कोई ऐसी बात हो जो विवाद की हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। अब Select Committee को यह सदन विपक्ष की मांग पर, सरकार से बात करके, सभापति से बात करके इसलिए भिजवा रहा है क्योंकि दूसरे माननीय सदन में Standing Committee को बिल नही भेजे जा रहे हैं। माननीय भूपेन्द्र यादव जी ने जिस कार्यकाल की चर्चा की, मैं उनका सम्मान करता हूं, उस समय बिल को Standing Committee में भेजा जाता था। अगर कोई बिल Standing Committee में नही गया, तभी वह Select Committee में गया। अब क्योंकि Standing Committee में नही जाता, इसलिए Select Committee मजबूरी है और जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनन्द शर्मा जी, आपकी बारी आने वाली है। अभी आप भूपेन्द्र जी को बोलने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: मैं तब बोलूंगा। अभी तो ऐसे ही बोल दिया, विवाद की मेरी कोई इच्छा नही थी।

श्री भूपेन्द्र यादव: मुझे अच्छा लगा और मैं मानता हूं कि आनन्द जी ने अगर इस विषय में हस्तक्षेप किया है तो उनकी और हमारी भावनाएं एक हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस विचित्र खेल को समाप्त करना चाहिए, जिसमें हम यह मानकर बैठे हैं कि जब हम विपक्ष में हों तो लोकतंत्र के मूल्यों की दुहाई दें, लेकिन जब स्वयं सत्ता में हों तो केन्द्रीयकरण करें और जो विषय हम करें, उसे स्वीकार न करें। कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए और आनन्द जी को हमें बधाई देनी चाहिए कि आपके समय में केवल पांच बिल ही Select Committee में गए, हमने तीन गुणा से भी ज्यादा, यानी 17 विधेयकों को Select Committee में भेजा, जो हमारे इस सदन में पूरे विश्वास को दर्शाता है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य सभा का निर्माण किया, तो निश्चित रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया। हमने अपने संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया है, उसमें केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा है। इसलिए आर्टिकल 249 में राज्यों की सूची का अगर कोई विषय है और ऐसा लगता है कि राज्यों की सूची के विषय को केन्द्र की सूची में लाना चाहिए तो आर्टिकल 249 में दो-तिहाई के बहुमत से यह विषय हमने राज्य सभा के अधिकार में सौंपा है। दूसरी deliberative power हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इस सदन को यह सौंपी गयी कि संविधान के अनुच्छेद 312 में अगर किसी सर्विस को केन्द्रीय सर्विस - क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में हमारा basic structure है और पहले भी इस सदन में इसी राज्य सभा ने Indian Railway Service को और कुछ अन्य services को Central Service घोषित किया तो अनुच्छेद 312 में वह power हमारे इस सदन को मिली है। चूंकि राज्यों में आपातकाल का विषय लग सकता है और उसकी स्थिति का विषय लग सकता

है, तो राज्यों में लगाए गए केंद्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन का जो विषय है, उसकी भी संस्तुति का अधिकार राज्य सभा को दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 360 में एक extraordinary power भी राज्य सभा को हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है। कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि शासन में लोक सभा भंग हो और बजट कराने का विषय हो, तो उस स्थिति में विशेष अधिकार राज्य सभा को दिए गए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक विचार हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहे। उसके साथ ही साथ हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, वह संघीय ढांचा भी राज्यों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से आगे बढ़ता रहे। इसीलिए आज राज्य सभा के सदस्य होने के नाते मेरे मन में आता है कि भविष्य में हमारी राज्य सभा की भूमिका देश के लिए क्या बननी चाहिए? हमारे देश में जो सबसे पहला विषय है और काफी सारी सेलेक्ट कमेटीज़ के जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि legislation making, हमारे देश में एक बहुत बड़ा aspect है। राज्यों में भी कानून बनते हैं और अलग-अलग विषयों पर कानून बनते हैं। आने वाले समय में जैसे-जैसे अधिकारों की सजगता आएगी, नागरिकों के ज्यादा विषय आएंगे, उतने ही तरीकों से और ज्यादा अधिकारों से कानून बनेंगे। यह जो legislation making का process है, इसमें राज्य सभा और विधान मंडलों के साथ किस प्रकार से ज्यादा तालमेल हो सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे पास लोक सभा सदस्यों की तरह कोई सीधी-सीधी पब्लिक के बीच में जाने की जिम्मेदारी नही है।

दूसरा विषय यह है कि हम यहां राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम राज्यों के विधान सभा के सदस्य चुनते हैं, तो उनकी विधान सभा में जो भी कानून पास होता है, उसकी जो legislative spirit है, यह जो राज्यों की spirit है, उसको समझने के लिए राज्य सभा सदस्य और उनका legislation..., हम जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई बार सदस्यों के ध्यान में नही होता है कि हमारी विधान सभाओं में कौन से विषय चल रहे होते हैं, क्या उसको जोड़ा जा सकता है?

तीसरा, जो सेलेक्ट कमेटी का विषय है, जो राज्य सभा की कार्यावधि है, वह निश्चित रूप से लोक सभा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो समय होता है, हम उस समय का उपयोग सदन में चर्चा करने में और बाकी विषयों में लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे जो कार्य दिवस हैं, राज्य सभा के सदस्य होने के नाते जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, संघीय विषय हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक जगह federalism के विषय में कहा था। उन्होंने जो शब्द कहे थे और मुझे हमेशा से लगता रहा है कि यह हमारे federal structure के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हमें NARA विषय का पालन करना चाहिए। NARA का मतलब - National Ambition plus Regional Aspiration है। जब हम दोनों का समन्वय बनाकर चलेंगे, तो हमारे national ambition के साथ, जो हमारी regional aspirations हैं, हमारी जो राज्यों की आकांक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे देश के राज्यों की

[श्री भूपेन्द्र यादव]
अपनी भौगोलिक स्थिति, demographic स्थिति, federalism को मजबूत करने के लिए, उनके विषयों को, उनकी संभावनाओं को, उनकी बातों को आगे ले जाने के लिए, जो हमारी federalism की spirit है, उस federalism के लिए, यह राज्य सभा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

श्री जयराम रमेश: कितने नारे लगाएंगे, आप?

श्री भूपेन्द्र यादव: जयराम रमेश जी, मैं कहना नही चाह रहा था ...**(व्यवधान)**... मैं disturb भी नही होता हूं, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत चलती रहती है। हम जो विषय करते हैं, उनको पूरी तरह spirit में करते हैं। वहां से विषय आया है, चूंकि आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सभा कई अच्छी घटनाओं को, जब मैंने अपने विषय को शुरू किया, जिस प्रकार से मैंने FDI के विषय को शुरू किया, यह राज्य सभा उस विषय की भी साक्षी है, जब लोकपाल का बिल आया था, तब की घटना पर इस पूरे सदन को बैठकर उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए। आपको याद होगा कि कौन सी घटना घटी थी। उस दिन लोकपाल बिल को MoS के हाथ से खीचा गया था, रात को 12.00 बजे सदन adjourn कर दिया गया था, क्योंकि अगला दिन होने से House का समय खत्म हो जाता है। उस दिन जनता एक बहुत बड़े कानून से वंचित रह गई। जो हमें नारा लगाने के लिए कहते हैं, उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से इस सदन के विषय को डील किया था, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछला जो 249वां सत्र हुआ था, उस सत्र में, सदन का जो कार्य था, जो तय समय था, उसके मुकाबले में 103 परसेंट काम हुआ, हमने ज्यादा समय काम करके, सदन में ज्यादा चर्चा करके, बिलों को पास करने का माहौल बनाया। इसीलिए यह सदन पिछली बार अगर देर रात तक चला, समय बढ़ाकर के चला, तो देश के लोगों को अच्छा कानून देने के लिए चला और हमने कानून भी सर्व-सम्मति से पारित किये। कई बार वे कहते हैं और वहां से यह कहा गया, मैं स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी जब 370 की धारा को हटाया गया, तो यह उस प्रकार से नही किया गया, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वरना मुझे टोका जाएगा, इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय जयराम रमेश जी को कहना चाहता हूं, मैं सीधे नही कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जब धारा 370 को हटाने का बिल पास किया, तो यहां पर 16 से ज्यादा दलों की सहमति के साथ पास किया, हम वैसी स्थिति लेकर नही आए कि आंध्र और तेलंगाना में सदन को बंद किया गया, टी.वी. कैमरे बंद किए गये और तब राज्यों के अधिकारों का बंटवारा किया गया। हमने सदन की सहमति से, सबको साथ लेकर देश के विकास की बात की, क्योंकि हम इस सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों में, इस सदन की मर्यादा में विश्वास करते हैं। हम विशेष रूप से जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन संविधान निर्माताओं की भावना को आगे बढ़ाने में, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के संघीय ढांचे में यह उच्च सदन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसीलिए हम इस सदन का कई बार इतना व्यापक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमारे आज

के सदन में भी 33 राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे निर्दलीय सदस्य भी हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 12 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं, जहां पर 10 या 10 से कम लोक सभा के सदस्य हैं। अगर राज्य सभा का भी सदस्य होता है, तो उसको एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से जब राज्यों में भी गठबंधन की सरकार आती है, तो जो छोटे-छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले कहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और राष्ट्रीय अपेक्षाएं दोनों को मिलाकर के हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो सपना है, उन सब का प्रतिनिधित्व करने का, उन सब पर व्यापक चर्चा करने का अवसर इसके माध्यम से मिलता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी कहा है कि राज्य सभा को deliberative power भी है। उसके अंतर्गत राज्य सभा को एक और पावर लोक सभा के समकक्ष है, वह है महाभियोग चलाने की, क्योंकि इस देश में हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे सभी संवैधानिक संस्थाएं अगर सही तरीके से काम करें, जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी रह सकती है, सजगता के साथ उन सारी संवैधानिक संस्थाओं को देश के लोकतंत्र के प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए, यह जो महाभियोग की पावर है, यह भी राज्य सभा को दी गयी है। राज्य सभा को इतना अधिकार सम्पन्न बनाने के बावजूद, हम यह जानते हैं कि दो restrictions भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सदन पर लगायी हैं। पहला फाइनेंस बिल को लेकर है और निश्चित रूप से इस देश में जो हमारी लोक सभा है, उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चूंकि सरकार का बनना और सरकार के बनने के बाद जो गिराने की प्रक्रिया है, जो सरकार का विश्वास मत का विषय है, वह विश्वास मत का विषय लोक सभा के द्वारा ही पारित होता है। यह देश के 125 करोड़ लोगों की सार्वभौमिकता का जो विषय है, वह लोक सभा में प्रतिनिधित्व के रूप में है। इसीलिए हमने दोनों restrictions राज्य सभा को दी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें यह नही भूलना चाहिए कि अगर 10 में फाइनेंस बिल की पावर लोक सभा के पास है, तो यह राज्य सभा उस स्थिति के लिए, जिसमें 360 में extra ordinary power दी है, क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता यह चाहते थे कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में लोगों का निर्वाचित सदन रहे, निर्वाचित सदन की प्रक्रिया रहे। इसीलिए राज्य सभा में भी हमारे देश की जो बहुदलीय व्यवस्था है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसके कारण इस देश के लोकतंत्र में अनेकों तरह के विचार आते हैं और अनेकों तरह के विचारों से निकल कर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसकी सारी बहस का अवसर इस राज्य सभा के अंदर उपस्थित होता है। महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन में कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि सदन को स्थगित करने का प्रयास न हो और एक विषय जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सदन के Well में आकर, सदन के कार्य को रोकना ठीक नही है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके लिए आज यह जो 250वां सत्र है, यह एक अवसर है। हो सकता है कि यह सभी दलों ने किया होगा, लेकिन इस सदन में, अब आज यह जो 250वां सत्र है, इसका लाभ उठाकर हम सब दल मिलकर इस प्रकार की प्रक्रिया को कर सकते हैं।

[श्री भूपेन्द्र यादव]

महोदय, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है, वह किसी कानून से नही आई है। वह इस देश के राजनैतिक दलों ने अपनी conscienceness से, अपनी अन्तर आत्मा की आवाज से एक आदर्श आचार संहिता को स्वीकार किया है। हर चीज के लिए कानून की भी आवश्यकता नही है, लेकिन हमारा अपना जो conscious है, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने का conscience है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का conscience है, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमें एक लक्ष्य दिया गया है, जो एक मिशन है, उसके नाते हम सभी को एक बार यह संकल्प करना चाहिए।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो दोनों दलों, NCP और BJD के लिए कहा, यह जो आचरण है, इसे सभी राजनीतिक दलों को लेकर आना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज 250वें सत्र में हम सब, इस सदन के कार्य और इस सदन के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं इतना कहकर ही अपनी बात समाप्त करता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, it is really a great day. I have been associated with this House since 2008. The previous hon. Member spoke about Dr. Ambedkar, Dr. Radhakrishnan, Pandit Jawaharlal Nehru and everybody. I don't want to repeat all those things. The Lok Sabha Members represent a constituency but the Rajya Sabha Members represent a State. So, we represent our cultural activities, linguistic activities, etc. Today, the way in which this Government is functioning, you are encroaching upon our linguistic areas, cultural areas, etc. The fear of the people, the fear of the Members of this side, especially from Tamil Nadu, is whether this country is heading towards one language, one culture or one food. This is very dangerous. Then, the Constitution itself will go to the dogs. For us, Tamil is very important, our culture is very important. It is thousands of years old. Like for Kerala people, their culture is very important. For Bengali people, their culture is very important. So, every State has got its own way. There are under-developed States and there are developed States. You cannot have a single type of approach on everything. This House has to consider in that way. Many Members mentioned here about the smaller States, that their parties should be given time. They should be allowed to present their case. If you don't allow them to represent their case, what for have they come here? So, I request the Chairman to please consider about this. Give more time to them. The Constitution framers have said, "The Second Chamber is the only instrument by which we delay action which might be hastily finished in the Lok Sabha, the other House."

Here, you push everything saying 'Money Bill, Money Bill'. Do we give proper honour to the Constitution? Do we honour this House? I would like to request the Treasury Benches, learn from the British Parliament. Sometimes, in British Parliament, the ruling party Leader joins with the Opposition and votes against the Government. Then only you can protect the instrument. We don't know what is happening in the States. As correctly mentioned by the hon. Member, Shri Navaneethakrishnan, they passed the NEET Bill two times, but you don't recognize them. You can give a proper reply. You can convince them. But you do your own way. You instruct your IAS, IPS officers from here because they are appointed by the Centre. They are not under the control of the State. I want to bring these things to your notice. Regarding this power to State, suddenly you remove everything. Article 370 — every State is afraid of now. Because you have the majority, you can curtail any power of the State. Already the States' power has been linked with the Panchayat. Please remember, the State Chief Minister or State Ministers, they get only police protection. They have no power. If this is like this, then you are becoming a unitary system, if you become a unitary system, the country cannot keep united. The country will split and, I think, it is our responsibility to see to it that the country is united.

I would like to draw your attention to one more thing. Abrogation of article 370 on August 5th and things like that should not happen again. It has already happened. You are still not able to heal the wound. So, you have to correct it. And the people of Kashmir, people of Jammu, are still suffering. Our hon. Members from there are not able to attend this House or the other House. This is a very pity thing. We are discussing the '250th Session of Rajya Sabha', but we are not doing justice to our Constitution.

So, with this, I request you to please consider this. Give more time to small parties. The subject is very important; time is also important. Sometimes, depending on the subject, you should allow more time. Don't try to curtail time of the Members. A small party's view may be useful; the larger party's view may not be useful. The larger party's view was for abolition of Article 370. My point is, keep the country united.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI T. K. RANGARAJAN: So, I want to record these things. Please consider all these things.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman,

Sir, when the Chair expects us not to interrupt, we expect that we need not be interrupted. ...*(Interruptions)*...

Sir, I deem it a privilege to speak on the commemoration of the 250th Session of the Rajya Sabha as a Member of this august House. Sir, I don't want to spare my time which is very limited to Ananthasayanam Aiyangar, Gopalaswami Ayyangar or Naziruddin who have all spoken in favour of the Second Chamber in the Constituent Assembly. I will come straight to the point.

I have got one or two points to make which I want to insist here and some reforms because the subject of today's debate is 'The Role of the Second Chamber in Indian Polity and the Need for Reforms.' Sir, a bicameral Parliament at the national level is a defining factor of our constitutional functioning of governance, fundamental functioning of governance. And the framers of the Constitution have established this Second Chamber or the Rajya Sabha or the Council of States not only to have a second look on the legislations but also to obviate hasty legislations. Everyone has made a reference of that, and, of course, the Rajya Sabha has played a pivotal role in the making of laws and as a deliberative body. So, any legislative forum functions on its own procedures, codes, on conventions, on customs. Though the Constitution has provided some Codes and Rules for functioning of both the Houses, both these Houses have evolved new Codes and Procedures by way of experiences and interactions, and this House, Sir, is a very good sample or representation of the Federal set-up because as every other Member has spoken, this is called as 'Council of States' and those people who can contribute to the society or to the nation at large and who are not in the thickest political frame or who cannot or doesn't want to enter into the electoral fray, this House gives a space for them. Of course, the Members representing the States, they reflect the situations in their States and the domicile of representation, which has been done away with in the 2006 Judgement in Kuldeep Nayar *versus* Union of India, of course, deprives the importance of the federal set-up. That means that a Member should come from a particular State. When that criterion is removed, anybody can come from any

State, and he may not have any interest in the State where he has been elected. So, he must be a voter of the State from which he is elected. But in that case, it turned otherwise. With all this background, there are many things to be mentioned here. Sarkaria Commission has also talked about the importance of the Upper House, the Council of States. Sir, I have a few suggestions which may be considered. One, Private Members' Business is slated for Friday. Even in this House today, in the afternoon, not many Members were there. Sometimes when we count the number of Members and there is a lack of quorum, the House has to be adjourned. Friday afternoon is meant for Private Members' Business; on most of those days we suffer for want of quorum, only four or five Members remain. So, if Private Members' legislation has to be given some importance, it may be moved forward to any of the week days. If the Government legislation is shifted to Friday, at least, Members from the Treasury Benches would remain in the House. Because they would be interested in the passing of Government legislations, they would make their Members to stay. This is a very important suggestion because we call Friday as a Private Members' day, but no importance is being given and it is usually taken away from us. So, it could be moved forward to a week day and Government legislation could be shifted to Fridays. The second suggestion is about Select Committees. Earlier, Standing Committees used to go through Bills and sometimes, where some lacuna was found, or if some Bills were not referred to the Standing Committee, we suggested it to be sent to a Select Committee. Earlier we used to decide that in the Chamber and the Government used to agree, but now it is put to vote here and it is done through a majority. When that happens, no Bill is sent to a Select Committee. So, if some Members, some political parties, insist— It is not in the interest of any particular political party; it is only the issue that matters —in the House that a Bill may be sent to a Select Committee that could be considered by the Government. It should not be put to vote for majority or for wooing some political parties in favour of the Ruling Party. Thirdly, the number of working days is very less. We don't work even for 100 days. Sorry, we don't work even for 75 days. In a whole year, the Parliament does not work even for 75 days. The House of Commons in Britain works for 150-200 days. There they are not paid salary every month like us. If they attend for one day, they are paid something and they are contented with that. If they attend the House, they are paid. But they work for 150-200 days. We work for just 75 days. Even the time-limit of working days is very less. Members' time is even lesser. When a Member starts speaking and just as he comes to a point, the Chair intervenes and asks him to

[Shri Tiruchi Siva]
conclude. What for are we here? It is a deliberating forum. Parliament is meant for debating, deliberating and deciding, but Members are not able to speak or vent out their thoughts or views freely. We feel very awkward every time a Member is making a very relevant point and he is made to stop or his voice strangled. Kindly consider this point. Of course, time is very important. Even for this debate, the Chairman said in his Chamber this morning that four hours' time is allotted and he said that if some more Members wanted to speak, the time could be extended or relaxed. But the situation is not so. We agree that we should not interrupt the House, but interruptions are part and parcel of a parliamentary democracy. Even Members should not be interrupted every now and then. We experience that. That too is my observation. Seasoned people may not be able to speak. They come here, they want to speak something and contribute. Considering ail that, when we think of reforms, my foremost suggestion is, kindly move the Private Members' Business from Friday to any working day.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: Secondly, Sir, a second Chamber is very important. My colleague, Shri Navaneethakrishnan, advocated for a second Chamber, but his party was the main reason behind abolishing the second Chamber in the State. The Parliament should show interest in this point that every State should have a second Chamber. Thank you, Sir.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, on this occasion, I think it calls for a lot of introspection on our part whether we have lived upto what the founding fathers of the Constitution wanted this House to be. Extensive debate took place in the Constituent Assembly regarding the utility of the Second Chamber and finally it was decided to have two Houses mainly because a federal system was considered to be the most feasible form given the fact that we were a vast country with immense diversities. It was meant to he a sobering House, a reviewing House, a House standing for quality and a House of the Elders. Quoting the words of Pandit Jawaharlal Nehru, "To call either of these Houses an Upper House or a Lower House is not correct. Each House has full authority to regulate its own procedure within the limits of the Constitution. Neither House, by itself, constitutes Parliament. It is the two Houses together that constitute the Parliament of India. The successful working of our Constitution, as of any democratic structure, demands the closest co-operation between

the two Houses." Unfortunately, in recent years, we have seen a lot of erosion the way we conduct or conducted this House. For weeks together, the House was disrupted. In fact, during certain Sessions, the House never worked. As a result, we lost our face In the public. The people of India look upto this House; they look upto Parliament. We let them down. I am very glad that the hon. Chairman took certain steps. At least, the last Session turned out to be a very productive Session and we passed many Bills. I compliment all the hon. Members for that. I have very little time. I have two or three points to make. I had brought up a Private Member's Bill where I had said about two or three points. One, we must work for one hundred days. Second, my Bill says, if the House is disrupted by a certain number of hours, automatic extension must be given so that the time of the House is not lost. Three, and I think it is the most important point, there must be one special Session of Parliament every year so that we can focus on important issues. Today, look at the crisis that the farm sector is facing. If, for a week, both Houses were to reflect what could be done, there would be some kind of *sagarmanthan;* some new ideas would come and the farmers of this country would benefit. Look at the judicial system. I have been in this House for thirteen years, but I have never seen High Courts having less than 40 per cent vacancies. The Judiciary blames the Executive and the Executive blames the Judiciary. I think it is time the two Houses decided to deliberate on this extensively. There can be a special Session to decide how we can clear the backlog which is facing us. Crores of cases are lying which are unattended to. Lastly, what other Members have also said, this is basically a Council of States. There are parties like ours, like Praful Patel's and so many other parties like DMK, AIADMK and so on. We are regional parties; we have a voice in our States and our States also have problems which we need to voice here. But you give us three minutes or four minutes on important debates. This should be done away with. And then, there are two sides where Members speak for forty minutes or fifty minutes. I have said it before also that the two big main parties are not the only repositories of knowledge; smaller parties also have a say and they must be heard. Now that we are reflecting on our performance, I do hope that all these issues would be considered and we will meet for a longer period so that every Member gets a chance to speak, more so, on important debates. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपने समय की सीमा और मर्यादा के बारे में जो कहा, आपका विचार बहुत अच्छा है, किन्तु जितना समय दिया जाता है, उस समय का विभाजन भी तो बहुत जरूरी है। चेयर की यह मजबूरी होती है, चाहते हुए भी वह इन सारी बातों की इजाज़त नही दे सकता।

श्री नरेश गुजराल: इसीलिए मैंने कहा था ...**(व्यवधान)**... कि अगर आप विभाजन करते हैं, तो मेम्बर तो बराबर हैं, लेकिन एक मेम्बर 40 मिनट बोलता है, एक मेम्बर 50 मिनट बोलता है और एक मेम्बर को आप 3 मिनट ही देते हैं। यह क्या विभाजन है?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह बात चर्चा के बाद तय की जा सकती है और यदि कोई सूत्र आप बता सकेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो 3-3 मिनट्स हमारे पास हैं। इसलिए मैं कोई भूमिका नही बना रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... वीर सिंह जी, आपके पास 3 मिनट्स हैं।

श्री वीर सिंह: महोदय, राज्य सभा के 250वें सत्र के शुभारम्भ पर मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: वीर सिंह जी, एक मिनट।

उपसभापति महोदय, एक चीज़ जो अभी गुजराल जी ने कही तथा अन्य सदस्यों की भी भावना है कि यह 250वाँ सत्र है और हमारी संघीय व्यवस्था है, federal polity है और यह Council of States है। ये जो सदस्य हैं, ये राज्यों के प्रतिनिधि हैं। अगर हम 250वाँ सत्र मना रहे हैं, तो हर राज्य को, जिस तरह से संविधान के अन्दर लिखा गया है, वैसी ही व्यवस्था आज की चर्चा की बनानी चाहिए थी, ताकि राज्य के प्रतिनिधि बराबरी का समय ले सकें। वरना इसमें परहेज करने से कई राज्यों के प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं, वे वंचित हो जाते हैं। जैसे अभी जो सदस्य बोले..

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप तो बीएसी में हैं।

श्री आनन्द शर्मा: मैं उसमें हूँ, परन्तु अभी जो माननीय सदस्य बोले, वे पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ...**(व्यवधान)**... उनको 3 मिनट देते हैं। बड़े-बड़े राज्य हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: आनन्द जी, मेरा एक सुझाव है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): परन्तु सुझाव-सुझाव में तीन मिनट चले जायेंगे।

श्री प्रफुल्ल पटेल: आप दोनों बड़ी पार्टियाँ अपने समय में से हमें जरा समय दे देंगी, तो ज्यादा बेहतर होगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वीर सिंह जी, आप बोलिए।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, राज्य सभा के 250वें सत्र के शुभ अवसर पर मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं राज्य सभा में 2002 से लगातार बना हुआ हूँ। आज उन्ही के आशीर्वाद से मैं इधर बोल रहा हूँ।

महोदय, भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी। संविधान में राज्य सभा को 'उच्च सदन' के रूप में उल्लिखित किया गया है। सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सभा ने अब तक विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और विधेयकों पर बौद्धिक बहस करने के साथ ही कई अवसरों पर जन-विरोधी कानूनों को पारित होने से रोका है। कुछ समय से राज्य सभा की कार्यशैली में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ देखी गयी हैं, जिनसे उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बारे में हम सभी सदस्य जानते हैं।

महोदय, राज्य सभा के 250वें सत्र के अवसर पर मैं सदन को बताना चाहूँगा कि भारत जैसे विशाल भू-भाग और विविधता वाले देश में द्विसदनीय व्यवस्था ही हितकर है। राज्य सभा राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थायी सदन के रूप में बौद्धिक विचार-विमर्श का सदन है। यह लोक सभा में बहुमत वाले दल की संभावित निरंकुशता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सरकार के कार्यों पर निगरानी तथा संतुलन रखने के लिए जरूरी उपकरण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्य सभा ने विगत वर्षों में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर दी है। जनहित को सुनिश्चित करने हेतु विधेयकों के प्रस्तुतीकरण के साथ उनके मूल्यांकन, नागरिकों के अधिकारों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की विवेकपूर्ण व तर्कशील आवाज़ उठाने के एक मंच के रूप में राज्य सभा की प्रासंगिकता को नकारा नही जा सकता है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इसी कड़ी में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्य सभा में कई बार जनहित के मुद्दे उठाये, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता है, उस सम्बन्ध में उन्होंने पुरज़ोर आवाज़ उठायी और उसको इधर रखा।

महोदय, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान के उच्च सदन की कमियों को दूर करके राज्य सभा की भूमिका को चरितार्थ किया जा सकता है। संविधान सभा में द्वितीय सदन की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर बहस हुई थी और अंततः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा, लोक सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए अपर्याप्त समझा गया। संवैधानिक प्रावधानों के पालन और भारतीय लोकतंत्र के लिए राज्य सभा का अत्यधिक महत्व है। राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन आदि में राज्य सभा की विशिष्ट भूमिका है।

महोदय, संविधान निर्माताओं में से एक परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर जी की सोच थी कि इस संविधान के माध्यम से और राज्य सभा के माध्यम से संविधान में इस देश में रहने वाले गरीबों, वंचितों को जो अधिकार दिए गए हैं, वे अधिकार उन्हें पूरे मिलेंगे, किन्तु 70 साल से ज्यादा हो गए, भारतीय संविधान के अनुसार गरीबों को जो अधिकार मिलने थे, वे अभी तक पूरे नही हुए हैं। हमें राज्य सभा के माध्यम से प्रदेश सरकारों पर अंकुश लगा कर गरीबों को मिलने वाले जो अधिकार हैं, वे दिलाने चाहिए। आज के दौर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है और आज सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वीर सिंह जी, आपने अपनी बात कह दी है, आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री वीर सिंह: सर, मेरा एक-दो मिनट तो उधर ही चला गया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): नही, नही, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वीर सिंह: सर, मेरा यह मानना है कि आज जो धीरे-धीरे करके आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों का सरकारी नौकरियों से सफाया होता चला जा रहा है। मेरी यह मांग है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अब तो इनडोर की बात कीजिए। आपका समय पूरा हो गया।

श्री वीर सिंह: सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि राज्य सभा में जनहित के साथ-साथ गरीबों के मुद्दों को जो दबाया जाता है, उनको दबाया नही जाना चाहिए और छोटी पार्टियों को भी समय दिया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे दूसरे सम्मानित साथियों ने कहा है, धन्यवाद।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I think it is a very historic occasion that we are all part of this 250th Session of the Rajya Sabha. I am personally also very honoured having been a Member of this House on many occasions and also of the other House also on many occasions. I also would like to say that the founding fathers of the Constitution have truly applied a lot of wisdom in framing our Constitution. There have been many instances across the world where there are two Houses of Parliament, as has been mentioned by some hon. Members. But, in itself, the Rajya Sabha is unique because I don't think any other country in the world would have a Council of States. There could be another House as the House of Seniors or the House of Elders, but a Council of States is uniquely designed to keep the federal structure of our country intact and also because we have a unique position in terms of population and diversity. A country of 130 crore people definitely need not follow any other model; it should have its own model, and I am very happy that our framers of the Constitution, especially Dr. Ambedkar and all the other people along with him, have applied their minds in this direction. I would like to quote a federation as explained by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly, "A federation envisages a dual polity

or two levels of Government. The Government at the Centre and the States are co-equal in the sense that they derive their legitimacy and authority from a common source - the Constitution itself. The Upper House in Parliament, fashioned as a Council of States, can be understood as an institutional arrangement, through which constituent units become part of the decision-making process at the Central level itself."

Sir, a lot of other friends have spoken, and I would only like to say that this House has its own unique character, but it should also be preserved. Many Members have said that small States do not find adequate representation. In the United States, the Senate has got 100 Members. A smaller State like Hawaii has got two Members in the Senate and the largest States also have equal number, that is, two Members in the Senate. It reflects the true federal polity and also gives the due weightage to every State in the country and that should also find somewhere, a restructuring of the Rajya Sabha, to reflect that sentiment here. Sir, over the years, the Rajya Sabha has also evolved. Many things have changed. But, Sir, I can tell you what I feel as a Member and having been a senior Member of this House for many years. I feel what is lacking is that there is no adequate representation to voice our sentiments. Yes, people have been talking of two major parties, they have every right to speak as much as they want and whatever is due to them. But, smaller parties do not get adequate representation at all. I have been, as I said, a senior Member, but, I do not speak on many occasions only because if I am told at the very beginning that you have to speak for two minutes or three minutes, I might as well not apply my mind because I can hardly start my speech before which I will be asked to stop. This is a commemorative session, I do not understand why there is a restriction of time being imposed. This session could have been extended beyond today. It could have been extended till tomorrow.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

I do not think the heavens would have fallen. But notwithstanding, I think, some serious points have been made and these need to be reflected in our deliberations. Sir, I have one observation. If this is the House of Elders or the second House which is a validation of what has been done in the other House or a corrective House where something which needs to be relooked at which has been passed in the other House, why do we have a whip on every issue? This is just a suggestion. It may not be accepted by people, it is a suggestion. Whip can be issued sparingly, otherwise if the voice of the people is to be reflected, if we have some kind of a ...*(Time-bell-rings)*...

[Shri Praful Patel]

wisdom which we are supposed to impart in this House, why are we not allowed to speak our minds more freely and to vote even according to our conscience? Of course, I can understand if some earth-shattering issue is there, where every party applies its whip and, therefore, the Members have to follow it. But, otherwise, in most of the cases, I think Members should be allowed to voice their sentiments and to vote according to what they feel is in the larger interest of the nation. I think the House of Elders can make a beginning, it can make a change which would actually be for the benefit of the nation and it will start a new trend for people. We are all responsible people. I do not think even if my party tells me to vote something wrongly, I am going to do something against my conscience. I think, this House has got that character and, I think, somewhere we can make a small beginning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI PRAFUL PATEL: I know. Sir, when you entered only I knew that I am going to be asked to sit down.

श्री उपसभापति: माननीय प्रफुल्ल पटेल जी आपके पास तीन मिनट का समय था। आप पाँच मिनट बोल चुके हैं।

SHRI PRAFUL PATEL: It is not a reflection on anything.

श्री उपसभापति: आप पाँच मिनट बोल चुके हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, मैं अनेक बार अपनी दुविधा बोल चुका हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं कई बार बोलता भी नही हूँ।

सर, हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमिटी का एक नया प्रयोग पिछले 10-20 साल पहले शुरू हुआ। यह बहुत अच्छी बात हुई। पहले जब हम लोग संसद में deliberate करते थे, तब हर सब्जेक्ट पर बात करने का समय ही नही मिलता था। आज स्टैंडिंग कमिटीज़ के आने के बाद संसद का representative character है। दोनों हाउसेज़ का proportionate representation है और उससे आज आप देखिए कि जिन बहुत सारे विषयों पर हम यहाँ बहस नही कर पाते हैं, उन पर स्टैंडिंग कमिटीज़ में अच्छे से बहस कर पाते हैं। आपने भी सांसद के तौर यह देखा होगा, अनुभव किया होगा। यह एक नई प्रणाली थी। यह कोई परंपरागत प्रणाली नही थी। मेरा आपको सुझाव है कि ऐसी नई परंपराओं को हमें इस सदन के माध्यम से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, हमें कुछ समय दीजिए। प्रधान मंत्री जी ने भी अभी एनसीपी की इतनी तारीफ की है।

श्री उपसभापति: आपके पास समय रहता, तो मैं देता। तीन मिनट मिले थे और आप छः मिनट बोल चुके हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल: प्रधान मंत्री जी ने भी एनसीपी की इतनी तारीफ कर दी है। ...**(समय की घंटी)**... प्रधान मंत्री जी ने हमारी तारीफ की है कि हम वैल में नही आते, दो-पाँच मिनट खराब नही करते। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप छः मिनट ऑलरेडी बोल चुके हैं।...**(व्यवधान)**... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रफुल्ल पटेल : सर, मेरी ज्यादा समय लेने की मंशा नही है, क्योंकि अभी और लोग भी हैं। मेरा इतना ही कहना है कि इस हाउस को conscience कहते हैं, यह देश की आत्मा का एक प्रतीक है। अगर हम इस हाउस में कुछ अलग तौर-तरीके, प्रणाली अपनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर सभी को अपनी बात व्यक्त करने का सही मौका देंगे, तो यह हमारे देश के लिए, हमारी संसदीय प्रणाली के लिए और भविष्य में बनने वाले कानूनों के लिए बहुत अच्छी परंपरा होगी। आज के इस 250वें संसद सत्र के लिए मैं आपको और सदन को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस सदन के महत्व के बारे में काफी विस्तार से अपनी बात कही है। इस पर नरेश गुजराल जी ने एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी रखा था कि इस सदन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें उनके कई सुझाव थे। लेकिन मैं आपके समक्ष सबसे ज्यादा इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोई रिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है - प्राइवेट मेम्बर्स बिल की गंभीरता को समझना।

मान्यवर, प्राइवेट मेम्बर्स बिल में बहुत सारे अच्छे बिल्स हमारे माननीय सदस्य प्रयास करके, कोशिश करके, तैयारी करके लेकर आते हैं और अलग-अलग विषयों पर लेकर आते हैं, लेकिन उस पर चर्चा एक औपचारिकता मात्र है। उस पर चर्चा होने के बाद माननीय मंत्री जी की ओर से वक्तव्य देना भी मात्र एक औपचारिकता है और उन सारी औपचारिकताओं को पूरा करके वह प्राइवेट मेम्बर्स बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उसका कोई आगा-पीछा, भविष्य कुछ तय नही होता। मैं समझता हूँ कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 55 वर्षों के इतिहास में या 45 वर्षों के इतिहास में, मैं वर्ष की संख्या में गलत हो सकता हूँ, ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल इस सदन से पास हुआ, जो तिरुची शिवा जी ने रखा था। मान्यवर, उस बिल को भी दूसरे सदन में परिवर्तित कर दिया गया और वह यहाँ पर फिर दोबारा प्रस्तुत होने जा रहा है, जैसी कि हमें कल सूची मिली है। प्रो. मनोज कुमार झा जी भी सफाइकर्मियों के संबंध में एक बहुत अच्छा प्राइवेट मेम्बर्स बिल लेकर आए थे। उस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई समाधान नही निकला।

[श्री संजय सिंह]
विजय पाल सिंह तोमर जी, जो भाजपा के माननीय सदस्य हैं, वे किसानों के ऊपर प्राइवेट मेम्बर्स बिल लेकर आए थे। उस पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर क्या समाधान निकला कुछ पता नही मान्यवर।

राजनीतिक पार्टियों को यहाँ अलग-अलग विषयों पर, बिल्स पर बोलने का जो मौका दिया जाता है, उसको लेकर मेरी भी पीड़ा है। यह तीन मिनट की बाध्यता खत्म की जाए। इसको कम से कम पाँच मिनट, सात मिनट, 10 मिनट किया जाए। सर, जैसा बिल हो, उसके हिसाब से चर्चा का एक समय बनाइए। 100 दिन सदन चले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न काल और शून्य काल में राज्यों के जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की एक व्यवस्था होनी चाहिए। ज़ीरो ऑवर में हमने कुछ उठा दिया और क्वेश्चन ऑवर में हमने कुछ उठा दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई, इस सदन में उठाई गई बातों पर सरकार ने क्या किया, इसका हम लोगों को कुछ पता नही चलता। मुझे यहाँ अब लगभग दो साल होने जा रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था, तब मैंने एक विषय को उठाया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के चित्र को वाइन बनाने वाली एक कम्पनी द्वारा अपनी बोतल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है और मैं चेयर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस पर सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई हुई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन ज़ीरो ऑवर या क्वेश्चन ऑवर में और भी जो विषय आते हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। यहाँ पर अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि संघीय ढाँचे को मजबूत करने के लिए भी इस सदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, सिर्फ यह कहने मात्र से काम नही चलेगा। राज्यों की जो पार्टियाँ हैं, इस देश में अलग-अलग जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, उनकी क्या हालत है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उस पर सदन को विचार करना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... आज आपने राज्य सरकारों पर राज्यपाल बिठा दिए हैं। जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ के राज्यपाल अपनी मर्यादा से आगे जाकर, अपनी मर्यादाओं को तोड़कर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर, दिल्ली के अंदर आपने एक एलजी की व्यवस्था की है। वे आए दिन हमारे बिलों को रोकते हैं, हमारे कामों में अड़ंगेबाजी करते हैं। आप संघीय ढाँचे को मजबूत करना चाहते हैं, यह केवल कहने मात्र से काम नही चलेगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि सरकारें बहुमत से चलती हैं, देश सर्वमत से चलता है। अगर आप देश को सर्वमत से चलाना चाहते हैं, संघीय ढाँचे को मजबूत करना चाहते हैं, तो राज्यों के प्रति अपना उदार और बड़ा हृदय रखकर इस देश की व्यवस्था को चलाने का काम कीजिए, इस सदन को चलाने का काम कीजिए।

इस 250वी बैठक में आज जो चर्चा हुई, उसमें मैंने भाग लिया, इसके लिए आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सदन की कार्यवाही में आम आदमी पार्टी की ओर से हमारी जो भूमिका होगी, उसको हम हमेशा सार्थक रूप से निभाने का काम करेंगे।

5.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha.

SHRI VAIKO: Sir, what happened to my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is in the list. I am going as per the list. ...*(Interruptions)*... I will call your name. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. Mr. Vaiko; I will call you.

SHRI VAIKO: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling as per the order. Please. ...*(Interruptions)*... I am calling as per the order. I will call you when your name comes. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I think he needs some rest. He should not exert himself, if he is given time now, he would take some rest.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call his name after him if all the Members agree.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): शुक्रिया, उपसभापति महोदय।

इक कर्ब-ए-मुसलसल की सज़ा दें तो किसे दें,
मक़्तल में है जीने की दुआ दें तो किसे दें।

महोदय, जेठमलानी साहब की मृत्यु जब हुई, तो बहुत दुख हुआ। आज और दुख हुआ कि हम राष्ट्रीय जनता दल कैटेगरी से 'अदर्स' कैटेगरी में आ गए - पांच से चार हो गए। सर, न जाने ये व्यवस्थाएं क्यों बनी हैं? अगर आंकड़ों से ही विज़्डम पता होती, तो शायद आंकड़े वाले कही से कही पहुंच गए होते। जिनके पास आंकड़े नही हैं, उनके पास भी कहने को बहुत कुछ हो सकता है। सर, यह मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं और मैं अपने तमाम साथियों को, आपको, माननीय सभापति जी को, प्रधान मंत्री जी को, माननीय एल.ओ.पी. को और इतने महत्वपूर्ण अवसर पर अभी यहां जो 40-42 लोग बैठे हुए हैं, उन 40-42 लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। जो नही हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आज 250वें सत्र की गरिमा तार-तार हुई है। मैं यह साफ तौर पर रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं। सर, मैं एक मिनट लूंगा। 28 जुलाई, 1947 को बड़ा interesting conversation था। Shri R. K. Sidhwa ने कहा कि Parliament of India मत बोलो, Congress बोलो। क्योंकि आज़ादी का इतिहास है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, तो इसको कांग्रेस कहो। लेकिन कांग्रेस के ही लोगों ने कहा कि यह उचित नही है। हम उस नाम को नही देंगे। Mohammad Tahir कहते हैं कि दूसरे सदन की कोई जरूरत नही है। तीसरे, श्री शिब्बन लाल

* Not Recorded.

[प्रो. मनोज कुमार झा]

सक्सेना, वे भी कह रहे थे कि यह लोअर हाउस को चलने ही नही देगा, तो अपर हाउस क्यों चाह रहे हो? फिर Naziruddin Ahmad थे, उन्होंने कहा कि जरूरत है एक बहुत ही vitality वाला हाउस है, जो उन्होंने लोक सभा को कहा और एक कहा element of sobriety and calmness जो हममें है, जिसका थोड़ा अभाव इन दिनों दिखता है। N. Gopalaswami Ayyangar ने पूरी डिबेट को 28 जुलाई, 1947 को, यानी आज़ादी से 18 दिन पूर्व settle किया। उन्होंने कहा कि passion में लोअर हाउस कई दफ़ा एक्ट करता है और बीते 50-60 वर्षों में हमने यह देखा है कि इस हाउस की सबसे बड़ी खूबी है कि यह passion में नही जाता है, यह रुककर के बात करता है। मैं समझता हूं कि हमें उन व्यवस्थाओं की अभी भी जरूरत है। हमें यह समझना होगा majority in the Parliament should be different from a majoritarian Parliament. ...**(समय की घंटी)**... सर, आप मुझे एक मिनट दे दीजिए। जब उधर संवाद हो रहा था, तो मेरा समय उसमें भी चला गया था। सर, इतनी मैंने अपील की है कि आप मुझे एक मिनट दे दीजिए। वैसे भी आज 'अदर्स' में आ गया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बहुत huge majority थी। Even he could have developed that temptation to usher in a majoritarian Parliament. यह नही होना चाहिए। मैं तमाम साथियों से यह अपील करूंगा। कई दफ़ा आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमारे जैसे छोटे दल, क्षेत्रीय दल जब भी आपको आगाह करते हैं, तो उसमें कही न कही कोई बात रहती होगी। सर, एक तो gatekeeper of federal relationship, जिसका सरकारिया कमीशन ने भी वर्ष 1987 में जिक्र किया था, आवश्यकता इस बात की है कि हम यह तय करें कि हम उन संवादों को पुनर्स्थापित करें, जो खो गए हैं। अक्सर होता यह है कि अच्छा ठीक है, मेरी मेजॉरिटी है, वोटिंग करवा लीजिए। अब वोटिंग में जीत रहे हैं, अब जीत जाएंगे। Numbers are with you, but that does not mean that the wisdom is solely with you. इसलिए इस हाउस की गरिमा के मद्देनज़र मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि हम यहां डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देख रहे हैं, legislative और deliberative में उन्होंने deliberatine को बहुत तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि बैलेंसिंग का भी काम करना है, काउंसलिंग का काम करना है, Legislation करना है और deliberation करना है। With these words, Sir, I thank you for exceeding my time-limit. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I am calling Mr. Vaiko. His name in the list is placed below, but as the hon. Leader of Opposition suggested, with the consent of all, I am calling Mr. Vaiko.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, the great Tamil moralist Thiruvalluvar has stated that gratitude is the best virtue in human life.

"Payanthookar seydha udhavi, nayanthookin nanmai
kadalin peridhu."

Reverend Father G. U. Pope translated it stating that kindness shown by those who weigh not what the return may be: when you ponder right its merit, it is vaster than the sea.

I owe my gratitude to the Leader of the DMK, Dr. Karunanidhi, for sending me here in 1978, 1984, 1990 and now to his ablest son, Mr. Stalin, the Leader of the Opposition in Tamil Nadu Assembly. In those days when I entered this House, I was a new Member. I did not have any legislative experience. But I was mesmerized by the roaring of Mr. Bhupesh Gupta like a lion. Mr. N.G. Ranga used to sit there and encourage youngsters like me. Mr. Piloo Mody used to encourage us. I saw such stalwarts encouraging new Members. Even if the clock went beyond 8.30, 9.30 or 10.30, Mr. Bhupesh Gupta, Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani, Mr. N.G. Ranga and one Mr. Shiva Chandra Jha of BJP used to sit here till the time was over or till the doors were closed. I learnt the duty-bound lessons from them. Sir, this is the Second Chamber; at the same time, it is the Upper House, it is the Upper House of the Parliament. There have been times to minimize the role of this House. Financial matters do not figure very much in this House but the best Finance Ministers — Dr. Manmohan Singh, Mr. V. P. Singh, Mr. Pranab Mukherjee and Mr. Yashwant Sinha — came from this House. Many used to insinuate and criticize that this House is a distant cousin of Britons Anglo-Saxon times and offspring of Chelmsford Act of 1919 and has little relevance in free India. In fact, many Members in the Lok Sabha brought many Private Members' Bills and Resolutions to abolish this House. But, legislators in Lok Sabha, having infinite and abundant wisdom, have trashed such attempts into the dustbin. It is a permanent body. Rajya Sabha has performed the role of revisory chamber. It has defeated a few Bills and amended clauses of many Bills which were accepted in the Lok Sabha. It has gone one step further in introducing an amendment to the Constitution, the 44th Constitution Amendment in 1978 as an example. I don't want to take much time of this House. This is my experience. In those days, when I was a youngster, senior Members used to sit here upto 9 o'clock or 10 o'clock. Nowadays, it is very difficult to get two minutes or three minutes. For that, we have to cringe like a beggar. I am sorry to say that -we have to cringe like a beggar for one minute or two minutes or three minutes. After 24 years, this is my experience. I have only one demand. I support my friend, Mr. Patel, that this should become like the Upper Chamber of the United States of America. Then only, true federalism would usher in this country. There should be equal representation to all the States of India in the Council of States or the Rajya Sabha. Then only, true federalism and true democracy could flourish. I hope so. I conclude.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I am happy to participate in this special discussion on the 'Role of Rajya Sabha.' Compared to the United States or most other countries with the federal system, India has a highly centralised arrangement. The diversity of India and its various linguistic regions calls for federalism. The strong tendency of Indian voters in the 90's to support parties that are pre-occupied with regional concerns further supports this. In fact, as an asymmetric federal polity, our Constitution even gives varying degrees of autonomy to different States according to various provisions of Article 371. The Rajya Sabha furthers the cause of federalism, it helps bring regional concerns to the Union Government assisting the roots of strong democracy by encouraging diversity of concerns. The tilt in favour of the Union has increasingly accentuated over the years even outside the security needs of the country. This has led to avoidable over-centralization even in development matters. To be precise, there are two suggestions to keep the federalist vision of our Constitution alive, which would be as follows:

There is a need for parliamentary discussion when there are international trade agreements like RCEP. For the time being, it is deferred. The Government did not get into the agreement but I am told that it would come up again in February. Not only to various large industries in different States but it is also detrimental to the farmers, the small traders and the common man. In fact, the States adversely affected by the Centre entering into treaties or agreements with other countries can get appropriate remedies if the forum of the Rajya Sabha is utilised for the purpose. I believe that the countries like Phillipines and Indonesia, before any international treaties have been signed, they discuss in the Parliament and get the approval. I hope so that such system comes in India also because most of the treaties are discussed by the bureaucrats and officials. Most of the time the Ministers even do not know what they are getting into. So, I hope this remedy is taken up of having the discussion in the Rajya Sabha and in the Lok Sabha also.

The second suggestion is this. The removal of the domiciliary eligibility for Rajya Sabha has resulted in dilution of strong representation of States. Members of the Rajya Sabha being elected from States of which they are not residents or have had little ethnic or linguistic affiliation, as ordinary residents in that State, can be detrimental to the federal ethos of the Rajya Sabha. I conclude, Sir. Thank you.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate. First, I pay tributes

to the framers of the Constitution, I am very glad to participate in the special discussion on this subject 'Role of the Rajya Sabha in. Indian polity'. Being a witness to this occasion, I am also very anxious to participate in this debate, being the first time elected Member of this House. The 250th Session has commenced and on this occasion, I have got an opportunity to participate in it.

Now, this House is of permanent nature. This House has witnessed several historical events and developments. Article 249 confers a power on the Parliament to legislate with respect to a matter enumerated in the State List also. Rajya Sabha has been assigned a special role. Whenver it is considered necessary and expedient in the national interest, the Centre should intervene in the legislative affairs of the States. That is why; I am referring these provisions of Article 249. This House had passed the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, irrespective of the manner in which it has been passed. But, the provisions of that Reorganization Act have to be implemented. Mere passing an enactment is not sufficient. Now, the Andhra Pradesh has become a capital-less State. Amravati has been designed as capital and the hon. Prime Minister laid the foundation stone for the construction of the capital. But, after the change of the Government, it has gone away. And, also, the regional languages have also gone away and English language has been introduced by violating the regional sentiments and other things. It has to be discussed and deliberated. This House is meant for deliberation, discussion and for taking a decision in order to implement all the positive things in respect of the State issues.

Now, however, being a regional party Member of Telugu Desam Party, I make a venture to suggest a few things with regard to the role of Rajya Sabha. First, if necessary, the Rules of Rajya Sabha have to be changed in order to deliberate, at length to discuss about the role of Governors and, also, the role of Judiciary as there are so many vacancies in Judiciary and huge pendency is tnere. Everybody is speaking about the delay in getting justice but the constitution of extra courts and also filling up of vacancies of Judges has also to be discussed. *...(Time-bell-rings)...*

One more suggestion is that the number of working days, if necessary, has to be increased. In this House discussions are going on so many issues, but it is not simply ratification of the discussions of the other House. There are no specific formalities. It is not meant for niceties. Protest is also a part of democracy. Therefore, time for regional parties, though we have a lesser number, time has to be increased by extending the working days.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam; not present. Now, Shri Ritabrata Banerjee.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, the House has been an integral part of our parliamentary democracy. Democracy in our country is deep-rooted. It is not from the first General Elections of 1952, even we go back to the sixteen *Mahajanapadas,* there were instances where people chose their own Government. There were republics at that time. Now, incidentally, long ago, as Shri Vaiko was telling, when he came to this House, he was very interested to hear to the roar of great people speaking in this House. Now, here, in this House itself, when the House started, many years ago, there was a discussion about palimpsest. Congress was in large majority, Opposition was there but the Opposition also spoke about the palimpsest. Now, Sir, what is palimpsest? Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, invoked the very evocative example of palimpsest. In ancient times, before the discovery or invention of paper, the palimpsest was either a wooden or stone tablet on which every victor would erase the past history and write his own version of history. But, in this very House, as Pandit Nehru, the statesman and the historian pointed out again, "Indian is an ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie had been inscribed, and yet no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously." That is the beauty of our country. That has been the beauty of the House and, in fact, when the Sino-Indian border conflict was going on, one Opposition Member of Parliament had urged Pandit Nehru to call the Parliament. Parliament was convened because Pandit Nehru believed in the battle of ideas. Shri Atal Bihari Vajpayee had urged Pandit Nehru to convene the Parliament and to ensure the battle of ideas. The Parliament was convened. We need to ensure, at least, 100 days of sitting because this is a place that ensures the battle of ideas. This is the House of the States. The rights of the States have to be the priority that needs to be protected. Mr. Siva was saying that this House must not stifle the voices. As we are sitting here, we also know the pain when we used to sit in the back benches. We go on craving for indulgence to have one minute or two minutes. The voices of the Members must not be stifled. I want to quote Swami Vivekananda and I will take only a minute. Swami Vivekananda while speaking in Chicago said, "I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written in spite of resistance: "Help and not fight," "Assimilation and not Destruction," "Harmony and Peace and not Dissension."

Assimilation, not exclusion, has been the beauty of the House. This House represents the unity in diversity. We have diversified forces in the country. We have different food habits, different languages. I will speak in my mother tongue for half a minute and quote Tagore, the maverick Tagore.

"Keho nahijane kaar ahobane kato manusher dhara
Durbar srote elo kotha hote somudre holo hara
Hethay Arjo hethay Anarjo hethay Dravid Chin
Shak Hun dal Pathan Mogol ek dehe holo leen
Poshchime aaji khuliyachhe dwar
Setha hote sabe aane upohaar
Dibe aar nibe milabe milibe jabe na phire
Ei Bharater mahamanober sagor-tire."

Now, the English translation in a nutshell. None can tell, at whose beckoning, vast waves of humanity merged into this very great sea called India. All came, all gave and all took, mingled and also mingled with others. None shall depart dejected from the great shores of the pilgrimage on the idea of India. I believe from the core of my heart that this very House will go on championing the battle of ideas and the idea of India. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy; not present. Shri Anand Sharma.

श्री आनन्द शर्मा : माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सदन का 250वां सत्र है। आज हम सब के लिए और भारत के प्रजातंत्र के लिए यह बड़े महत्व का दिन है। हमें उस दिन का स्मरण करना चाहिए जब मई, 1952 में पहली बार इस सदन की बैठक हुई थी और आज 2019 के अंदर हम इस सदन के 250वें सत्र में अपनी बात कह रहे हैं। इस अंतराल में देश ने बड़े परिवर्तन देखे हैं और बड़ी उपलब्धियां भी देखी हैं। भारत के प्रजातंत्र ने कई चुनौतियां भी देखी हैं और उन चुनौतियों का सामना भी किया है और उनसे उभर कर एक सशक्त प्रजातंत्र के रूप में हिन्दुस्तान आगे बढ़ा है। यह जानना जरूरी है कि जो कुछ आज़ादी के बाद हुआ, हमने जो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई संसदीय प्रजातंत्र की, वह कोई आकस्मिक घटना नही थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक प्रतिबद्धता थी और वह सोच आज़ादी के संग्राम में आयी थी। उसकी उद्घोषणा हुई कि हिन्दुस्तान आज़ादी के बाद एक प्रजातांत्रिक देश होगा, जहां पर लोगों को बराबरी का अधिकार होगा, अपनी बात कहने का अधिकार होगा, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा और कौन-सी विचारधारा और कौन-सी नीति यह देश अपनायेगा, भारत की जनता हिन्दुस्तान

[श्री आनन्द शर्मा]

की आज़ादी के बाद इस बात को तय करेगी, बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा गया था, कांग्रेस के महाधिवेशन में, जो 1929 में लाहौर में हुआ था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरु जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मैं आज भी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो उद्घोषणा लाहौर में हुई थी, उसे हर भारतीय को पढ़ना आवश्यक है कि क्या उस वक्त की भावनाएं थी, क्या तकलीफ देश की थी और कितनी हिम्मत के साथ यह आवाज उस दिन उठी थी। महोदय, आज शायद ये दो शब्द होंगे, लेकिन अंग्रेजों के शासन में, जहां आज़ादी की आवाज़ को कुचला जा रहा था, उस समय यह कहना, इसकी घोषणा करना और उसे आगे लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद, मेरे साथ बाजू में श्री प्रसन्न आचार्य जी बैठे हैं, कांग्रेस का सैशन हरिपुरा में भी हुआ। उस सैशन में इस बात को आगे बढ़ाया गया। श्री सुभाष चन्द्र बोस ने उसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस ने झंडा कमेटी बनाई तथा संविधान कमेटी बनाई और जब संविधान सभा बनी, तब ये तमाम भावनाएं उसमें प्रतिबिम्बित हुईं कि भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जो सदियों से एक ऐसी व्यवस्था का शिकार हुए थे, चाहे वह colonialism की थी या साम्राज्यवाद की थी, जहां उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नही था, उन्हें सही मायने में प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर एक अवसर मिले, जिससे वे इस देश के निर्माण में बराबर के भागीदार बनें।

माननीय उपसभापति महोदय, जो ये तमाम बातें थी, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कही गईं, जो प्रतिबद्धताएं सामने आईं, वही हमें भारत के संविधान में प्रतिबिम्बित दिखती हैं। संविधान सभा ने जो चर्चा की, जिसका आज प्रधान मंत्री जी ने भी उल्लेख किया, माननीय सभापति ने उल्लेख किया और अन्य सभी सदस्यों ने उल्लेख किया, मैं उस भावना को समझता हूं और उससे मैं भी अपने आपको पूरी तरह से जोड़ता हूं। उस समय चर्चा यह थी की आज़ादी के बाद कैसा भारत बने, कैसी व्यवस्था हो और क्या रूप-रेखा हो। एक ऐसा देश जो बहुधर्मी तथा बहुभाषी है, जिसमें विविधता है, जिसमें अलग-अलग सूबे हैं, राज्य हैं। उस समय जब भारत आजाद हुआ था, हमें यह नही भूलना चाहिए कि अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ 500 से ज्यादा रियासतें थी, जिनका भारत के अंदर विलय होना था, वह विविधता कैसे दिखे। तभी संघीय प्रणाली तय की गई और इसका चयन किया गया कि हिन्दुस्तान एक federal country होगा, एक federal polity होगा और उसकी विविधता कहां पर दिखेगी, आज इस पर बड़ी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने वर्ष 1935 के Montague Chelmsford Reforms का जिक्र किया, जो Union of India Act था। लेकिन मैं सही मायने में कहूंगा कि जब इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई, तो संविधान सभा उन्ही बातों को लेकर आगे चली, जो वर्ष 1928 में बनी एक समिति ने शुरू की थी, जो संविधान पर बनी थी और जिसके अध्यक्ष, उस समय श्री मोतीलाल नेहरू थे।

महोदय, संविधान सभा ने इस पर चर्चा तो जरूर की, लेकिन असली रूप में ये तमाम जिम्मेदारी, भारत की Constituent Assembly ने पं. जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक Union

Constitution Committee बनाई थी, उस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वह यह तय करे कि हमारे प्रजातंत्र का और हमारी संसद का क्या आर्किटेक्चर होगा और क्या ढांचा होगा और उस कमेटी ने सिफारिशें दी, जिनमें कहा गया कि भारत की संसद के दो सदन होंगे। एक सदन, राज्य सभा होगा, जो स्थाई सदन है, पहला सदन है और उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, क्योंकि अगर हम संविधान को पढ़ें, तो इसके पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है, जिसे शायद आज कई बार लोग भूल रहे हैं कि भारत है क्या। अगर हम उसे देखें, तो वह कहता है - अगर हम उसको देखें तो वह कहता है, India, that is Bharat, shall be a union of States. फिर उसकी व्याख्या है कि राज्य क्या हैं, Union Territories क्या हैं, जिनको बनाने का अधिकार दिया गया है। मैं इसमें देख रहा हूं कि नये राज्य बनाने की बात है, किसी एक राज्य के थोड़े हिस्से को लेकर, boundry को लेकर, territory को लेकर दूसरे राज्य में विलय करने की भी बात है, पर इस संविधान में कही भी, किसी एक राज्य को खत्म करने की बात नही है। यह भारत के संविधान का पहला आर्टिकल है कि भारत है क्या, उसकी व्याख्या क्या है? हमें इसको जानना भी जरूरी है और आज, जब हम राज्य सभा का 250वां सत्र मना रहे हैं कि इस दिन रिपोर्ट दी गई, तो हम उसका सच्चे हृदय के साथ सम्मान भी करें कि यह किस भावना से लिखा गया था। उसके पीछे जो भावना थी, उसमें ज्यादा विवाद की बात नही है। अगर आप Constitution Committee की वह रिपोर्ट पढ़ लें, संविधान सभा की, Constituent Assembly की डिबेट्स पढ़ लें, तो उसमें यह स्पष्ट है कि संघीय प्रणाली क्या है और भारत कैसा देश बनेगा। कुछ आश्वासन, जो राज्यों को दिए गए थे ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, यह कोई ऐसा दिन नही है, जिसमें हम ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं फैक्ट की तरफ... ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मैं फैक्ट पर ही जा रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं बताना चाहूंगा कि re-organisation of States में काफी सारे स्टेट्स lapse हो गए थे, खत्म हो गए थे और यह आपके द्वारा ही किया गया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: 1956 में हुए थे। वे वे स्टेट्स नही थे, जो original थे। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, अगर आपने यह कहा है। मैं बहस नही चाहता था, पर वह ऐसा कोई राज्य नही था। जो re-organisation में lapse हुए हैं ...**(व्यवधान)**... देखिए, मैं बहस नही चाहता था, पर जो राज्य - अंग्रेज़ों के हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो Union of India Act पास किया था और उसमें दो डोमिनियन बनाए थे, Dominion of India and Dominion of Pakistan. उसमें बताया था कि Princely States किस तरह से ज्वाइन करेंगी, उन्होंने instrument of Accession एक लीगल instrument बनाया था। किसी उस राज्य को नही छेड़ा गया था, जो instrument of Accession के बाद भारत में आया। मैं भी थोड़ा-बहुत, कुछ पढ़ा हूं, आप विद्वान हैं, पर मैं संविधान पर बड़े सम्मान से इस बात को कहना चाहता हूं। आज के दिन हमें यह याद रखना होगा। आज

[श्री आनन्द शर्मा]

विशेष तौर पर पहले सभापति डा. राधाकृष्णन जी की माननीय सभापति जी ने चर्चा की। उन्होंने इस सदन के महत्व के बारे में बताया। एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, जो भारत के संविधान की रचना में, निर्माण में रही, वह डा. गोपालस्वामी अयंगर की रही। जहाँ हम डा. अम्बेडकर जी को याद करते हैं, सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हैं, डा. राजेन्द्र प्रसाद, जिन्होंने अध्यक्षता की, पं. जवाहरलाल नेहरू, जो उस समिति के ही थे और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अध्यक्षता की थी, इनके साथ-साथ डा. गोपालस्वामी अयंगर भी थे। अगर हम अपने संविधान को देखें, इसकी उद्देशिका को, preamble को देखें, तो मैं आज के दिन यह कहना आवश्यक समझता हूं कि एक प्रस्ताव Constituent Assembly में रखा गया था, एक resolution 13 दिसंबर, 1946 को रखा गया था। वह objective resolution था कि कैसा देश बनेगा, हमारी क्या कमिटमेंट होगी, प्रतिबद्धता होगी, उसमें समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, socio-economic जस्टिस होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा। पं. जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को यह प्रस्ताव रखा था। वही प्रस्ताव, objective resolution भारत के इस संविधान की उद्देशिका में हैं, preamble में है। मैं समझता हूं कि आज की पीढ़ी को यह जानना जरूरी है, आज की पीढ़ी को यह याद करना जरूरी है कि हम कृतज्ञ हैं उन तमाम महान नेताओं के, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह एक वचन, जो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने प्रजातंत्र के प्रति दिया था, एक समर्पित भारत के प्रति दिया था, हम आज के दिन उनको भी कृतज्ञता से याद करें। कई मित्रों ने डा. गोपालस्वामी अयंगर जी की चर्चा की, मैं तमाम बातें नही दोहराता हूं, डा. मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा, पर मैं एक बात कहना थोड़ा जरूरी समझता हूं कि अगर डा. गोपालस्वामी अयंगर जी ने दो सदनों की बात कहते हुए यह कहा कि किसलिए यह आवश्यक है? एक तो हमारी संघीय प्रणाली, एक इस देश की विविधता, ज़ुबान की, धर्म की, अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताएँ, उनकी एक पहचान है, चाहे हम पश्चिमी बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, एक विशेषता है, इतिहास है। हर भाषा का अपना एक इतिहास है। यह देश एक है, पर यह एक तभी रहता है, तभी मजबूत बनता है, जब हम इसकी diversity को, इसकी विविधता को celebrate करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर हम भारत की इस विविधता का सम्मान नही करते हैं, कही उसमें कोई कमजोरी आ जाती है, तो यह देश कमजोर होता है और देश की एकता कभी मजबूत नही हो सकती।

उन्होंने यह भी कहा था कि यहाँ पर चर्चा हो, चर्चा ऐसे स्तर की हो, जिससे देश को प्रेरणा मिले। मुझे याद है, जब मैं इस सदन के अन्दर आया था, मैंने इस सदन में उस समय के बड़े-बड़े महान नेताओं को देखा। हमने उनसे कुछ सीखा भी। हम तो नए आए थे, मैं उधर बैठता था। कुछ दिनों के बाद यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। संसदीय परंपराओं के बारे में हमने आडवाणी जी से बहुत सीखा। किस तरह उनका व्यवहार था, कैसे वे बात को रखते थे। यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी थे, चतुरानन मिश्रा जी थे। तमाम लोग थे, जिनका

बड़ा अनुभव था। हम उनको बारीकी से देखते थे, कम से कम मैं जरूर, मेरे और भी साथी और हर दिन, कोई ऐसा दिन नही दिन गया, जब कोई नई चीज न दिखी हो, जो हमने पढ़ी भी, उससे भी आगे बढ़ कर हमें सीखने को मिला। पर अयंगर जी ने कहा था कि इस सदन के अन्दर चर्चा का स्तर ऊँचा रहे, यहाँ पर विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जो राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी बात कहने, उनकी आवाज उठाने यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ delay legislation. Exact words are "delay legislation which might be the outcome of passions of the moment." And "provide opportunity to seasoned people who may not be in the thickest of the political fray." मैं पूरा नही पढ़ूंगा। उसका क्या लाभ है, क्यों कहा गया, क्योंकि आज उसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, मुझे सिर्फ यह बताना है कि आपके एक वक्ता और हैं।

श्री आनन्द शर्मा: मुझे सब मालूम है, मुझे अपना समय भी मालूम है।

श्री उपसभापति: आप समय ले लें, आपके सिर्फ एक वक्ता और हैं।

श्री आनन्द शर्मा: मुझे मालूम है। मेरा पिछले सत्र का अनुभव है, कृपा करके फिर वह न हो।

श्री उपसभापति: नही, नही, अनुभव की बात नही है, आपको just याद दिला रहा हूँ।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जब लय में बात कही जाती है, व्यवधान अच्छा नही लगता। आज जब राज्य सभा के संदर्भ में यह कहा जाता है कि राज्य सभा बाधा डालती है, obstructionist है, हालाँकि हमारे माननीय पूर्व नेता सदन, अरुण जेटली जी, जो हमारे मित्र भी थे, आज हमने उनको याद किया, जब वे नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने इसको उचित बताया था और मुझे इस पर कोई आपत्ति नही है कि कई बार उन्होंने यह कहा था कि यह प्रजातंत्र का हिस्सा है, it's an instrument available to the Opposision. मेरा यह मायने नही कि आज के दिन मैं यह कह रहा हूँ कि हम बाधा डालेंगे, obstruction करेंगे, व्यवधान करेंगे, मैं उस दृष्टिकोण से यह बात नही कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस सदन में यहाँ के माननीय सदस्यों ने कोई माँग की, आज की नही, वर्षों तक कि जब कोई कानून बनता है, नया बिल लाया जाता है, हर बिल, चाहे वह किसी भी विषय से सम्बन्ध रखता हो, वह भारत के लोगों को, हर नागरिक को, आज की तारीख में 134 करोड़ भारतीयों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। A mass of our people are affected directly by the laws that are enacted by the Indian Parliament, whether you are dealing with the Air Act, whether you are dealing with the Motor Vehicles Act or the Goods and Services Tax or Constituation (Amendment) Bill which may have become necessary. We cannot overlook

[श्री आनन्द शर्मा]

the fact that the interest of the country demands and the interest of the democracy demands that no Bill is passed in haste. दूसरे सदन में जिन सत्ताधारी दलों का बहुमत होता है, अगर उनके द्वारा कही कोई बिल, बिना चर्चा, बिना legislative scrutiny, बिना जांच-परख, बिना Standing Committee या बिना किसी Joint Committee के पास गए हुए पारित हो जाता है, तो इस सदन का अधिकार ही नही कर्तव्य बनता है कि वह उसे देखे। हम अम्बेडकर जी का उदाहरण देते हैं, राज्य सभा के बारे में उन्होंने जो-जो कहा, मेरे पास उनकी कही हुई वे सब बातें हैं। मैंने अभी श्री गोपालस्वामी आयंगर जी की बात भी बताई। अगर हम इन नेताओं का वास्तव में सम्मान करते हैं, तो उन्होंने जो कहा है, हम उस पर अमल भी करें। जो कोई कानून बने, जो कोई बिल आए, पहले उसकी जांच परख हो, ताकि वह किसी विवाद का विषय नही बने। हम हर बिल के लिए नही कहते, आप भी विपक्ष में थे, हर बिल के लिए कोई भी नही कहता कि उसे विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं, कानून बनने से पहले जिनकी जांच-परख होनी चाहिए। यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हिन्दुस्तान की संसद में कोई भी बात जल्दबाज़ी में नहीं होनी चाहिए, न कोई कानून जल्दबाज़ी में बनना चाहिए, न बदला जाना चाहिए और न ही जल्दबाज़ी में हमारा संविधान बदला जाना चाहिए। केवल सत्ता पक्ष के सदस्य ही नहीं, हर संसद सदस्य संविधान की शपथ लेकर, सदन में अपनी जगह ग्रहण करता है।

डा. अम्बेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे, उन्होंने इस सदन के बारे में एक बात कही थी। मैं उनकी कही हुई केवल दो लाइनें पढ़ूंगा, "The Council representing the units of federation, in fact, also represented in a more fundamental and deeper sense the unity of our country as expressed through its many States and diversities of cultures, religions, languages and customs." जिस विविधता का डा. अम्बेडकर जी ने जिक्र किया है, वही विविधता इस सदन में हमको दिखती है। आज हमें यह चीज़ देखनी होगी कि यह सदन अपने कर्तव्य का निर्वहन सच्चे मन से करे, सच्ची प्रतिबद्धता से करे।

प्रधान मंत्री जी ने आज जो बात कही, वह अच्छी लगी। उन्होंने वाजपेयी जी को क्वोट करते हुए कहा कि यह Secondary House नही है, Second House है। सभी के लिए बड़े सम्मान के साथ आज मैं एक चीज़ और कहूंगा कि यह Upper House भी नही है, हालांकि कई प्रजातांत्रिक देशों में इसे Upper House कहा जाता है या House of Lords कहा जाता है। इस हाउस में मनोनीत लोग आते हैं, राज्यों के द्वारा चुने हुए सदस्य आते हैं, इसलिए हमारे संविधान और संसदीय प्रणाली में इसका एक विशेष स्थान है।

हमारे सभी माननीय सदस्यों ने यहां बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नही, लेकिन पंडित जी ने जो कहा, मैं उसे यहां बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, "Neither House of the Indian Parliament was superior to the other and that each House had to perform the specific functions allotted to it by the Constitution."

अंत में मैं यह कहूंगा, आज के दिन जब यह चर्चा हो रही है, इसके कुछ ही दिन बाद, 26 नवम्बर को एक और दिन आएगा, जिस दिन हमारे संविधान की रिपोर्ट पेश की गई थी। बेहतर होगा कि आज के दिन सदन यह तय करे कि हमारे सदन के अंदर भारत के संविधान पर विस्तृत चर्चा होगी। 26 जनवरी, 1950 को, जिस दिन भारत रिपब्लिक बना था, गणराज्य बना था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हमने शपथ ली थी। आज हम पुनः अपने आप को समर्पित करते हुए, उसी प्रतिबद्धता को दोहराएं कि हमारे संविधान के जो बुनियादी उसूल हैं, न तो हम उनको कमज़ोर होने देंगे और न ही उन पर कोई चोट लगने देंगे। हम सदैव एक समर्पण की भावना से उन उसूलों की रक्षा करेंगे, यही राष्ट्र भक्ति है, यही देश के लिए हमारा कर्तव्य है, धन्यवाद, जय हिन्द।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, बहुत समय से चर्चा चल रही है और बहुत लम्बा तथा विस्तृत भाषण करने की शायद आवश्यकता भी नही है और मेरी वह मुद्रा भी नही है। मैं यह भी मानता हूँ कि भाषण की लम्बाई और आवाज़ की ऊँचाई से आशय को गहराई प्राप्त होती है, यह कोई सही नही होता है। लम्बा भाषण करना आसान है, संक्षेप में छोटी बातें, मुद्दे की बातें रखना थोड़ा सा कठिन होता है, तो मैं इस कठिन कार्य की ओर थोड़ी सी कोशिश करने की मुद्रा में हूँ।

महोदय, आखिरकर राज्य सभा के 250वें सत्र को हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि राज्य सभा की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। राज्य सभा, लोक सभा जैसा सदन नही है। कई बिन्दु हैं, चार-पाँच प्रमुख बिन्दु हैं, जो राज्य सभा को लोक सभा से एक अलग पहचान देते हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर प्रतिनिधि चयनित होते हैं या कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर मनोनीत भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे लोक सभा के सदस्यों को एक दृष्टि से जनमत के दबाव के सामने हमेशा झुकना पड़ता है या सजग रहना पड़ता है, वह बात हमारे लिए नही होती, क्योंकि उस रूप में हम किसी भौगोलिक कांस्टीटुएंसी का, एक सीमित कांस्टीटुएंसी का रिप्रेजेंटेशन नही करते, बल्कि एक दृष्टि से हम यहाँ पर पूरे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तीसरी बात यह है कि लोक सभा के सदस्यों को पाँच साल की अवधि मिलती है, जबकि हमें छः साल की अवधि मिलती है, यानी हमें एक साल की अवधि ज्यादा मिलती है। जैसे बताया गया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि यह एक निरन्तर चलने वाला, एक शाश्वत सदन है, यद्यपि लोक सभा एक सीमित कार्यकाल में चलने वाला सदन है। इस दृष्टि से जब इन सारे पैमानों पर अगर लोक सभा से राज्य सभा को, शायद राज्य सभा सदस्यों को, अधिक सुविधाएँ हैं, अधिक अवसर हैं, तो स्वाभाविक रूप में मैं मानता हूँ कि जनतांत्रिक रचना की या संविधान के निर्माताओं की अपेक्षा भी है कि राज्य सभा के सदस्य कुछ थोड़ा-सा अधिक काम करें, कुछ थोड़ा अधिक जोड़ें, कुछ थोड़ा अधिक योगदान करें।

मुझे तो यहाँ लगभग साढ़े तीन साल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साढ़े तीन दशक से काम करने वाले लोग भी हैं, तो मैं अनुभव की दृष्टि से भी छोटा हूँ, इसलिए बहुत लम्बा लेक्चर देने

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

की जरूरत नही है। मगर मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप में संविधान निर्माताओं की अपेक्षा यह होगी कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर यहाँ पर चर्चा करें। इतिहास के कई उदाहरण हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने की इस अपेक्षा पर कइयों ने पानी फेर दिया। आज भी मैं देख रहा था। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने भाषण किया, अभी भी अन्यान्य सदस्यों ने भाषण किये। विषय है राज्य सभा के 250वें सत्र का और चर्चा एक राज्य को लेकर और उसमें भी एक राजनीतिक बिन्दु लाकर जिस पद्धति से उसको एक नयी दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है, मैं मानता हूँ कि इस राजनीतिक उठापटक से हमें ऊपर आकर, दलगत राजनीति को पीछे छोड़ कर, सदन के योगदान की और उसके बारे में और क्या सुधार हो सकते हैं, इसकी चर्चा करनी चाहिए। हम अगर उसी कूपमंडूकवृत्ति से एक-एक सर्कल में घूमते रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि जिस भावना से इस चर्चा को रखा गया है, उस भावना के साथ हम न्याय नही करेंगे।

बताया गया कि हर विधेयक के ऊपर, हर प्रस्ताव के ऊपर, हर लेजिस्लेशन जो आता है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। यह भी बताया गया कि यह जो समिति पद्धति है, इस समिति पद्धति के 2018 में 25 साल पूरे हुए। वैसे तो जरूरी था कि दोनों सदन मिल कर इस समिति पद्धति की एक समीक्षा करें कि 25 साल हमने कमेटी सिस्टम को अपनाया, जो एक अलग सिस्टम है, बड़ी अच्छी बात है। हमें भी समितियों के अन्दर काम करते समय थोड़ा सा अनुभव मिला। हम सब जानते हैं कि समिति को हम "लघु संसद" कहते हैं। यानी "महा संसद" में चर्चा करने का उत्साह नही, यहाँ पर चर्चा को रोकने की कोशिश और बताया यह जाता है कि नही-नही, "लघु संसद" में चर्चा होनी चाहिए। यह कौन सा तरीका है, मुझे समझ में नही आता। हमें यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। मैं दावे के साथ, विनम्रता के साथ कहता हूँ कि समितियों के अन्दर भी जो चर्चा होती है, उसका स्तर यहाँ की चर्चा से बहुत ऊँचा होता है, उसमें बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, शायद ऐसा नही होता है। सामान्यतः ऐसा नही होता। आज कितने लोगों की उपस्थिति के बारे में भी कहा गया। इसलिए किसी एक चीज़ को सैक्रोसेंट मानते हुए कि वह चीज़ जो हम कह रहे हैं, वही पवित्र है, ऐसा आविर्भाव न लेते हुए इसकी चर्चा करनी चाहिए।

श्री आनन्द शर्मा : माननीय उपसभापति महोदय, he has yielded. धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा और वह यह है कि इस सभा में चर्चा और समिति में चर्चा में यानी स्टैंडिंग कमेटी में या सेलेक्ट कमेटी में scrutiny में एक अंतर है और वह यह है कि समिति में इस संसद के सदन के जो सदस्य नही हैं, हम उनको बुला सकते हैं, stakeholders को बुला सकते हैं, अधिकारियों को witness के रूप में बुला सकते हैं, जिनको हम सदन के अंदर नही बुला सकते हैं।

DR. VINAY P. SAHASRABUDHE: Sir, I am conscious of this fact. I also have had some exposure to the Committee system. But, whether that is really adding some great value to the deliberations, that is the moot question. ...*(Interruptions)*... No, no; that

may not be universally true. मेरा इतना ही कहना है कि यह निरंतरता से होता रहा है, ऐसा मानते हुए समिति पद्धति की ओर ध्यान आकृष्ट करना और सदन की चर्चा से भाग जाना, सदन की चर्चा में रुकावटें लाना, सदन का काम चलने नही देना और दावा करना कि नही, नही, समिति की ओर चलें, मैं मानता हूँ कि यह एक आत्मवंचना है और आज जब हम आत्म परीक्षण की बेला पर हैं, तो आत्मवंचना से हमें छुटकारा पाना चाहिए। मैं इतना ही limited point बता रहा हूँ। I am not against the Committee system. I am not against deliberations in the Committees. But, point is that, let us also emphasise upon some kind of a structured and productive discussion and deliberations in this particular House. इतना ही मेरा कहना है।

मान्यवर, मेरे सीमित अनुभव के आधार पर मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं कि जिस पद्धति से कुल मिला कर इस सदन के कामकाज को हम देखते हैं कि किस पद्धति से ये काम करते हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात भी मैंने कही।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, मुझे एक प्रसंग याद है, जब जनता पार्टी की सरकार थी और हम सब जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार आने के पहले इमरजेंसी की अंधेरी रात में संविधान का संशोधन किया गया। जब सदन के कई सदस्य अनुपस्थित थे, उसी समय यहां पर संविधान के Preamble में दो शब्द - 'Socialism' and 'Secularism' जोड़े गए। अब यह इतिहास का हिस्सा है और इसके ऊपर कोई आपत्ति नही जता सकता। मगर जब इसके बारे में चर्चा चली, तब लोक सभा ने इसके बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें socialism और secularism को व्याख्यित किया गया। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव इस प्रकार था, 'Secular Republic', the Lok Sabha has defined in one of its resolutions, is a Republic in which there is equal respect for all religions and 'Socialist Republic' means a Republic in which there is freedom from all forms of exploitations - social, political and economic. Sir, I must mention over here that this proposed amendment needed two-third majority in the Lok Sabha, but got stuck down, very unfortunately, in the Rajya Sabha in the very year. इसलिए यह दलगत राजनीति से ऊपर उठने का परिचय नही है। इस तरह की व्याख्या में गलत क्या था? मगर उस समय सत्ता पक्ष के जो भी नेता थे और उनकी यहां पर majority नही थी, इसलिए उस प्रस्ताव को यहां पर ठुकराया गया। मेरा यह कहना है कि इतिहास का विस्मरण नही होना चाहिए। आज सुबह से हम भी बहुत इतिहास की बातें सुन रहे हैं कि प्रथम प्रधान मंत्री जी ने क्या किया। ये सभी मान्यवर हैं, सबके प्रति कृतज्ञता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। हमारी धारणा यही रहती है, मगर अभी निगाहें भविष्य की ओर भी रखनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या अपेक्षा करती हैं और जब हम आने वाली पीढ़ियों की अपेक्षा की बात करते हैं, तब सदन यानी केवल दीवारें, बड़े-बड़े खंभे, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, यह सदन

[श्री आनन्द शर्मा]

नही है, सदन की deliberations के ऊपर, यहां की चर्चा की गुणवत्ता के ऊपर लोगों की निगाहें हैं और उस दृष्टि से यह कार्य कैसे productive हो, इसके बारे में मैं मानता हूँ कि सुधारों की बहुत सारी गुंजाइश है। मुझे खुशी है और मैं गर्व का अनुभव करता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय राज्य सभा के चुनाव के बारे में एक बुनियादी सुधार लाया गया, जिसके कारण राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव और जिसको horse trading करते हैं, उससे बाहर निकल कर एक पारदर्शी चुनाव की पद्धति को स्थापित करने में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सभापति महोदय, सुधारों की एक लंबी सूची है, जिसकी अपेक्षा है। हम नए सदस्य हैं, कई बार हमें समझ में नही आता है कि ज़ीरो आऑवर के लिए हम इतनी तैयारी से आते हैं, कई सदस्य मेरी भावना से सहमत होंगे और काम ही नही होता है या क्वेश्वन ऑवर में हमारा क्वेश्वन लगता ही नही है। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि जिनके ज़ीरो ऑवर मेंशन्स आए हैं, ज़ीरो ऑवर नही चलता है, उस स्थिति में हम आपके चैम्बर में आ जाएं और आप किसी एक मंत्री जी को बुला लीजिए, उनके सम्मुख हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इससे कम से कम एक समाधान तो होगा कि हमने किसी को अपनी बात सुनायी। यह जरूरी होता है। इसी तरह से क्वेश्वन ऑवर के बारे में I think the changing circumstances demand some extraordinary solutions as well, and, therefore, my humble request is that we should be looking into a slew of reforms to make the functioning of this House very productive. Sir, there are only two, three suggestions which I have to make.

MR. CHAIRMAN: Please.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे : सर, दूसरी बात यह है कि कुल मिला कर यहां पर इसको कहा जाता है कि that is the Council of States.

अभी भी राज्यों के बारे में कई सारे विषय आए। क्यों न इस सदन की कार्यसूची में एक-एक राज्य पर चर्चा हो कि राज्य की स्थिति क्या है? चूंकि वे राज्यों के मसले हैं, इसलिए कई बार उन्हें उठाने नही दिया जाता और राज्यों की स्थिति हमेशा आदर्श होती है, ऐसा भी है। अगर सदन के हर सत्र में हम चार-पाँच राज्यों पर चर्चा करते हैं, तो सही अर्थ में यह Council of States होगा। इस दृष्टि से भी मैं मानता हूँ कि सुझाव को आकलन में लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, लोक सभा के सदस्यों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे हमें भी मिलती हैं। लोक सभा के सदस्यों को भी एक सचिव, सहयोगी साथ में रखने का अवसर प्राप्त है। इसके लिए वेतन की भी रचना है और हमारे लिए भी वेतन की रचना है। मगर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के संदर्भ में कोई अंतर है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अधिक research based propagations आने चाहिए, कुछ भाषण होने चाहिए, प्रस्ताव आने चाहिए। इसके लिए हमारा जो

भी सहयोगी हो, वह रिसर्च की क्षमता वाला हो। क्या हम इस तरह का कोई प्रावधान कर सकते हैं, जिसके कारण गुणवत्ता बढ़ेगी और हो सकता है कि माननीय सदस्य के भाषण की भी गुणवत्ता बढ़े और अच्छा काम हो?

सभापति महोदय, MPLADS की बात आती है। हर सांसद को लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड दिया जाता है। सभापति जी, हम रास्तों के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, कुएं खोदने के लिए फंड देते हैं और देना भी चाहिए, मगर राज्य सभा के सदस्यों पर constituency के जनमत का दबाव नही है, हम कुछ मात्रा में इससे मुक्त हैं, तो क्या हम archeology के लिए, हमारे पुराने स्मारकों के संवर्द्धन के लिए, आर्ट और कल्चर के लिए, Scheduled Castes and Scheduled Tribes और महिलाओं के विकास के लिए क्या हम इस तरह की निधि का विनियोग करने के लिए कोई प्रोत्साहन, कोई incentive की रचना कर सकते हैं, ताकि हमारी निधि का विनियोग अधिक अच्छी पद्धति से हो?

सभापति महोदय, हम सब "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के बारे में जानते हैं। लोक सभा के सदस्यों पर उसके लिए एक दुविधा होती है, क्योंकि वे एक गाँव चुन लेते हैं और चुनाव क्षेत्र के अन्य सदस्य नाराज़ हो जाते हैं कि आपने उस तहसील का, उस जिले का गाँव क्यों चुना? हम इससे मुक्त हैं, मगर हमारे कितने लोग "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के अंतर्गत एक गाँव को गोद लेकर उसके विकास के बारे में काम करते हैं? मैं मानता हूँ कि यह अंतर्मुखी होकर सोचने का विषय है। अगर हम इसके बारे में अधिक सघन पद्धति से अपेक्षाओं को रखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा रहेगा।

सर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि यह दोनों का मिलकर कैसा होगा, मैं नही जानता, मगर राज्य सभा का एक अपना डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च होना चाहिए। जहाँ कुछ अच्छा शोध हो, शोध करने की प्रवृत्ति रखने वाले हमारे यहाँ के सदस्यों को भी उसमें कुछ अवसर मिले और एक अच्छी सामग्री, शोधपरक सामग्री लोगों के विचार के लिए उपलब्ध हो। मुझे लगता है कि इन दो-चार प्रमुख बिंदुओं पर कुछ न कुछ विचार होना चाहिए।

सभापति जी, लोक सभा के बारे में कहा गया कि वहाँ direct elected लोग होने के कारण से उन्हें वास्तविकता से, जमीनी हकीकत से अधिक जुड़ना पड़ता है, यह स्वाभाविक है। हमारी अपेक्षा रहेगी कि हम कुछ भविष्य के बारे में सोचें, थोड़ा आने वाले कल के बारे में सोचें। ब्रह्मदेव के बारे में एक कहानी बताते हैं कि एक बार स्वप्न और सत्य के बीच झगड़ा हुआ कि बड़ा कौन है, तो ब्रह्मदेव ने कहा जिसके पाँव जमीन पर रहेंगे और हाथ आसमान को छुएंगे, वह सबसे बड़ा है। स्वप्न के लिए यह संभव था कि उसके हाथ आसमान को छुएं, मगर पाँव जमीन पर न रुकें। सत्य के लिए जमीन पर पाँव रोकना संभव था, मगर उसके हाथ ऊपर तक नही पहुंचे। मैं मानता हूँ कि स्वप्न और सत्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और समन्वय का संदेश देना चाहिए। अगर राज्य सभा और लोक सभा की समन्वय की भूमिका रहेगी, तो भारतीय

6.00 P.M.

[डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे]

जनतंत्र अधिक गतिशील बनेगा और हमारी कार्यवाही भी उत्पादक बनेगी। आज मैं मानता हूँ कि अंतर्मुखी होकर, पीछे मुड़कर खुद को सवाल पूछें, whether we have added any value, whether we have made any difference. If so, how and if not, why?

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, I have a few more names, but 6 o'clock is the time given.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, take the sense of the House.

MR. CHAIRMAN: The point is, sense of the House always says कि समय बढ़ाओ, मगर लोगों की संख्या कम होती रहती है। So, we would have an extension of half-an-hour. Shri Amar Patnaik; two minutes, please.

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, it is a proud privilege for me today to be a part of this historic occasion, historic debate as well. I won't like to repeat what the hon. Members have said, but, in essence as it appears, the Rajya Sabha has been at the forefront of bringing out some of the most outstanding socio-economic legislations. If the Lok Sabha has had a pre-eminence on the Money Bills, the Rajya Sabha has had some of the outstanding socio-economic legisiations like the Hindu Marriage and Divorce Bill which we talked about in the morning today, the Succession Amendment Bill, 1991, the marriage laws and several such laws, and the most important was historic Women's Reservation Bill about which our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has been repeatedly writing. This Bill has been passed in this House but it has not been passed in the Lok Sabha. So, I would say, if there is one particular progressive House between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, it is the Rajya Sabha which has been fighting for women of this country. It is the actual double engine of growth and not the same Government at the State and the Centre. If the growth process, as the hon. Prime Minister said today, has to progress, then both the Houses should go together; it is the true double engine when the Lok Sabha and the Rajya Sabha work in tandem. As Praful Patelji said, one of the challenges is the whip, the Anti-Defection law. The Anti-Defection law is to stop defection, but, in essence, what happens is that you are also prohibited from speaking your mind. Let's say there is a three-Judges bench. One particular Judge may have a judgement which is concurring, but he can write a separate judgement. Such kinds of views are not probably possible in Lok Sabha but that should

be allowed in the Rajya Sabha. That should be possible and that should be the hallmark of Rajya Sabha. One has to think about it. The second aspect is the discussion. The National Commission which was set up to review the working of the Constitution made mention of the absence of adequate parliamentary scrutiny. It noted that the Bills are often pushed in the Parliament with unbelievable speed and then found one thing in one respect or another, and recommended a more systematic approach to planning legislation. While changing is very good, but changing too frequently is bad. It probably reflects that we have not really applied our mind too much and, therefore, all the debates that we have been having about the Standing Committees has to be taken in a proper perspective and the scope for deliberation has to be made pre-eminent as observed by Dr. Radhakrishnan, when he said, "So far as deliberative functions are concerned, it will be open to Rajya Sabha Members to make very valuable contributions and it will depend on our work whether we justify this two Chamber system which is now an integral part of our Constitution." So it is a test to which we, as Members, are submitted. Mr. Arun Jaitley, about whom we talked about in the morning today, people look upon both the Houses of Parliament to improve the quality of politics and governance. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam; I would like to state one thing here. Here after, nobody will be given the second opportunity if he is absent at the first instance, even for right reasons also. When your name is called, you are supposed to be here.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Thank you very much for kindness. It was for rightful reason.

MR. CHAIRMAN: This doesn't apply to you alone; it is my general observation.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, while standing here, we are to remember those great names, those stalwarts who upheld the quality and practice of Rajya Sabha. To remember them all is not easy today due to lack of time. If I comprise them all, I will mention only one name, that Is, Shri Bhupesh Gupta. I am sure that even those who may not agree with him ideologically would agree that Bhupesh Gupta was a man, a parliamentarian of excellence, and that also reflects the greatness of this House. Rajya Sabha is a permanent House. There is no doubt about it. But it is not expected to be a static House, it should be a House of motion to understand the people's pulse. The will of the nation is desired to have a better future. In that way, this permanency is not expected to be static.

[Shri Binoy Viswam]

Sir, we talk a lot about democracy. In my humble opinion, democracy lives in discussions, debates and even dissents. It is a pity that on many occasions, this House saw that doors for discussions were closed by the strength of numbers. Many of the Bills, of which my friends on the other side were talking very much, were passed here without proper discussions, without even scrutiny, whatever we mean by those words. That is to be taken into consideration. 'Productive' or 'productivity' is a very good term. What is 'productivity' and what is 'productive'? Talking about quality of the Bills, I should say that some of the Bills that we passed recently, especially during the last Session of the House, cannot be called productive. It was passed in a very hasty manner, without paying proper attention to the Parliamentary norms and practices.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, one sentence regarding the Money Bill. I strongly feel that this House should have a right to discuss and decide on Money Bills also.

Regarding structure of the Parliament House, the structure has to be maintained. The parents cannot be changed.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI BINOY VISWAM: Internal facilities they can discuss but the great appearance of the Parliament House have to be kept intact with all historical importance. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Binoyji. Now, Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, nobody can compete with you in rhyming words in a sentence. But I am learning from you. So, let me begin by saying this. Today, we celebrate democracy and indulge in some hypocrisy because what we have listened today is our commitment to the Rajya Sabha. But what has been our track record in the last two, three years? Sir, there was a judgment of the Supreme Court on the 28th of September, 2018. it was a minority judgment by a man who is going to be the Chief Justice for three years from now. It was a minority judgment and he said that passing of the Aadhaar Bill is a fraud on the Constitution. Fraud on the Constitution. But it was a minority view. It can be ignored. But this is a Government that has taken a minority view and passed a historic legislation. This is the double standard, democracy

and hypocrisy. On 13th of November, just four, five days ago, the Supreme Court passes a unanimous judgment referring the Money Bill issue to a larger Bench. What does it mean? It is a rebuke of the Government. Sir, we don't want to listen to lectures on how important this House is. If this House is really a second House and not a secondary House, don't abuse the Money Bill route to pass important legislations. Number two, this is a House that has confronted the Government of the day. On 4th of December, 1970 — my friend Shri Tiruchi Siva is sitting here — Shri S. S. Rajendran, the DMK Member, goes to the men's room. He is not able to come back because the Lobbies have been cleared. The Privy Purse Bill falls by less than one vote because one DMK Member of Parliament was not present in the Rajya Sabha. In 1989, the 63rd and 64th Amendments, the Panchayati Raj and Nagarpalika Bills, were rejected bv this House.

MR. CHAIRMAN: These are 73rd and 74th Amendments.

SHRI JAIRAM RAMESH: The Panchayati Raj could have been passed as a Money Bill. Privy Purse could have been passed as a Money Bill. But, it was not done. So, my earnest plea to the Government through you is that demonstrate your seriousness to this House by respecting legislative scrutiny. Do not do this bypass surgery, based on Money Bill. Finally, Sir, never before has the Rajya Sabha seen such enforced migration as we have seen in the last one year. I used the word 'enforced migration'. The Lok Sabha has seen it but the Rajya Sabha has never seen it. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): कोई enforced नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**... मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, this is wrong.

SHRI JAIRAM RAMESH: I can't help it.

MR. CHAIRMAN: I will take care of it, Rameshji.

SHRI JAIRAM RAMESH: I can't help it.

श्री नीरज शेखर: मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे enforced है?

SHRI JAIRAM RAMESH: I can't help it if guilty conscience plagues the mind.

MR. CHAIRMAN: Now, let us come to the reality of the situation. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर: सर, इसे रिकॉर्ड से बाहर निकालना होगा। ...**(व्यवधान)**... This cannot be allowed. ...*(Interruptions)*... I don't agree with him.

MR. CHAIRMAN: You have got every right to disagree. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: How can he say that? ...*(Interruptions)*... Can he say anything? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, Article 80(1) (a) of the Constitution. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have sixteen instances before me where the so-called migration has taken place earlier, and migration is allowed. What can I do? ...*(Interruptions)*... I have given reply to him. ...*(Interruptions)*... नीरज जी, आप बैठिए।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, let me end by saying. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have told that for years together, that has been happening. We are concerned now. But we should take care of what happened earlier and what should not happen in future.

SHRI JAIRAM RAMESH: Finally, Sir, under Article 80(1)(a) of the Constitution, twelve Members are nominated to this House. They represent the best of art, the best of science and the best of culture. We have had great scientists, we have had great artists, we have had great administrators. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Like Mani Shankar Aiyar. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, he is not present here. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: In the last one year, eight, out of the twelve Members, have joined the Treasury Benches. It has never happened before. It is not illegal because within six months, you can join the Treasury Benches. My request to you is: please make a change in this rule. Let this House have twelve voices who can rise above party considerations and give us the benefit of their advice. Let them speak

independently. These twelve people should stand up and be independent, go beyond party and not misuse Article 80(1)(a) in order to boost the numbers of the Treasury Benches.

श्री नीरज शेखर: सर, 'enforced migration' को रिकॉर्ड से निकालना होगा। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I will go through it. *...(Interruptions)...*

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, पार्लियामेंट का प्रोसीजर वे लोग हमें सिखा रहे हैं, जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का bribe case सुप्रीम कोर्ट का आप भी पढ़ते हैं कि आपने क्या conduct किया था। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I don't think that we should get into those matters and then try to take a dig against each other. What we could not practice, if we preach it now, then there will be reactions and all. I only suggest that we should focus on the future and be constructive. Today is a very pious day. Now, Shri Rakeshji will speak, and afterwards the Deputy Chairman. I appeal to everyone.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सदन की 250वीं बैठक को आपने ऐतिहासिक बनाने का अवसर दिया है। हम सब भाग्यशाली हैं, इस अवसर के हम गवाह भी हैं और भागीदार भी हैं जो आज हम कर रहे हैं, उसका इतिहास मूल्यांकन भी करेगा। आपने introductory note में जो बातें कही, जो एक बहस की आधारशिला रखी है, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उस आधारशिला को हममें से ही लोगों ने तोड़ा। आज एक अवसर था जब हम दलीय राजनीति और दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मालोचन करते। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। सर, 249वें सत्र के अंत में जब आपने concluding speech दी थी, उसमें आपने एक घटना का जिक्र किया था कि 19 घंटे 12 मिनट obstruction में गए। परन्तु इसी सदन के सदस्यों ने 27 घंटे 52 मिनट अपने भोजन के समय को को छोड़कर, देर रात तक रुककर उसे पूरा किया। यह सदन की उस गरिमा को दिखाता है। और इस सदन की यदि हम House of Lords से तुलना करते हैं और Senate से तुलना करते हैं, तो अपने सदन की गरिमा को घटाते हैं। मैं House of Lords की निंदा नही करना चाहता हूं, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं। वर्ष 1912 में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री Herbert Asquith ने House of Lords को 'Constitutional dinosaur' कहा था, और 12 नवंबर, 2015 को New York Times में एक लेख छपा। जिसमें House of Lords के बारे में Matthew d'Ancona ने कहा 'heritage site masquerading as modern institution.' House of Lords में 824 सदस्य हैं, majority of hereditary हैं, 25 church of England से आते हैं तो House of Lords और राज्य सभा की कोई तुलना नही हो सकती है। यह द्वितीय चैंबर, second chamber संविधान सभा की conscious choice है ।47 सदस्यों ने भागीदारी दिखायी थी। ओडिशा

[श्री राकेश सिन्हा]

के लोकनाथ मिश्र जी ने एक संशोधन दिया था कि द्वितीय चैंबर को drop कर दिया जाए। 47 सदस्यों की भागीदारी हुई। इसमें दो और विषय थे। के.टी. शाह जी ने कहा था कि President को सदन का हिस्सा नही होना चाहिए, संसद का हिस्सा नही होना चाहिए। तीसरी सदस्य, बेगम एजाज रसूल ने यह कहा था कि संसद का नाम Indian National Congress होना चाहिए। इन तीन बातों को लेकर 47 सदस्यों ने लगातार विचार-विमर्श किया, गहराई के साथ विमर्श किया। इसलिए द्वितीय हाउस, राज्य सभा को हमने conscious choice से चुना है, यह किसी federalism का unitary क्ष का कोई द्योतक नही है, यह बात मैं इसीलिए कहना चाहता हूं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे Unitary States में भी आज द्विवतीय सदन हैं। यदि जर्मनी में है, अमेरिका में है, आस्ट्रेलिया में है, जहां संघीय व्यवस्था है तो जहां संघीय व्यवस्था नही है, वहां भी द्विवतीय चैंबर हैं, second chamber हैं।

सभापति महोदय, इस द्वितीय चैंबर को अपनाने का एक बड़ा कारण है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो औपनिवेशिक hangover से ग्रस्त हैं, औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त हैं। उन्हें आगे बढ़कर देखना चाहिए, इसका विकास औपनिवेशिक काल में नही हुआ। वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी। सभा को House of Elders कहते थे और समिति को Assembly कहते थे। मैं एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है - कम से कम आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदन की उपस्थिति को देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु मगध के राजा थे। उन्होंने अपने मंत्री, भास्कर को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि उनसे यह पूछो, सलाह लो कि हम लिच्छवी गणतंत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं - उन्हें Vajis कहते थे - तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, क्या हम जीत पाएंगे? भगवान बुद्ध ने सीधा उत्तर नही दिया, उसका indirect answer दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से पूछा कि आनन्द, क्या तुम्हें मालूम है कि Vajis के यहां full and frequent public assemblies होती हैं। आनन्द ने कहा, जी भगवान, हमें मालूम है कि लिच्छवी गणतंत्र में full and frequent public assemblies होती हैं। भगवान बुद्ध ने उसके बाद कहा कि so long there has been full and frequent public assemblies, it cannot be expected that vajis will decline rather they would prosper. तो अजातशत्रु को उत्तर मिल गया। आज राज्य सभा के पास सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह यह है कि हम अपनी प्रतिबद्धता इस सदन की मर्यादा, सदन के रूल, सदन की परम्परा के साथ रखें। लोक सभा और राज्य सभा में एक बुनियादी अंतर है। दलीय व्यवस्था के खांचे में रहकर सदन के मित्त में व्यवहार करना लोक सभा की बाध्यता है, राज्य सभा उस बाध्यता से बाहर है इसलिए दलविहीन राजनीति का एक अंश राज्य सभा में होता है - उस दलविहीन राजनीति का अंश कम से कम आज तो नही दिखा, जब मैं बहुत से वरिष्ठ सदस्यों को सुन रहा था जब वे एक साल की एक घटना को प्रस्तुत कर रहे थे। व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो वे प्रस्तुत कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन का मूल्यांकन होगा तो 13 मई,

1952 को यह सदन बना था, 13 मई, 1952 से लेकर आज तक का मूल्यांकन होगा। उसी काल में इस देश में emergency को लागू किया गया था, जिसमें राज्य सभा को भी शामिल कर लिया गया था। देश के सभी मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नही घटी थी और आगे कभी नही घटेगी। हम आज ensure करें कि राज्य सभा कभी भी आपातकाल लगाने का, संविधान को निरस्त करने का, मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को, किसी सरकार को नही देगी। यह संकल्प हमने 1977 में लिया, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी।

सभापति महोदय, तीन महत्वपूर्ण बातों को कहकर मैं अपनी बार समाप्त करना चाहता हूं। आज एक ऐसा अवसर है, जब हम अपनी गरिमा को भी देखें। मैं 1978 से लेकर 2013 तक के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, जो दिखाता है कि राज्य सभा ने एक महत्वपूर्ण contributionकिया है। नौ बार राज्य सभा की बैठकें 500 से अधिक घंटे चली। उसी 35 साल की अवधि में, 400 से लेकर 500 घंटों तक की sittings 19 बार हुईं। 300 से लेकर 400 घंटे की sittings 39 बार हुईं। 200 से लेकर 300 घंटे की sittings 56 बार हुईं। 100 से 200 घंटे की sittings 9 बार हुई और 100 घंटे से नीचे एक sitting हुई। यह दिखाता है कि राज्य सभा को जो भूमिका दी गई थी, उस भूमिका में हम राजनीतिक मरुभूमि नही रहे। राजनीतिक मरुभूमि नही रहने का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब राज्य सभा के सामने privy purses का बिल आया था, जब पंचायती राज का बिल आया था, राजनीतिक कारणों से भले ही गिरा हो, लेकिन राज्य सभा ने यह दिखाया कि we co-produce the Bills. बिल सिर्फ लोक सभा से नही, राज्य सभा से भी बनते हैं। हम co-production में साथ होते हैं, हम अलग-अलग नही हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष राज्य सभा के साथ यह है कि राज्य सभा House of Lords और Senate का प्रतिबिम्ब इसलिए नही हो सकता है कि इस सभा से लगभग 6 माननीय राष्ट्रपति बने हैं। हमारे 6 चेयरमैन भारत के राष्ट्रपति बने हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें और नवें। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर श्री के.आर. नारायणन तक राष्ट्रपति बने। डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी, श्री आर. वेंकटरमण जी, डॉ. जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। इस देश में राज्य सभा ने कई प्रधान मंत्री भी दिए हैं। इंदिरा जी, जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस का विभाजन किस तरह से किया गया, श्री वी. वी. गिरि राष्ट्रपति बने और अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हराने का काम किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: इंदिरा जी पर क्या ...**(व्यवधान)**... यहां क्या चल रहा है?

श्री सभापति: इसकी कोई जरूरत नही है, इसे छोड़ दीजिए।

श्री राकेश सिन्हा: सर, मैं आपनी बात को दो मिनट में समाप्त करता हूं। इस House ने लगभग तीन प्रधान मंत्री दिए। सभापति महोदय, आज वक्त यह है कि राज्य सभा अपनी भूमिका के लिए दो चीज़ों में सुधार करे। जो Congressional Research Service है, अमेरिका में Senate

[श्री राकेश सिन्हा]

और House of Representatives के लिए रिसर्च दी जाती है और राज्य सभा के सदस्यों को जो रिसर्च के संबंध में दिया जाता है, दोनों में बुनियादी अंतर है। हमें Google Search के आधार पर बंडल पकड़ाया जाता है, उन्हें शोध के आधार पर वे चीज़ें दी जाती हैं, जो मेम्बर्स को चाहिए। एक ही शोध की रचना में Republicans के लिए Democratic Party के मेम्बर्स के लिए, उनकी विचारधारा को देखते हुए, perspective को देखकर दो अलग प्रकार के रिसर्च एक ही विषय पर, एक ही शोध संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जो हमारे यहां नही होता है। एक तो शोध की व्यवस्था की जाए और दूसरा राज्य सभा की sittings को बढ़ाने की भी जो हमारी कल्पना है कि हम गैर-राजनीतिक विषयों पर जैसे पर्यावरण हुआ, जनसंख्या हुआ, ऐसे विषयों पर राज्य सभा अधिक deliberation करे, सिर्फ लोक सभा के साथ-साथ उन्ही विषयों का deliberation नही करे। यदि राज्य सभा ऐसा करती है, तो संभवत: राज्य सभा की उपयोगिता अधिक होगी।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। MPLADS fund, जो कि मुझे development के लिए दिया जाता है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से मनोनीत हुआ हूं। मैंने 20 लाख रुपये विद्यापति और शिवाजी पर शोध के लिए भंडारकर रिसर्च संस्थान को दिए, वह पैसे लौट गए कि आप रिसर्च के लिए पैसे नही दे सकते हैं। हम सभी सांसदों को एक खांचे में देखना और एक खांचे में सही विकास की प्रक्रिया को देखना अनुचित होगा। सभापति महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो मैं एक छोटी कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। यह सिर्फ एक मिनट की कहानी है। राज्य सभा फ्यूचर की कहानी कैसे रचती है, मैं एक छोटी-सी कहानी से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 'शिवाजी' नामक उपन्यास को रंजीत देसाई ने लिखा और कुरुंदकर जी ने उसका preface लिखा। कुरुंदकर जी ने preface में लिखा कि जब शिवाजी जीवित थे, तो औरंगजेब से लड़ रहे थे और जब शिवाजी नही थे, तो औरंगजेब से लड़ रहे थे। इसका कारण था कि शिवाजी ने अपने जीवन में औरंगजेब से लड़ने की जगह 300 किलों की रचना की और उन्हें मालूम था कि उनकी मृत्यु के बाद संघर्ष होगा। जब शिवाजी नही रहे, तो इन किलों से अंग्रेज टकराता रहा, 27 किलों से लड़ते-लड़ते औरंगजेब चला गया। राज्य सभा की भूमिका वही है कि हम फ्यूचर की रचना यहां से करते हैं, भले ही लोक सभा का मनी बिल में महत्व हो, लेकिन जिस बात पर हम बहस करते हैं, वह आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाती है..

श्री सभापति: धन्यवाद राकेश सिन्हा जी।

श्री राकेश सिन्हा: वह संसदीय जनतंत्र की रचना करती है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I am expecting the time of the House till the Deputy Chairman of the Rajya Sabha concludes his speech. He will be breif. You know him.

श्री उपसभापति: धन्यवाद माननीय चेयरमैन साहब। पिछले सवा साल से सुनने का दायित्व आप सबने मुझे दिया, आज चेयरमैन साहब ने राज्य सभा के इस ऐतिहासिक 250वें सत्र पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब का पुन: धन्यवाद करता हूं। लगभग पौने छ: साल से मैं इस सदन को नजदीक से देख रहा हूं। मैं अपनी भावना भी एक सदस्य की हैसियत से आप सबके सामने इस ऐतिहासिक अवसर पर रखना चाहूंगा, वैसे आज की बहस मेरे लिए यादगार है। मैं बहुत सीखता भी हूं। यहां बड़े अनुभवी लोग हैं, परन्तु मैं अपनी स्मृति पर जोर डालता हूं कि इस तरह की कितनी बहसें मैंने पौने छ: साल में सुनी और मैं बता सकता हूं, जैसे जीएसटी पर बहस सुनी, 10 प्रतिशत रिजर्वेशन पर सुनी। ये बहसें मुझे बताती हैं कि यह हाउस अलग क्यों बना था? इसकी जरूरत क्यों थी? क्यों आगे रहेगी? हम क्यों पूरी स्मृति में अपने को देख रहे हैं कि 249वां सत्र ही प्रोडक्टिव रहा? मेरे मन में सवाल है कि हम सब सामूहिक रूप से निश्यच करें, तय करें और जब अलग-अलग विचार आएंगे, तब उनसे ही रास्ता बनेगा कि हम हर सत्र ऐसा बनाएं, यह संकल्प लेने का भी आज अवसर है। हमारे इस सदन के जिन अत्यंत गौरव देने वाले नामों को हमने लिया है, उनमें एक राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त भी थे। उनकी बड़ी मशहूर कविता है, जो उन्होंने कभी लिखी - "हम क्या थे, क्या हुए और क्या होंगे अभी।" आज जब हम इसका मूल्यांकन करें, तो इतनी तो दूर दृष्टि होनी ही चाहिए। हम क्या थे, जो नाम माननीय आनन्द शर्मा जी ने भी गिनाये और कई लोगों ने गिनाये, भूपेश गुप्त, एरा सेजीयन, पीलू मोदी, चतुरानन मिश्र, जिन्हें मैं बहुत नजदीक से और बहुत वर्षों से जानता था। इसके अलावा चन्द्रशेखर जी थे, अनेक लोग थे, माननीय अटल जी, प्रकाशवीर शास्त्री आदि को इस अवसर पर याद करते हुए मैं खुद से पूछता हूं कि इन 67 वर्षों में हमने क्या यात्रा की और आज यह सदन कहां पहुंचा है? आज माननीय चेयरमैन ने अत्यंत अनुभवी, प्रखर और बहुत तेजस्वी हमारे राजनेता, जो हमारे बीच मौजूद हैं, पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब बाबू ने जो लेख हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है, उसको कक्?वोट किया। उस लेख के संदर्भ में पहले पेज पर हिन्दुस्तान टाइम्स में टिप्पणी है, "Even as we celebrate this momentous occasion, it will be desirable on part of the Members of the Rajya Sabha to remember that they have to maintain the fine balance between becoming obstructional or redundant." मैं अपनी कोई राय नही कह रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बार-बार शुरू में निवेदन किया कि मेरा पौने छ: साल का अनुभव है। यहां पर बड़े अनुभवी लोग हैं, जिनसे मैं आज भी सीखता हूं, परन्तु ठीक दो दिन पहले इस देश के मशहूर कानूनविद् रहे, बड़े सम्मानित व्यक्ति, जिनकी स्मृति में व्याख्यान हुआ और जो इस सदन के सदस्य रहे डा. एल.एम. सिंघवी जी, उनकी बात को मैं क्वोट कर रहा हूं। मैं आभारी हूं डा. अभिषेक मनु सिंघवी, माननीय सदस्य का, क्योंकि कुछ literature पढ़ने का मुझे अवसर दिया। इसी तरह से राज्य सभा के 200वें सत्र के महत्वपूर्ण अवसर पर, जब हमने 50 वर्ष पूरे किए थे, तो अक्टूबर 2003 में इस तरह का आयोजन हुआ, उसमें डा. सिंघवी ने क्या कहा, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

He said: Why has Rajya Sabha become so decisively partisan? Why must some of the Members rush to the Well of the House or denigrate the Chair or not allow other

[श्री उपसभापति]

Members to speak? He further said that this calls for fundamental thinking and we need to reconsider new parliament strategies and conduct in the two Houses.

ऐसा नही है कि डा. सिंघवी साहब ने ही यह सवाल किया। वर्ष 1960 और 1970 के दशकों में, जब से पराभव हुआ और हमारा जो गौरवमय अतीत रहा, जिसका उल्लेख मैं बहुत संक्षेप में आगे भी करूंगा। जब हम भटकने लगे, तो जिन्हें मैं ऋषितुल्य सांसद मानता हूं, प्रो. हीरेन मुखर्जी, जिनसे मैं कभी मिला नही, लेकिन उनकी चीजों को पढ़कर मैं मानता हूं कि उन्होंने पुस्तक लिखी Portrait of Parliament, उसमें उन्होंने लिखा, one hates to have to say it but deterioration in Parliamentary functioning has gone on apace. If Parliament did not save its own dignity, its power also will be in peril. हमारी गरिमा कैसे बढ़े, यह सुझाव शुरू के दिनों में किसने दिया। वे शायद बहुत दूरदर्शी लोग थे। उन्हें यह आहट मिल गई थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं दिनांक 4 मार्च, 1958 के दिन की बात बताना चाहता हूं, जिस दिन राज्य सभा के पहले बैच के सदस्यों का विदाई समारोह था। देश के पहले प्रधान मंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने माननीय सदस्यों को शुभकामना देते हुए क्या कहा-

The Parliament does set some kind of an example to the rest of the country. As we behave here to each other, towards our work, towards the general public, so to some extent, others will behave elsewhere, whether in the State Legislatures or in the many other organs of self-government, right way down to that foundation of our democracy — the Panchayats in the villages. Therefore, on all of us rests this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us and we may not do something that brings the slightest discredit or set a wrong line before the people.

इसके साथ ही मैं श्री एन.सी. सक्सेना साहब को, जो देश के जाने-माने ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी एक किताब आई है- What Ails the IAS से जोड़ना चाहूंगा। उसमें उल्लेख है कि State Assemblies की ओर हमारी किस तरह की फंक्शनिंग हो गई है। यह मेरी कोई टिप्पणी नही है, मैं तो कम अनुभव का आदमी हूं। शायद यह बात अधूरी रहेगी, यदि मैं राज्य सभा के पहले चेयरमैन और देश के गौरव रहे, डा. राधाकृष्णन जी को याद न करूं। उनके बहुत सारे क्वोट्स बताए गए हैं, लेकिन उनके एक क्वोट ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वर्ष 1955 में, उन्होंने हमें आगाह किया कि I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible Members of the Parliament but rather like irresponsible professional agitators. That impression even all Members of this House, to whatever side they may belong, should avoid. We must be careful and

preserve our food name and our dignity, that is what I am anxious about. इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा? जो हमारे महाभारत में कहा गया कि "महाजनो येन गता सो पंथः" यानी समाज के वे लोग जिस रास्ते जाएंगे, अगर राज्य सभा, जो सचमुच देश का उच्च सदन है, elders का सदन है, पंडित जी ने कहा कि जैसा आचरण आप यहां करते हैं, वह नीचे पंचायतों तक पहुंचेगा और अगर हमने आज अपने को नही बदला, तो क्या असर होगा और बाहर हमारे बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।

महोदय, संविधान की मूल आत्मा को स्वर देने वाले, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी हमें सावधान किया, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उन्हें क्वोट नही कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर समयबद्ध अपेक्षाएं हमने पूरी नही की, तो हमारे लिए पब्लिक को फेस करना कठिन चुनौती होगी।

इस अवसर पर, हम सभी को अपने स्वयं से यह सवाल करना चाहिए कि हमारे इन मनीषियों ने हमारे लिए जो मापदंड या कसौटी तय की है, उसे हम सब मिलकर सर्वसम्मति से कैसे प्राप्त करें? अतीत से भविष्य में सीखने का काम जो देश, कौम और समाज करता है, वह आगे अपना इतिहास बनाता है।

महोदय, मैं बहुत छोटे-छोटे, दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। जैसी आज सारगर्भित बहस हुई और इससे पहले जो बहसें हुईं, जो मेरी स्मृति में हैं, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस प्रकार की गंभीर बहस का माहौल सदन में हमेशा बनाए रखें। इसके लिए राज्य सभा की रूल्स प्रोसीजर बुक में जो भी संशोधन करने हों, उसके लिए आम सहमति से हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। समितियां, मिनी संसद के रूप में और सक्रिया तथा प्रभावी हों, उसके लिए जो भी और सुविधाएं सांसदों को देनी हों, वे दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आगे के लिए IIT के जो लड़के, youngsters आते हैं, उन्हें हम कैसे अपने सांसदों के साथ attach करें, उसके बारे में विचार करना चाहिए, जिससे बहस की गुणवत्ता और बढ़ सके। सदन का सत्र समय बढ़े, पर इस शर्त पर कि सदन में इन सब पर गंभीरता से, बिना व्यवधान उस बढ़े हुए समय का उपयोग हो।

महोदय, बड़ी छोटी-सी चीज़ है। हम आज गाँधी की 50वी जयंती मना रहे हैं। मुझे अपेक्षा थी कि हम गाँधी को इस अवसर पर बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। मामूली चीज़ है, गाँधी ने कहा, उन्होंने editorial में लिखकर कहा कि अनुशासनहीनता हिंसा है, तो क्यों नही इस 150वें वर्ष पर यह Elders House, जो lighthouse के रूप में देखा जाता है, जो एक नैतिकता का मापदंड स्थापित कर सकता है, इसमें हम इसका पालन कर सकते हैं? राज्य सभा के rules और हर session से पहले जो bulletin जारी होता है, उसमें अपेक्षा होती है कि हम House के अंदर कैसे conduct करें।

सर, मैं आपकी इजाज़त से अपनी निजी भावना कहना चाहूंगा, किसी को हर्ट करने के लिए नही कहना चाहूंगा कि जब मैं पीछे बैठता था, बोलता था, तो देखता था कि लोग सदन में बात

[श्री उपसभापति]

कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे अपेक्षा होती थी कि सब लोग गौर से सुनें। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, उनको अपेक्षा होती है कि दूसरे लोग उनको गौर से सुनें, पर जो राज्य सभा में मामूली व्यवस्था है कि हम कैसे व्यवहार करें कि अगर मुझे चर्चा करनी है, बात करनी है तो हम बाहर जाएं, हम दूसरों को ध्यान से सुनें, तो गाँधी ने कहा था कि आप जो कुछ अपने साथ चाहते हैं, वह दूसरों के साथ भी चाहें, तो शायद हम एक नया मापदंड स्थापित करेंगे।

अब यह जो समितियों की बैठक की बात है, मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल या राज्य सभा की Rules Book यह तय करे कि आप घर में उपस्थित हों, तो इसकी वजह स्वत: है। यह गाँधी का देश है, हम तय करें, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम इसके लिए प्रेरित हों। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं, तो हम एक नया संदेश, एक नई नियति भारत की बने, इसके लिए काम करेंगे।

सर, बड़े सवाल हैं। मेरी अपेक्षा होती है कि मैं सदन में लगातार बाकी चीज़ों के साथ इन पर भी चर्चा सुनूं। दुनिया में जो futurology का अध्ययन कर रहे हैं, technology से लेकर sociology तक, जो क्या changes हो रहे हैं, उन पर वे कहते हैं कि दस बड़ी चीज़ें, जो दुनिया को face करनी हैं, वे भारत को भी face करनी हैं। पहली है genetic modifications of humans, हम designer babies के द्वार पर खड़े हैं। More aged population, यह भारत में भी होने वाला है, शहर खत्म होने वाले हैं। Lost cities, जो climate का असर हो रहा है, जिस पर आपने सुना होगा कि दुनिया में 11 हज़ार से अधिक वैज्ञानिकों ने climate emergency की बात की है। Evolution of social media, यह इतनी बड़ी चुनौती है कि जिस पर हम गौर नही कर पा रहे हैं। जो मीडिया के ढूंढ़ने वाले लोग हैं, जो उसके आविष्कारक हैं, Silicon valley, जो आज एक तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, उसके जो CEOs हैं, वे अपने बच्चों को बेतहाशा छूट नही देते कि आप social media और बाकी चीज़ों पर रहें। यह गाँधी का देश है, यह मूल्यों का देश है, हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, क्या हम इस पर गौर न करें, इस पर चर्चा न करें? इसी तरह से आने वाली सदी में नए geographical tensions खड़े होने वाले हैं। Safe driverless car technology, dwindling resources, rare earth material, हम ये सब इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मोबाइल से लेकर सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, ये दुनिया के दो एक देशों में हैं, अगर ये खत्म होंगे, तो आगे हमारा भविष्य कैसा होगा? दुनिया का भविष्य दो ही चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। पहले, जिस दौर से हम लोगों ने प्रेरणा पाई, उसमें विचार किया करते थे, पर आज पूंजी और technology, इन पर हम कैसे अपनी जगह बनाएं? यह पुराना देश, जिसका अतीत इतना समृद्ध रहा है, यह बनाएं, हमें इस पर गौर करना चाहिए। Artificial intelligence, यह मैं नही कह रहा, यह Professor Hawking, जिनको मैं हमारे समय का Einstein मानता हूं, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वे ताकीद कर गए कि आप चार-पाँच चीज़ों का रास्ता ढूंढ़ लीजिए, नही तो यह Planet बचा नही रहने वाला है। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली

पीढ़ियों के लिए कम से कम सुरक्षित धरती तो छोड़ें। Boosted brain power, यह अलग मसला है, settling on another planet, ये बड़े issues हैं। मुझे जरूरत है कि कभी-कभी ऐसे सारे इश्यूज़ पर भी बड़ी गंभीरता और गहराई से चर्चा हो, क्योंकि अगर हम समय के साथ तालमेल रखकर इस सदन को नही चलाएंगे, तो हम इतिहास नही बना सकते। मैं क्यों यह बात कह रहा हूं? मैं यह बताना चाहूंगा कि अनेक कानून, जिन्हें पहले बनना चाहिए था, पर किसी वजह से नही बन पाए, उनमें से अनेक 249वें सत्र में पास हुए। इस देश में 1991 में automobile revolution हुआ। जहाँ लाखों गाड़ियाँ थी, वहाँ करोड़ों हो गईं और हमने traffic regulation कानून, 2019 में बनाया। मैं अनेक कानूनों को गिना सकता हूं। उनके प्रभाव क्या हैं, मैं इसकी आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं। वह भी आधा-अधूरा लागू हो रहा है। मैंने दो दिन पहले बड़े अखबारों की सुर्खियों में खबर पढ़ी कि wrong side drive करने के कारण 2018 में रोज 24 लोग मरे, इस देश में पैदल चलने वाले 62 लोग रोज एक्सिडेंट में मरे। ऐसी चीजों पर कानून कितनी देर प्रतीक्षा करेगा? पिछले कुछ वर्षों में पैदल सड़क पर चलने वाले लोगों के मरने की संख्या 84 फीसदी बढ़ी है। इस तेजी से बदलती दुनिया में कहते हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नही करती। पहले राज्य सभा की लाइट हाउस के रूप में जो उसकी भूमिका रही, अगर हमें वह गौरव हासिल करना है, तो हमें यह काम भी करना चाहिए। आज इस उच्च सदन को विवेकानन्द की भविष्यवाणी को याद करना चाहिए, जो उन्होंने भारत के जगद्गुरु होने का सपना देखा। यह सपना उन्होंने तब देखा, जब हालात और परिस्थितियाँ नामुमकिन थी, सपना देखने की इजाजत नही देती थी, पर आज यह मुमकिन लगता है। पिछले 70 वर्षों में हमने जो काम किया, उससे लगता है कि इस अवसर पर हम सब मिल कर कुछ कर सकते हैं। आज हम मिल कर इस Upper Hosue में संकल्प लें कि हमारा कामकाज इसी दिशा में प्रेरित होगा, क्योंकि हम तो साझा संस्कृति के देश हैं। हम 'अनेकता में एकता' की जो बात कहते हैं, वह विकास की हमारी मूल सोच और संस्कृति से जन्मा है। हम "वसुधैव कुटुम्बकम" की बात करने वाले लोग हैं। "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:", "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"। इसलिए पश्चिम की तरह एकवचन में नही, हम बहुवचन में जीने वाले लोग हैं। इस परंपरा को जीवंत रखने और आदर्श के अनुरूप देश, समाज गढ़ने का काम हम मिल कर इस Elder House की 250वी बैठक में लें। यह आज सबसे बड़ी जरूरत है। वैसे भी मैं लोक सभा के सदस्यों की औसत उम्र देख रहा था, वह 54 है, जबकि राज्य सभा में 64 है। इसलिए हम House of Elders हैं।

जिन डा. एन. गोपालस्वामी अयंगर की चर्चा माननीय आनन्द जी ने की, मैं पुन: उनको quote करना चाहूँगा कि उन्होंने इस हाउस से क्या expect किया। 'We expect dignified debate in the Rajya Sabha.' उन्होंने इसके औचित्य को जरूरी बताया। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कैसे लोग होंगे। '....Seasoned People who may not be in the thickest of the political fray, but who might be willing to participate in the debate with an amount of learning and importance which we do not ordinarily associate with the House of People.'

[श्री उपसभापति]

अंत में मैं बताऊँगा कि हम क्या थे, जो मैथिलीशरण गुप्त ने कहा। शुरू के दिनों में सदन क्या था, क्यों हम उससे प्रेरणा लें। मशहूर पत्रकार बी.जी. वर्गीज़ राज्य सभा के कामकाज की शुरुआत के दौरान 1952-1962 और आगे तक पत्रकार के रूप में coverage के लिए आते थे। उन्होंने लिखा, "...it was an education to listen to the Rajya Sabha debate which "were lively and animated" and the House functioned on the principle of mutual respect." He further says that "morality was looked upon above party discipline." हम मिल कर उन गौरवमय क्षणों को पुनर्जीवित कर सकें, वें सत्र का अवसर, यह संकल्प और आत्ममूल्यांकन का क्षण हमें यही प्रेरणा देता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before we conclude, we have heard from all sides of the House their views, their experiences and we also heard their suggestions. Let us keep them in mind for our future journey and try to improve upon the functioning, the image of this Upper House. My simple advice, number one, is to improve the attendance. Pay attention, don't create tension. ...*(Interruptions)*... There are some people who always enjoy attention. If you have tension, you cannot pay attention. That is why, please be peaceful, quite and cairn. My second advice is dignity, decorum, decency and discipline have to be maintained by each and everyone. This is not the responsibility of this party, that party, etc. Finally, as it was said earlier, I repeat, 'discuss, debate, decide but do not disrupt.' Let the Government propose, let the Opposition, if it chooses, oppose and let the House dispose. Thank you very much. सबको धन्यवाद।

The House stands adjourned till 1100 hours, on Tuesday, the 19th November, 2019.

The House then adjourned at forty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 19th November, 2019.